महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 4 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

करतारपुर : पंजाब के समारोह में शामिल होंगे मनमोहन : अमरिंदर

एंजसी/जनसत्ता ब्यूरो
चंडीगढ़/नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को साफ-साफ कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर करतारपुर गलियारे के उद्घाटन के लिए आयोजित किए गए किसी भी समारोह में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे बल्कि वह राज्य सरकार की ओर से उस सर्वदलीय जत्थे में शामिल होंगे जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाएगा।

पाक के निमंत्रण पर करतारपुर गलियारे के उद्घाटन में नहीं होंगे शामिल मनमोहन। *पंजाब* सरकार की ओर से उस सर्वदलीय जत्थे में शामिल होंगे जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाएगा।

मालूम हो कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 12 नवंबर को होने वाली 550वें प्रकाश पर्व से कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान नौ नवंबर को करतारपुर गलियारा खोल रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह के लिए मेरे या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पाकिस्तान जाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह तब तक पाकिस्तान नहीं जाएंगे जब तक यह पड़ोसी देश सीमापार आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि करतारपुर गलियारे से गुरुद्वारा पहुंचना और पाकिस्तान के कार्यक्रम में जाना- दोनों में काफी फर्क बाकी पेज 8 पर

राज्यपाल के सलाहकार ने कहा

एक-एक करके रिहा होंगे कश्मीर के नेता

जम्मू, 3 अक्तूबर (भाषा)।

कश्मीर में नजरबंद किए गए सभी राजनीतिक नेताओं के समुचित व्यक्तिगत विश्लेषण के बाद उन्हें चरणबद्ध तरीके से रिहा किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

जम्मू में नेताओं की रिहाई के बाद नजरबंद कश्मीरी नेताओं की रिहाई के संबंध में सवाल करने पर राज्यपाल के सलाहकार फारुक खान ने कहा, 'विश्वास रखें। प्रत्येक व्यक्ति की समुचित समीक्षा और विश्लेषण के बाद उन्हें एक-एक कर रिहा किया जाएगा।'

राज्यपाल के सलाहकार फारुक खान ने कहा, 'विश्वास रखें। प्रत्येक व्यक्ति की समुचित समीक्षा और विश्लेषण के बाद उन्हें एक-एक कर रिहा किया जाएगा।'

जम्मू में गैर-भाजपा दलों ने बुधवार को दावा किया कि प्रशासन ने उन पर दो महीने से लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है। जम्मू संभाग के आयुक्त संजीव वर्मा ने बताया कि इन नेताओं को कभी भी हिरासत में नहीं रखा गया था।

पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद से ही 500 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता नजरबंद किए गए हैं। खान ने इससे भी इनकार किया कि विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है।

श्रीनगर की सड़कों पर लगा भीषण जाम

श्रीनगर, 3 अक्तूबर (भाषा)।

कश्मीर में गुरुवार को स्थिति सामान्य होने के कुछ संकेत दिखे। श्रीनगर की सड़कों पर सुबह भीषण जाम की स्थिति रही और कुछ दुकानें भी खुलीं। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने के सरकार के निर्णय के बाद दो महीने से बंद स्कूलों को खोलने के प्रयास सफल नहीं हुए बाकी पेज 8 पर

पाक ने कई गांवों व अग्रिम चौकियों पर गोलाबारी की

जम्मू, 3 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान की सेना ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी, पुंछ और कठुआ जिलों में भारत-पाक सीमा पर असैन्य इलाकों पर निशाना साधते हुए भारी मोर्टार दागकर और गोलीबारी करके संघर्षविराम उल्लंघन जारी रखा।

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान बाकी पेज 8 पर

दिल्ली-कटरा वंदेभारत शुरू, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पेज 8

कुछ आतंकियों के दिल्ली में घुसने की खबर, चौकसी बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

त्योहरों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजधानी के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पहले से ही दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया था। बुधवार शाम दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग की ओर से मिली जानकारी के बाद राजधानी में और अधिक चौकसी बढ़ा दी गई है।

सूचना मिली है कि आतंकी संगठन दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही कुछ आतंकियों के दिल्ली में प्रवेश करने की भी सूचना है।

खुफिया विभाग से मिली जानकारी के बाद कई संदिग्ध ठिकानों पर की गई छापामारी। - इनएक्टिव स्लीपर सेल के सदस्यों के फिर से सक्रिय होने की मिली जानकारी

दिल्ली पुलिस की एक अधिकारी की मानें तो इनपुट मिलने के बाद दिल्ली में कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।

इन संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि, अधिकारी का यह भी कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस उन सभी आतंकी संगठनों पर विशेष नजर बनाए हुए है, जिनकी सक्रिय होने की जानकारी खुफिया विभाग की ओर से मिली है।

सूत्रों की मानें तो दिल्ली में पिछले कुछ समय से इनएक्टिव हो चुके स्लीपर सेल के सदस्य एक बार फिर से राजधानी में सक्रिय हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे बाकी पेज 8 पर

हरियाणा : टिकट बंटवारे में कद्दावर नेता हुड्डा की चली

चंडीगढ़, 3 अक्तूबर (जनसत्ता)।

लंबे घमासान के बाद बुधवार को देर रात जारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची ने पार्टी की भीतरी राजनीति को उजागर कर दिया है। टिकट आबंटन के मामले में केवल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली है। अन्य सभी नेताओं के हाथ केवल मायूसी ही लगी है। अपने समर्थकों के लिए भारी भरकम टिकटों की मांग करने वाले अन्य कांग्रेस नेताओं को कुछ नहीं मिला है।

90 में से 60 सीटों पर हुड्डा के नजदीकियों और समर्थकों को मिला टिकट। *अशोक* तंवर को मिली पांच सीट, सैलजा के हिस्से केवल पंद्रह।

हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों का राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि प्रदेश के 60 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के नजदीकियों और समर्थकों को ही टिकट मिला है।

हुड्डा के साथ राजनीतिक समझौता करके एक मंच पर दिखाई देने वाली कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा अपने गुट के केवल 15 लोगों को ही टिकट दिलवाने में सफल हुई हैं। सैलजा अपने संसदीय क्षेत्र अंबाला के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अपनी पसंद के टिकट दिलवाने में कामयाब रहीं। कालका से प्रदीप चौधरी, पंचकूला से चंद्रमोहन बिश्नोई, अंबाला छावनी से बाकी पेज 8 पर

भूपेंद्र सिंह हुड्डा

रणदीप सिंह सुरजेवाला

अजय सिंह यादव

नाराज तंवर का सभी समितियों से इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

पार्टी टिकट के बंटवारे में अपने समर्थकों की उपेक्षा का उलाहना देकर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर धरना-प्रदर्शन करने वाले पूर्व हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने गुरुवार को पार्टी की सभी चुनावी समितियों से इस्तीफे का एलान कर दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पार्टी में बने रहेंगे। तंवर चुनाव के लिए बनी प्रदेश चुनाव समिति सहित कई समितियों में शामिल थे।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तंवर ने सभी समितियों से हटने की जानकारी दी और आरोप लगाया कि उन्हें ऐसा लगता है कि हरियाणा में एक आदमी ने समूची कांग्रेस पर कब्जा जमा लिया है। सूबे में कांग्रेस हुड्डा कांग्रेस बनकर रह गई है।

तंवर ने कहा, नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। *पार्टी* के समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का लगाया आरोप।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने टिकटों के बंटवारे के मद्देनजर तीन सुझाव कांग्रेस चुनाव समिति को भेजे थे। जिसमें पिछड़े, मुसलिम और सिखों को सही अनुपात में टिकटें देने की बात कही गई थी। इसके अलावा कमर्चारी नेता व ट्रेड यूनियन के किसी प्रतिनिधि को भी बाकी पेज 8 पर

पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ाई गई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

अदालत ने गुरुवार को आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्तूबर तक बढ़ा दी। सीबीआइ ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने उन्हें 17 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

चिदंबरम (74) ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल में घर का बना खाना मुहैया कराने का अनुरोध किया। सीबीआइ ने चिदंबरम बाकी पेज 8 पर

राम लला विराजमान की ओर से दी गई दलील

खुदाई से साफ है कि वहां मंदिर था : वकील

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

राम लला विराजमान की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अयोध्या में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे विशाल संरचना की मौजूदगी के बारे में साक्ष्य संदेह से परे हैं। वहां खुदाई से निकले अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां मंदिर था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष वैद्यनाथन ने कहा कि मुसलिम पक्षकारों की यह दलील सही नहीं है कि विवादित ढांचे के नीचे बना ढांचा ईदगाह की दीवार या इस्लामिक संरचना है। वैद्यनाथन ने मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों के जवाब में कहा कि पहले उनका दावा था कि वहां कोई संरचना ही नहीं थी। बाद में उन्होंने कहा कि यह इस्लामिक ढांचा या ईदगाह की एक दीवार थी। हम कहते हैं कि वह मंदिर था जिसे ध्वस्त किया गया और खुदाई के दौरान मिले स्तंभों के आधार इसकी पुष्टि करते हैं। यह किसी भी संदेह से परे साक्ष्य है कि इसके नीचे एक संरचना थी।

वैद्यनाथन ने मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों के जवाब में कहा कि पहले उनका दावा था कि वहां कोई संरचना ही नहीं थी। बाद में उन्होंने कहा कि यह इस्लामिक ढांचा या ईदगाह की एक दीवार थी।

मुसलिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर ध्वस्त किए जाने बाकी पेज 8 पर

मयंक टैस्ट में शतक को दोहरे में बदलने वाले चौथे बल्लेबाज

विशाखापत्तनम, 3 अक्तूबर (एजंसी)।

भारतीय टैस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टैस्ट के दूसरे दिन दोहरा शतक जमाकर इतिहास रचा। मयंक का यह पहला टैस्ट शतक है और वे इसे दोहरे शतक में तब्दील करने में सफल रहे। यह कारनामा करने वाले वे भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं।

भारत में अपना पहला टैस्ट खेल रहे अग्रवाल ने बेहतरीन संयम का प्रदर्शन करते हुए 371 गेंद में 215 रन बनाए। मयंक से पहले दिलीप सरदेसाई, करुण नायर और विनोद बाकी पेज 8 पर

अग्रवाल ने 371 गेंद पर 215 की संयम भरी पारी खेली।

संजय निरुपम नहीं करेंगे कांग्रेस का प्रचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को शिकस्त देने ताल ठोक कर मैदान में उतरी कांग्रेस में टिकट बंटवारे के साथ ही कलह शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे से नाराज सूबे के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने बागी तेवर दिखाते हुए न केवल चुनाव प्रचार से हटने का एलान किया है, बल्कि पार्टी छोड़ देने की धमकी भी दे दी है।

मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे संजय निरुपम ने गुरुवार को एलान किया कि वे विधानसभा के आगामी चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन बाकी पेज 8 पर

पार्टी छोड़ देने की धमकी भी दी।

दरअसल

सभी नेताओं ने बढ़ाई राजनीतिक वंशवाद की बेल

वंशबेल बंसीलाल परिवार में तीन तो भजनलाल के दोनों बेटों पर आलाकमान की कृपा

भाई-भतीजावाद से बाहर नहीं निकल पाई कांग्रेस

संजीव शर्मा
चंडीगढ़, 3 अक्तूबर।

राजनीति में भाई-भतीजावाद का पर्याय बन चुकी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। कांग्रेस पार्टी की जारी की गई सूची में न केवल जमकर भाई-भतीजावाद हुआ है बल्कि नेताओं ने अपनी राजनीतिक वंशबेल को बढ़ाने का काम किया है। पार्टी ने कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जिनकी पिछले कुछ वर्षों से कोई राजनीतिक सक्रियता नहीं थी। इसके बावजूद परिवारवाद के कारण उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बंसीलाल की पुत्रवधु लगातार चौथी बार तोशाम हलके से चुनावी रण में होंगी। किरण चौधरी का हरियाणा की राजनीति में दाखिला उनके पति सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद हुआ था। किरण 2005 में तोशाम से उपचुनाव जीत पहली बार हरियाणा विधानसभा पहुंचीं थी। कांग्रेस ने बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर सिंह महेंद्रा को बाढड़ा हलके से टिकट दिया है। बंसीलाल के दामाद व पूर्व विधायक सोमबीर सिंह को लोहारू से टिकट मिला है।

कांग्रेस आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार के प्रति भी नरम रहा है। भजन पुत्र कुलदीप बिश्नोई को परिवार की परंपरागत सीट आदमपुर से टिकट दिया गया है। भजनलाल के बड़े बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकूला से चुनावी रण में होंगे। हालांकि पार्टी कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई को भी टिकट देने के लिए तैयार थी लेकिन वह खुद ही चुनावी रण से हट गई। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर की पत्नी शैली चौधरी को नारायणगढ़ से प्रत्याशी बाकी पेज 8 पर

(बाएं से) किरण चौधरी चंद्रमोहन बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई

कांग्रेस की सूची में राव इंद्रजीत का भाई और भतीजा

अपनी बेटी के लिए विधानसभा की टिकट हासिल करने के लिए प्रतिष्ठा दांव पर लगाने वाले मोदी के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भले ही भाजपा ने ज्यादा अहमियत नहीं दी है लेकिन कांग्रेस ने उनके परिवार को दो टिकट दे दिए हैं। कांग्रेस ने इंद्रजीत सिंह के भाई और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह यादव को कोसली से उम्मीदवार घोषित किया है। पिछला चुनाव भी यादवेंद्र ने कोसली से ही लड़ा था लेकिन इंद्रजीत के विरोध के कारण वे चुनाव हार गए। वहीं इंद्रजीत के दूसरे भाई अजित सिंह के बेटे राव अर्जुन सिंह को कांग्रेस ने अटेली से चुनावी रण में उतारा है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Mukesh Khatri S/O Nafe Singh R/O-1862/6,Pana-Mamurpur, Narela, Delhi-110040. Have Changed My Name To Mukesh Kumar Khatri. 0040514852-7

I,Jashwanti Devi W/O-Late Trived Prakash Sharma R/o-H.No.J-130,Bhagat Singh Park,Siras Pur Samai Pur,Delhi-42,have Changed to my name Yashvanti Devi for,all Purposes. 0040514869-1

I, hitherto known as TEK CHAND alias TEK CHAND SHAMI S/o Sh. RAM PHAL SINGH, employed as Vice Principal, Govt. Boys Sec. School, Kondli Gharauli, Delhi-110096 residing at 403A/7, Block-E, West Vinod Nagar, East Delhi, Delhi-110092 have changed my name and shall hereafter be known as TEK CHAND SHAMI. 0040514815-1

I, Vishesh Kumar S/o Sh.OM Parkash Khanna R/o-384/A Shastri-Nagar Lawrence Road Amritsar-I,G.P.O Amritsar Punjab-143001,changed my name to Vishesh Khanna. 0040514852-6

I, Vijay S/O Samar Mandal R/O-H.No-484, Bangal-Suiting, Amar-Nagar, Sec-31, Faridabad-121003,Have Changed My Name To Vijay Baishak permanently. 0040514852-1

I, Varun Singh S/o Pratap Singh R/o B-23/1, Harijan Basti Kondli East Delhi-96, Have Changed my name Varun Kumar to Varun Singh For all Future purposes. 0040514872-1

I, Vaibhav Vasudev S/O Prem Vasudev R/O-12D, Janta-Flats, Ashok Vihar Phase-3, Delhi-110052. Changed My Nameto Vaibhav Vasudeva. 0040514875-5

I, VIJAY KUMAR SHARMA S/o Gurmukh Sharma R/o C-42, Jangpura Extn., New Delhi-110014 have changed my name to VIJAY SHARMA 0040514819-1

I, Tenzin Choedon Lhewa D/o Chonden Namgyal, R/o Block-80, Group-6, Tibetan Colony, P.O.Kulhan, Dehradun, Uttarakhand have changed my name to Tenzin Choedon, also inform that my father and mother name wrongly written in my Identity Certificate as Chonden Namgyal Lhewa and Kalden Choenyi Lhewa instead of Chonden Namgyal and Kalden Chonyi respectively. 0040514818-1

I, Swati D/O-Ram Kishor, R/O-677a/7b, First-Floor, Govindpuri, Kalkaji, South-Delhi, Delhi 110019, Changed My Name To Swati Verma. 0040514880-6

I, Sunita Rani W/o Deepak Kumar R/o-1900/141 Ganesh Pura Tri Nagar Delhi-110035 changed my name to Sunita. 0040514858-6

I, Shayna Kaleem W/O-Mohammad Kaleem R/O-A-46/3 Street. No-3 Bhagirathi-Vihar, New-Mustafabad, Delhi-110094. Have Changed My Name To Shayna Parveen. 0040514852-10

I, Suraj Kumar Jha S/o Sunil Jha R/o-F-46/2, Third-Floor, Near Durga-Mandir, Pandav-Nagar, Patparganj, N.Delhi-110091.changed my name to Suraj Jha. 0040514880-5

I, Sarita Maharolia,D/o-Inder Jeet Maharolia, Mother Sunita Maharolia, R/o-H.No. 3755, Daribapan,P.Ganj, N.Delhi-110055, have changed my name Sarita Jeet D/o-Inderjeet, Mother-Sunita. 0040514880-3

I, Sakeela Bano Ansari D/o Fakrudin Ansari and W/o Gulshan Ansari R/o 77C/219, Gali No-4, Mukesh Nagar, Shahdara, Delhi-110032, that name of mine has been wrongly written as Sakeela Bano in my SBI Bank Account. The actual name of mine is Sakeela Bano Ansari 0070677110-1

I, Sachin Kumar Singhal S/O Radhey Lal R/O-G-1/35, II-Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Sachin Singhal. 0040514875-4

I, SUDHISH CHANDRA GARG S/o Rajeshwar Dayal Garg R/o 112, Pocket-A4, DDA Flats, Kalkaji Extension, New Delhi-110019 have changed my name to SUDHISH CHANDER GARG for all future purposes. 0040514835-1

I, Riya Gohri D/O, Vipin Gohari R/o House No. 1-f-8, Dadabari, Kota, Rajasthan 324009, have changed my name to Riya Gohari for all purposes. 0040514847-1

I, Ravindra Kumar Rana S/o Late Sh. Prashadi Lal R/o 220/1 Railway Colony, Kishan Ganj, Delhi-110007,have changed my name from Ravindra Kumar to Ravindra Kumar Rana for all future purposes. 0040514838-1

I Anita Devi Wife of Shri Rajesh Roshan R/o Plot No.127, Flat no.401, Gali No.14, Bhagwati Garden Extn, Uttam Nagar, West Delhi, New Delhi-110059 have changed my name to Anita Roshan for all intents & Purposes. 0040514877-1

व्यक्तिगत

I, Rasvinder Singh S/o S Surjit Singh R/o 33/13, Ashok Nagar, Delhi-110018, have changed my minor daughter's name from Sarvnoor Kaur aged 3 years to Ravleen Kaur 0070677102-1

I, Rani Bhambay D/o Raj Kumar Bhambay W/o Amit Kumar Gupta R/o H.No.D-31, Balram Nagar, Loni, Ghaziabad U.P-201102 have changed to my name Sneha Gupta for all Purposes 0040514869-4

I, Ram Prasad S/O, Harihar Prasad R/o Rc-944, Gali No. 4, Prakash Nagar, Khora Colony, Ghaziabad (UP), have changed my name to Sriram Prasad for all purposes. 0040514848-1

I, Rajni Vats W/o Anil Sharma R/o-R-75 Vani-Vihar Uttam Nagar,(D.k.Mohan Garden) N.Delhi-110059 changed my name to Rajni. 0040514880-1

I, Rajesh Gupta S/o Gajraj Singh R/o 031 White House Apptt. Sec-13, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Gaurav Yadav 0040514821-3

I, Raghvir Chandra S/O-Kundan Lal Gupta R/O-110a,Block-Pd, Pitampura, Shalimar-Bagh, Delhi-110088. Changed My Name To Raghubir Chander. 0040514852-8

I, Raghuraj Singh S/o Ramji Lal R/o-216, Rampura-Goan Rumal-Wali Gali, Delhi-110035, have changed my son's name from Montu Tyagi to Akshay Tyagi. 0040514858-2

I, Parveen Bhardwaj S/o-Ram Mehar Bhardwaj R/o-629 Chirag-Delhi N.Delhi-110017. inform that my minor son,s DOB Wrongly-mentioned 21/08/2005 in Educational Documents but Correct DOB is-21/03/2005. 0040514880-7

I, Pankaj Dua S/o Krishan Dua R/o 1, Kartar Shah Nagar, Model Town, Panipat, Haryana-132103, have changed my minor son's name from Aseem Dua aged 15 years to Aseem Aditya Dua forever 0070677122-1

I, Om Babu S/o Vijay Pal Sharma,H.No.136A, Gali.No.3, Jagmohan Enclave Part-2, Roshan-Nagar, Faridabad, Haryana-121003.,changed my name to Om Babu Sharma. 0040514852-3

I, Ngawang Palmo Lhewa D/o Chonden Namgyal, R/o Block-80, Group-6, Tibetan Colony, P.O.Kulhan, Dehradun, Uttarakhand have changed my name to Ngawang Palmo, also inform that my father and mother name wrongly written in my Identity Certificate as Chonden Namgyal Lhewa and Kalden Choenyi Lhewa instead of Chonden Namgyal and Kalden Chonyi respectively. 0040514818-2

I, Neetu Bansal W/o Gaurav Yadav R/o 031 White House Apptt. Sec-13, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Neetu Yadav 0040514821-1

I, Naziya Naweed D/o Naweed Ashraf R/o 229-A, Gali No.5, Zakir Nagar, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025 have changed my name from Naziya to Naziya Naweed for all future purposes. 0040514842-1

I, Nazema Naweed W/o Naweed Ashraf R/o 229-A, Gali No.5, Zakir Nagar, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025 have changed my name from Nazma Begum to Nazema Naweed for all future purposes. 0040514842-2

I, Navneet Tyagi S/o Satya Prakash Tyagi R/o 301, Prateek The RoyalCliff, 3rd Floor, Crossings Republik, Ghaziabad, UP-201016, have changed my minor daughter's name from Aadrika Tyagi aged 4 years to Aishwarya Tyagi 0070677119-1

I, Navneet S/o Krishan Kumar R/o 3897/13 Kanhaiya Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035, changed my name to Navneet Sharma. 0040514880-4

I, Narendra Kumar S/o Narayana Pillai, R/o C-301, Eastend Apartment, Mayur Vihar, Phase-1 Extn., Delhi-110096, have changed name of my son from Narein Madhavan Meera to Narein Madhavan for all future purposes. 0040514813-1

I, Molly Cheladan Varkey D/o Mathai Varkey W/o Alby Peter R/o-310-C J&K-Pocket, Dilshad-Garden Delhi-110095,have changed my name to Molly Alby for all future purposes 0040514875-1

I, Md Iquram S/o Yaqub Khan R/o-B-267, Gali.N0.2, Mohammadi-Masjid, Mandawali-Fazalpur, Delhi-110092 have changed my name to Mohammad Ikram Ansari. 0040514852-4

I, Mannat Jain, S/O Annat Jain, born on 18/05/2007, residing at 3/22 1st floor Shanti Niketan Chanakyapuri New Delhi 110021 have changed my name to Mannat Vikramaditya Jain vide affidavit date 1st October 2019, New Delhi 0050156213-1

I KI Usha W/O, Senthil Kumar R/o D-138 JJ Camp Tigri ND-62 have changed my name to Usha for all purposes. 0040514858-3

I Anita W/O, Bharat Bhushan R/O House No-1074 Housing Board Colony Sector-31 Gurgaon Haryana122001 have changed my name to Anita Devi 0070677128-1

I, Love S/o Virender Singh R/o-Shokhanda Chhawla-Enclave Near Sector-19 Khurat-Mohalla Dwarka-110071 changed my name to Love Shokhanda. 0040514858-5

I, Komal Sahai, R/O B-1, 504, Satyam Apartment, Vasundhara Enclave, New Delhi-110096. Have changed my minor daughter's name from Mishty Sahai to Jasweera Sahai for all future purposes. 0040514854-1

I, Jatin Kumar S/o Satish Kumar Aneja R/o-E-3/24, IInd-Floor, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Jatin Aneja for all purposes. 0040514858-1

I, Jagmohan S/o Amarjit Singh R/o C-377, Suryanagar, Ghaziabad, U.P.-201011 have changed my name to Jagmohan Singh. 0040514858-7

I, Hema Pandey W/o Ram Niwas Pandey R/o H.No 59A Gali No-3C Molarband Extn Badarpur Delhi-44 have changed my name to Hema Sharma Pandey. 0040514858-4

I, Gurwinder Singh R/o Rz C-2b Patel Garden Kakrola Morh, New Delhi-110059, have changed my minor son's name from Mohit Bhatia to Mohit Bhatoa for all purposes. 0040514849-1

I, Parnav GOEL S/O Ramesh Chander Gupta R/O-B.20 C-C-Colony Delhi-110007, Have Changed My Name To Pranav GOEL. 0040514880-10

I, Geeta Devi D/o-Raghbir Singh W/o-Nitesh Beniwal R/o-D-186/187-A,3rd-Floor Rishi-Nagar Rani-Bagh Delhi-110034,changed my name to Geeta Beniwal. 0040514852-5

I, Gayatri Devi Sharma W/o Ankush Sharma R/o-5/189, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092, have changed my name to Gayatri Sharma. 0040514880-2

I, Darshan Ahuja S/O Chaman Lal R/O B-29, Janta Colony, Shivaji-Vihar, Tagore Garden, Delhi-110027. Changed My Nameto Darshan Lal. 0040514875-3

I, Chanakya S/o Manohar Prasad R/o-72A, F-Block, Khanpur-Extension, Delhi-110062, have changed my name to Chanakya Manohar Prasad. 0040514852-2

I, Armaan Sarin Jain, S/O Annat Jain, born on 09/10/2014, residing at 3/22 1st floor Shanti Niketan Chanakyapuri New Delhi 110021 have changed my name to Armaan Chandragupta Jain vide affidavit date 1st October 2019, New Delhi. 0050156214-1

I, Anil Kumar S/O, Manohar Lal Rawal R/o H. No. 172, Iind Floor, Espace, Nirvana Country, Sector 50, Gurgaon-122001, have changed my name to Anil Rawal for all purposes. 0040514850-1

I, Amanat Jain, S/O Annat Jain, born on 04/04/2009, residing at 3/22 1st floor Shanti Niketan Chanakyapuri New Delhi 110021 have changed my name to Amanat Deviki Jain vide affidavit date 1st October 2019, New Delhi 0050156215-1

I, Abhishak Grover S/o Amit Grover R/o-3669/7 Narang-Colony Tri-Nagar Delhi-110035, Changed My Name To Abhishek Grover. 0040514875-2

I, Deepak R/O C114 Old-Dlf Sector-14, Gurgaon Haryana Have Changed My Minor Son Name Himnesh Chhawari To Himnesh Chhawri. 0040514880-9

I Yash S/o Parveen Kumar R/o Flat no - 4, Vidya Apartment Building No-6, Gali No-B6, Ashok Vihar phase 3 Extension, Gurgaon 122001, have changed my name to Yash Kumar 0070677120-1

I Vibha Kumari W/O Vijay Kumar Singh Saharsa Bihar After Marriage Have Changed My Name To Bibha Singh. 0040514892-1

I Tanvir Ahmad Khan S/O Tauheed Ahmad R/O Village-Kotiya Sultanpur U.P-227805 Have Change My Name To Tanveer Ahmad Khan. 0040514875-7

I Suresh Panth S/o Gopal Dutt R/o D-167, Gali No-52, Mahavir Enclave Part-3, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Surender Kumar Pant. 0070677114-1

I Shweta Jha alias Shweta Naveen Agarwal D/o Dinesh Kumar Jha and W/o Naveen Kumar Agarwal R/o 8, Inner Circle Road, Old TC Colony, Jamshedpur, Kadma East Singhbhum, Jharkhand-831005, have changed my name to Shweta Jha 0070677113-1

I Sheweta W/O Dharmender R/O H.No-356 Gali No-22 Sgm-Nagar Faridabad-121001 Have Change My Name To Shweta. 0040514875-6

I Daljit Singh alias Daljit Singh Pandher S/o Piara Singh Pandher R/o House No-222, Green Avenue, Backside Nagpal Resort, Dad, PO Lalton Kalan, Ludhiana, Punjab-142022, have changed my name to Daljit Singh Pandher 0070677109-1

I Choturam Baloda S/o Bhinwaram Baloda R/o Dhani Baloda Vali, Singod Kalan, Chomu, Jaipur, Rajasthan-303803, have changed my name to Himesh Baloda 0070677124-1

व्यक्तिगत

मैं अविका पाण्डेय पुत्री श्री शाशि रंजन पाण्डेय निवासी 36, फेस-2, सैनिक विहार, मोहन गार्डन उत्तम नगर ND-59, अपना नाम ब्यूटी पाण्डेय से बदलकर अविका पाण्डेय (08.09.1999) रख लिया है।

I Saumya Saini D/o Rahul Dev Saini R/o 16. Block-GH-1, Archna Apartment, Paschim Vihar, Delhi-110063, have changed my name to Aishwarya Saini 0070677107-1

I Sanjay S/o Satish Kumar R/o 477/19, Uttam Nagar, Gali No-3, Gohana, Sonipat, Haryana-131301, have changed my name to Honey Rohilla 0070677116-1

I Samiksha Gupta D/o Harish Gupta R/o VPO Darla, Tehsil Arki, Solan, HP-171102, have changed my name to Priyanshi Gupta 0070677104-1

I Rajesh Kumar alias Rajesh Kumar Singla S/o Siri Krishan R/o B-63, Sector-36, Noida, GB Nagar, UP-201303, have changed my name to Rajesh Kumar Singla 0070677103-1

I Rajender kumar s/o Kundan Lal h.no-735, ground-floor, sector-4, Gurgaon, have changed my name to Rajender kumar Tuteja. 0040514880-8

I Neeru Verma D/o Nirotam Verma and W/o Gaganpreet Singh R/o HNO-645, Phase-2, Urban Estate, Dugri, Ludhiana, Punjab-141002, have changed my name to Navleen Kaur 0070677112-1

I Nagender Singh Saijwal s/O Ran Singh R/O-F-337, Lado Sarai-Village Delhi 110030. Have Changed My Name To Nagender Saijwal. 0040514852-9

I Manoj Singh S/O Sh. Shaligram Singh, R/o H.No.-87' Gali No. 4 Shiv Park Nangloi Delhi 110041, inform that Manoj Singh and Manoj Kumar Singh both name are same person. In future to be known as Manoj Singh only 0060069885-1

I Mahesha A.S. alias Ajjampura Swamy Mahesha S/o Sannappa Swamy R/o 26, Shivashakthi Nilaya, Pushpa Layout, 20th Cross, 7A Main, NS Palya, SMC Kalyana Mantapa, BTM 1nd Stage, Bannergatta Road, Banglore, South Bilekahalli, Karanataka-560076, have changed my name to Ajjampura Swamy Mahesha 0070677126-1

I Mahesh Kumar Singla alias Mahesh Kumar alias Mahesh Singla S/o Raj Kumar R/o Ward Number-6, Preet Colony, Bhawanigarh, Sangrur, Punjab-148026, have changed my name to Mahesh Singla 0070677121-1

I Kanika Bhatia W/o Sh.Sanjeev Bhatia R/o H.No.B-367, Patel Nagar-II, Ghaziabad, U.P.have changed the name of my minor daughter from Sadhika Bhatia to Sri Bhatia for all purposes. 0040514808-2

I, Abhay Pratap Singh R/o-Village-Badan Pur, Po.-Kanka Pur,Teshil-Amrit Pur, Distt.-Farrukhavad,U.P.-209625,inform that in my service record my son's name wrongly written as Shri Arab Pratap Singh instead of Arab Pratap Singh both are same person. 0040514676-8

I, Arun Kumar Singhal S/o Late Sh. Maya Prakash Singhal R/o H.No.KK-134, Kavi Nagar, Ghaziabad-201002 (U.P)have changed my name to Arun Singhal for all future Purposes. 0040514413-1

I, Amrit Pal Singh S/o Rajinder Singh R/o WZ-91A, First Floor, Street No.19A, Dashmesh Hospital, Shiv Nagar, Jail Road, Janakpuri B-1, Delhi-58 have changed to my name Amrit Pal Singh Arora for all Purposes. 0040514676-1

I, Matur Malakajappa Virappa S/O Shri Virappa Matur R/O 1083, Venezia Tower, Mahagun Moderne, Sector-78, Noida 201301 U.P have changed my name from Matur Mallikarjun Virappa to Matur Malakajappa Virappa for all future purpose. 0040514739-4

I, Savita Devi W/o Sandeep Chaudhary R/o-9/5287 Gali No.7, Old Seelampur Gandhi-Nagar Delhi-110031,have changed my name to Babita,for all purposes 0040514875-8

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to the public at large that my client Brahm Prakash S/o. Late Sh. Chiter Singh R/o C-349, JJ Colony Madipur, New Delhi -63, has disowned and debarred his son Sandeep Kumar and his wife Nisha from her all movable and immovable properties/assets and breaks all kind of relation with them, due to his Misbehavior and criminal conduct. My client and his any of the family members shall not be responsible for their any act or conduct. Whoever deals with them, deals at their own cost and consequences.

ASIF AHMED SIDDIQUI-ADVOCATE
C-24B CL JOSEPH BLOCK,
TIS HAZARI COURTS, DELHI -54

सार्वजनिक सूचना

जन साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमती कृष्णा मिश्रा धर्मपत्नी श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा, निवासी मकान न. 810/48, लेखू नगर, लाल मंदिर के पास, त्री नगर, दिल्ली-110035, अपने पुत्र अमित मिश्रा सुपुत्र श्रीमती कृष्णा मिश्रा, उम्र 26 साल से किसी भी प्रकार के रिश्ते विच्छेद करने के साथ ही अपनी सभी चल एवं अचल सम्पत्ति से वंचित करती हूँ।
यदि कोई व्यक्ति श्रीमान अमित मिश्रा से किसी भी प्रकार का लेन देन रखता है तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार होगा।

एडवोकेट
अजीत पाण्डे
नामांकन नं. डी/1872-ए/04,
ई-20, लाजपत नगर-III,
नई दिल्ली-110024
मो.: 09654894378,
ajeetpandeyili@gmail.com

खोया+पाया

I, Yati Mittal D/o Amit Kumar R/o-H.No.17 Naipura, Loni Dehat Ghaziabad, U.P-201102 lost my Senior-Secondary Pass Certificate Year-2016 Roll No.9631695 CBSE-Delhi 0040514875-11

I,Taran Deep Singh S/o Amarjeet Singh Lost my Original Marksheet of, 6th-Semester Roll No.212384, Year-2006 issued by Board Of, Technical-Education Pitampura Delhi- Finder, Contact-9810859331. 0040514858-9

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Secondary Examination of Year 2018, Roll No.8229048 issued by CBSE has been actually lost. Name of Candidate: Sahil Ijhar S/o Ijhar Ahmad, R/o 877, 2nd Floor Flat No.4, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad UP-201010 Tel.9899673875 0040514831-1

I, Anshul Gahlot S/o Shri Sudhir Gahlot R/o D-224/A, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi has lost my Driving Licence, ATM Cards, Credit Cards & Cheque books of ICICI, HDFC Bank & Central Bank of India & Property documents. If any found please returned to me or informed. Anshul Gahlot, 9810985757. 0040514808-1

I, Parag Bhati S/o Ravinder Kumar R/o-D-22 badarpur-extn badarpur border N.D, have lost my original certificate class-12 Year-2015 Rollno-9192841 CBSE-Delhi 0040514858-10

I, Baljeet Kaur W/O Jasbir Singh, Lost Original Gift Deed (Bearing: IN-DL63657841837720Q) Of My Property RZ1106,Gali 11, Sadh Nagar,Palam Colony,New Delhi 110045, Registered On 23/08/2018 with SRO-IX, Delhi. Finder Please Contact 9716088929. 0040514726-1

I, KAPIL Choudhary S/o Sukhveer Singh R/o-B-128 mahnedra-enclave shashtri-nagar ghaziabad. have lost my original certificate class-10th year-2008 Rollno-5232291 CBSE- Allahabad. 0040514875-10

LOST & FOUND

LOST ORIGINAL LEASE DEED & ORIGINAL GENERAL POWER OF ATTORNEY OF PROPERTY NO. PLOT NO. 97, RAMESHWARI NEHRU NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI - 110005 (M.C.D PROPERTY CALLING ADDRESS: 11832 A, STREET NO. 7, SAT NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005) VIDE LEASE DEED REGISTRATION DOCUMENT NO: 6081, BOOK NO: 1, VOLUME NO: 4548, PAGES FROM 65 TO 68, REGISTRATION DATE: 24.09.1981 AND GENERAL POWER OF ATTORNEY VIDE GENERAL POWER OF ATTORNEY REGISTRATION DOCUMENT NO. 8028, BOOK NO. 4, VOLUME NO. 481, PAGES FROM 182 TO 185, REGISTRATION DATE 11-05-2001. LOST REPORT IS LODGE VIDE LR NO. 1650690/2019 ON DATED: 28/09/2019 AT PS CRIME BRANCH DELHI. FINDER MAY SEND WITHIN 15 DAYS TO SMT. PUSHPA VERMA W/O SHRI BHANWAR LAL VERMA R/O 11813, STREET NO. 6, SAT NAGAR, KAROL BAGH, NEW DELHI - 110005.

LOST & FOUND

I, PRANAV GUPTA son of Late Sh. Vijay Kumar Gupta, resident of B-10, Greater Kailash Part-I, New Delhi-110048, have misplaced Three Sale Deeds i.e. (1) Sale Deed registered as No.4145, in Book No.I, Volume No.5847, on pages 89 to 96, on 26.06.1992, (2) Sale Deed duly registered as No.4644, in Book No.I, Volume No.5861, on pages 186 to 193, on 20.07.1992, and (3) Sale Deed registered as No.2019, in Book No.I, Volume No.6131, on pages 136 to 145, on 06.04.1993, all in the office of the Sub-Registrar-I, Delhi, in respect to Third Floor of Built-up Property No.4596/2-A, situated at 11, Darya Ganj, New Delhi-110002, Finder please contact Mob. No.9999219946

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed/ intimated to the public at large that my Sh. Hans Raj Kalra S/o Sh. Gopal Dass Kalra and Smt. Seema Kalra W/o Sh. Hans Raj Kalra, both R/o. 13/76, 2nd & 3rd Floors, Geeta Colony, Delhi-110031 has severed all kinds of relations with their son namely Sidhant Kalra and his wife Smt. Kashika Kalra. Since they do not have any respect for my clients and my clients have debarred them from their all kinds of movable and immovable properties. If any person deals with them, he shall be doing so at his own risk and costs and my clients shall not be responsible for any act or deed committed by them.

Sd/-
Satish Kumar Tomar
(Advocate)
Ch. No. 511, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my clients SH. Purshottam Lal Sharma S/o Late Sh Shyam Sunder Sharma and his wife Smt Seema Sharma, both R/o A-115, Nand Ram Park Uttam Nagar New Delhi have served all their relations with their son Sh Karan Singh due to his bad habits. Both of my above named clients have also disowned and debarred his said son from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with Sh Karan Sharma will do so at his/her/their own risk and responsibilities and my clients will not be responsible for any act, deed or dealing done by Sh Karan Sharma.

Praveen Rastogi
Enrol No-D/244/06

PUBLIC NOTICE

"Notice is hereby given that my client intends to enter into a transaction with Mr. Arun Kumar Monga S/o Shri Sohan Lal Monga in respect of his undivided share of portion admeasuring app. 350 S. ft. & 150 S. ft. with roof right on the ground floor situated at Plot No. 1 (Old No. 10796/1) M.M. Road, Motia Khan, New Delhi-110055 (hereinafter referred as to the "subject land" with its owner being Mr. Arun Kumar Monga.
If entity/person including any bank or financial institution having or claiming any right, title, claim, benefit, demand, easement, performance, possession, ownership or has any objection to the transaction relating to the same or if any entity/person including any bank or financial institution has any knowledge of Mr. Arun Kumar Monga or past owner to the subject land such entity/person may inform the undersigned in writing with documentary proof on the address &/or e-mail id mentioned below with a period of 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice otherwise my client shall proceed with the above said transaction".

Sd/-
Mahesh Sharma (Advocate)
Ch. No. 196, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

This is for information of general public that my client Smt. Geetha Jayakumar, holding membership No.226 of Jahaz CHGS Ltd., and who is absolute owner in possession of the property being Flat No.227, Jahaz Apartments CGHS, Plot No. 9, Rohtak Road, New Delhi, has misplaced and lost the Original Allotment letter issued by Jahaz CGHS Ltd. in her favour. If any person/s finds the above stated document, it is requested to handover the same to the undersigned. And if any person's has any claim whatsoever with respect to the above stated property, he/she is required to give notice of the same to the undersigned within 10 days from the date of publication hereof, together with copies of documents forming basis of such claim, failing which it shall be concluded that there is no claim whatsoever against the above said property and my client can proceed with her intended object pertaining to the above stated property.

NAMRATA RANGA-ADVOCATE
C-117B, Rama Park, Uttam Nagar,
New Delhi -110059 (M): 9818947341

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED TO GENERAL PUBLIC AT LARGE THAT OUR CLIENT SMT. VEENA PURI WIFE OF SH. DEEPAK PURI R/O: B 119, 1ST FLOOR NEETI BAGH, NEW DELHI- 110049, HAS DISOWNED HER SON SH. KARAN PURI FROM ALL HER MOVABLE AS WELL AS IMMOVABLE PROPERTIES. SH KARAN PURI SHALL NOT HAVE ANY RIGHT OVER THE PROPERTIES BELONGING TO OUR CLIENT.
FURTHER, OUR CLIENT SHALL NOT BE RESPONSIBLE/LIABLE FOR ANY ACTS/ACTIONS OF WHATSOEVER IN NATURE OF AFORESAID PERSON WITH PUBLIC AT LARGE.

KUNAL MADAN & ASSOCIATES
Law Offices
7/19, West Patel Nagar,
New Delhi-110008

PUBLIC NOTICE

It is informed to the public at large that my client; KISHORE KUMAR SHARMA S/O SH. BHANWAR SINGH SHARMA R/O B-39, STREET NO. 5, RAMA GARDEN, KARAWAL NAGAR, DELHI hereby declaring / debarring / disowning his son, BHARAT BHARDWAJ from his life, properties and state, movable or immovable situated in Delhi or outside of Delhi and severed all his relations with him because he is not loyal and under the control of my client. My client and his family will not be responsible for any act, deed and thing done by him since today.

S.A. RAJPUT (Advocate)
Ch. No. K-28, Tis Hazari Courts,
Delhi-54

PUBLIC NOTICE

IT IS FOR INFORMATION OF GENERAL PUBLIC THAT MY CLIENT LAL MOHD. S/O ABBAS ALI AND MRS CHIDANA W/O LAL MOHD BOTH R/O H. NO. 15, PKT 13, SEC A-6, PUNARWAS COLONY, NARELA DELHI, HEREBY DECLARE THAT THEY HAVE SEVERED OFF ALL THEIR SOCIAL FAMILY AND FINANCIAL RELATIONS WITH THEIR SONS IRFAN AND IMRAN ALONGWITH THEIR RESPECTIVE WIVES JOYA AND NASREEN AND THEIR CHILDREN ANYONE DEALING WITH THEM, WILL BE HIS OWN RISK AND MY CLIENTS WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR SAME IN ANY MANNER.

AJAY KUMAR (ADVOCATE)
RU-367, Pitam Pura, Delhi-34

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client namely Mr. Sireeli Kumar Gupta S/o Late Sh. Tikam Chand R/o 391/08, Ganja Bagh, Hansi, Hisar (HRY) presently at Plot No 170, First Floor, Pocket 3, Sector 22, Rohini, Delhi 110086 has severed and ceased all his relations with his son namely Pulkit Gupta at Sector 28, Faridabad, Haryana and his wife namely Shally Verma at Tohana, Haryana and also disowned/debarred them from all his movable and immovable properties. My client will not be responsible for any of their acts, deeds or activities and if any one enters into any kind of dealings with them, he/she/they as well as any firm and company/companies shall do he/him/them so at their own risk cost and consequences.

KULDEEP KUNDRA (Advocate)
Ch. No. 19, Tehsil Building, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Naeem Mirza** s/o Amir Beg & **Mrs. Shabnam Mirza** w/o Naeem Mirza, both residents of 6872, Qila Kadam Sharif, Nabi Karim, Pahar Ganj, New Delhi-110055, **disowned their son Mr. Shuaib Mirza and his to be wife and their to be children**, from their all movable immovable properties as they have abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.

Sd/-
G.L. GOSWAMI
(Advocate)
3530, Qutab Road, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Dushyant S/o Late Sh. Ramesh Chand & Smt. Raj Kumari W/o Sh. Dushyant both R/o H.No. B-48, Anand Vihar Uttam Nagar (West), Delhi-110059, have debarred and disowned his son Jitender Gupta S/o Sh. Dushyant & his wife Smt. Garima W/o Sh. Jitender Gupta from all their moveable & immoveable properties & broken all relations with them as all of them are out of control and creating trouble to my above said clients. If any body dealing with them. He / she shall be responsible for the same at his / her own risks and consequences. My clients shall not be responsible for the same whatsoever, in any manner.

S.P. Singh (Advocate)
Ch. No. 135, Patiala House Courts New Delhi-01

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I GOVIND SINGH RANA S/o Late Sh. Netra Singh Rana, residing at C-2/96, Lodhi Colony, New Delhi-110003, declare that name of mine has been wrongly as GOVIND SINGH in my service record. That actual name of mine is GOVIND SINGH RANA respectively which may be amended accordingly.

अदालती सूचना

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)
CS (OS) 666/2018
Jagwinder Singh Khurana & Anr. ... Plaintiffs
VERSUS
Smt. Tejinder Kaur Baweja & Anr. ... Defendants
To
Defendants Nos.
1. Smt. Tejinder Kaur Baweja W/o Iqbal Bahadur Singh Baweja
2. Sh. Parmeet Singh Baweja, S/o Iqbal Bahadur Singh Baweja
Both Residents of: J-13/18, Rajouri Garden, New Delhi-110027
Also at: M/s PSB Electronics J-12/1, Rajouri Garden, New Delhi-110027

Whereas the plaintiff above mentioned has instituted a **SUIT FOR SPECIFIC PERFORMANCE** against you, the above named defendants & whereas Hon'ble Court issued summons in Suit & injunction in IA No. 17760/2018 on 21-12-2018 and whereas it has been shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this notice is given by publication directing you, the above named defendants to make appearance before the **Joint Registrar (Judicial) of this Court on 31-10-2019 at 11.00 AM**.
Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned, the suit & IA will be heard & determined in your absence.
Given under my hand & the seal of this Court on this the 05-09-2019.

Sd/-
Seal
Assistant Registrar (O)
For Registrar General

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(TESTAMENTARY INTESTATE JURISDICTION)
CITATION U/s 283, INDIAN SUCCESSION ACT, 1925
in the matter of **TEST CASE NO. 58/2016**
HIROO JOHAR & ANR. ...PETITIONERS
VS
STATE & ORS. ...RESPONDENTS
To
All concerned.
In the matter of estate of **Late Smt. Rani Johar, W/o Late Om Prakash Johar, R/o G-65, Nizamuddin West, New Delhi**.
Whereas **(1) Hiroo Johar, W/o Late Yash Johar, R/o 12th and 13th Floor, The Residency, Union Park, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marg, Khar West, Mumbai-400052, (2) Karan Johar, S/o Late Yash Johar, R/o 12th and 13th Floor, The Residency, Union Park Dr. Baba Saheb Ambedkar Marg, Khar West, Mumbai- 400052** has filed a petition under section 276 of the Indian Succession Act, for the grant of Probate in respect of **Will dated 26.01.2000 of Late Smt. Rani Johar, deceased**.
And whereas the aforesaid case is fixed for hearing **on 04.11.2019 at 11.00 AM** before the **JOINT REGISTRAR (JUDICIAL).** This citation is issued, in terms of Section 283 of the said Act to all persons claiming to have any interest in the properties of the said deceased to come to this Court, file objections, if any and take part in the proceedings on the date specified above for the grant of Probate.
Given under my hand and the seal of this Court, in terms of the order dated 17th day of September, 2019.

Sd/-
Assistant Registrar (O)
for REGISTRAR GENERAL
seal ms

PUBLIC NOTICE

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवकिल हरजीत कौर पत्नी श्री नैब सिंह निवासी मकान नंबर बी-206, गली नंबर 39, महावीर एन्क्लेव पार्ट-3 उत्तम नगर नई दिल्ली-59 ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पति से अपने छोटे पुत्र गुरप्रीत सिंह उनकी पत्नी निशा अवं अपने पोते गुरयांश को बेदखल कर दिया है क्यूंकि ये लोग मेरी मुविकल का कहना नहीं मानते अपनी मनमानी करते है। जो भी व्यक्ति इनसे कोई सम्बन्ध रखता है या कोई लेनदेन करते है तो वह सवयं जिम्मेदार होगा!

Praveen Rastogi(Adv.)
Enrol No-D/244/06

PUBLIC NOTICE

This is to inform general public that my clients Sh. Dina Nath Ram S/o Sh. Birbal Ram & Smt. Dropati W/o Sh. Dina Nath Ram, both R/o H.No. H-170, Gali No. 16, Block-H, Sangam Vihar, New Delhi-110080, have disowned their son namely Manoj Kumar Sharma & his wife Smt. Ruby Vishwakarma @ Ruby, from all their properties (Moveable & immoveable) from today onwards & severed all relation from them. Anybody deals with them then it will be his/her/ their own risks & costs & my clients will not be liable for any act of their son & his wife, as aforesaid son & his wife of my clients are not under the control of my clients.

Md. Riyaz Ahmad Ali (Advocate)
Bar Library Room, Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT **SH. HARISH KUMAR MALIK** S/O SH. VISHAN DAS R/O C-38, PINK CGHS LTD., SECTOR- 13, ROHINI, DELHI- 110085 IS THE OWNER OF **SOCIETY BUILT-UP FLAT BEARING NO. C-38, SITUATED AT PINK CGHS LTD., PLOT NO. 1/2, SECTOR-13, ROHINI, DELHI- 110085** AND HE HAS MISPLACED/LOST THE ORIGINAL SHARE CERTIFICATE RECEIPT AMOUNTING RS 100/- WHICH WAS ISSUED BY THE SOCIETY AGAINST MEMBERSHIP NO. 41/126 & HAVE LODGED A FIR/NCR VIDE L.R. NO 1675359/2019 DATED 03.10.2019, WITH POLICE STATION, CRIME BRANCH, DELHI. IF ANY BODY FIND THE SAID DOCUMENT PLEASE INFORM HIM AT THE ABOVESAID ADDRESS OR PH. NO.:- 9868154569.
IF ANY OTHER CLAIMENT HAS ANY RIGHT IN THE AFORESAID PROPERTY, HE/SHE SHOULD FILE AN FIR & GIVE INTIMATION TO SOCIETY/RCS/DDA(GH) WITH IN 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE OF THIS NOTICE.

Sd/-
RENU BALA (Advocate)
Enrl. No. D/4533/2014

सार्वजनिक सूचना

मैं विनोद कुमार ऐडवोकेट रजिस्ट्रेशन न.-डी /1139/2016 सर्व साधारण को सूचित करता हूँ की मेरे मुवक्किल ज्ञान चंद पु. हरलाल निवासी - डब्ल्यू. पी.-429, गाँव वजीरपुर, थाना अशोक विहार, दिल्ली-52, ने अपने पुत्र अंकित बत्रा एवं पुत्रवधू शैली को उनके असामाजिक आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है।

Vinod Kumar
(Advocate)
H-167, Gamma - 2, Greater Noida, Gautam Budh Nagar

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्री जसवंत सिंह S/o स्व. मुकंद सिंह R/o WZ-157-A, गुलाब बाग, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 ने अपने पुत्र श्री तजिंदर सिंह और पुत्र वधु श्रीमती प्रभजोत कौर को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है व अपने सारे सम्बन्ध विछेद कर लिए है। उनका किसी से किसी भी प्रकार का कोई लेना या देना है या भविष्य में होगा तो मेरे मुवक्किल व उनका परिवार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

Mohinder Dhawan (Advocate)
D-643/97 (R), Bar Room No. 3,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Mr. Roydal I. Simon, S/o Late S.R. Simon, purchase/owner of flat no. A-405, Navin CGHS Ltd. Plot No.13, Sector-5, Dwarka, New Delhi has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold Vide File No. F-8(53418)2019/GH in DDA. The original documents i.e. Share Certificate, Allotment Letter & Possession Letter of the above said flat has been lost. **An NCR/LR No. 1038965/2019 dated 10/05/2019** to this effect has been lodged in P.S. Crime Branch, Delhi. Any person(s) claiming any right, interest having any objections or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No. 9871593100 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (GH) or Director (GH) C Block, 2nd Floor, Vikas Sadan, New Delhi.

Naveen Aggarwal, Advocate
Ch.No. 7, Tis Hazari Court, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Yatinder Kumar S/o Late Gobind Ram R/o Block AB-18, Shalimar Bagh, Delhi-110088 Allottee/Purchaser of Plot No. Block AB-18, Shalimar Bagh, Delhi-110088 has applied for conversion of the aforesaid Plot from Lease hold to Freehold in DDA. The original documents DDA Demand Letter, Possession Letter D-Form issued by DDA of above said Plot has been Lost. An FIR on this effect has been lodged vide LR No. 1632191/2019 dated 25.09.2019.
Any person claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with the above named person at above Address/ Phone No. 9999504949 within 15 days from the date of Publication of this Notice or Write to Dy. Director (LAB) Residential C-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.

PUBLIC NOTICE

My client Jaswant Kaur W/o Late Rajinder Singh R/o A-36, Second Floor, Shivaji Vihar, Tagore Garden, Delhi-110027, has severed all her relations and disowned his son Sukhvinder Singh, daughter-in-law Preet Kaur and Grand children Sehaj Kaur and Manas Singh from all her moveable and immoveable properties and assets with immediate effect. Anybody dealing with them in any manner whatsoever shall be doing so at his/her own risk, cost and responsibility. My client will not be responsible for the same.

Neetu Sethi (Advocate), Seat No.36, Bar room no.2 P.P. Grover Block, Tis Hazari Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is for information of general public that my Client Smt. Kiran Lata W/o Sh. Mahender Pal R/o A-2/53, Near Gandhi Chowk, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-59 has debarred & disowned her son Pankaj & daughter-in-law Shilpi from all her movable & immovable properties because they are out of control of my client. Anybody dealing with him shall do so at his own risk & responsibility.

Adv. Virender Kumar
227, Authority Building, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client **MR. MAHESH KUMAR S/O SH. KUNDAN LAL & SMT. REKHA W/O SH. MAHESH KUMAR BOTH R/O D-371, SHAKUR PUR, J.J. COLONY, DELHI- 110034** have been left/debar all relations from their son namely **SH. PRASHANT** & his wife SMT. UMA & their children, due to their misbehavior, from their all movable and immovable properties. Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

Sd/-
SURENDER KUMAR (ADVOCATE)
Enrl. No. D/152/88

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client namely Sh. Amar Singh S/o Ramji Lal and his wife Smt. Asha both R/o E-1/215, Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, South Delhi-110062, have disowned, debarred their son namely Lalit Kumar R/o E-1/215, Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, South Delhi-110062, his wife (with family) from all their moveable and immoveable properties because they are out of control of my clients. My clients have severed all relations with them. Anyone dealing with them may do so at his/her own risks, costs and consequences.

A.K. Jha, Advocate
Ch. No. 462, Lawyers Chamber, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054, Mob. 8459760449

PUBLIC NOTICE

This is to inform to public at large that Shri. Gulshan son of Late Satish Kumar Meena R/o 734, 3rd Floor, Pocket-6, Sector-2, Rohini New delhi-110085 has lost the original provisional allotment letter no. 20691/ 403102/AMN 0020208 dated 09.03.2019 and original payment receipt no. 20691/ 403102/AMN 0020208 Dated 09.03.2019 alongwith Brochure of the aforesaid property which is situated at Jaypee Greens, sector 151, Greater Noida U.P. Whosoever found these documents, shall be praised in terms of money as well as obligation throughout the life.

Sd/-
(MOHIT KUMAR) Advocate
Ch. No. 366, Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

I, HARI SINGH S/O SURJAN SINGH R/O BADLI VILLAGE DELHI- 110042 lost four signed blank cheques of cheque books of year 2011, 2014 and 2015 issued by Bank of Baroda, Badli Branch under Account No. 21360100010173 during shifting of furniture at my place. I will not be responsible of any liability arising out of misuse of said cheques.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my clients Sh. Sahib Chand Singhal son of Sh. Hans Raj Singhal, resident of H-124, Shivaji Park, West Punjabi Bagh, Delhi and other are negotiating with (1) Smt. Pushpa Rani wife of Sh. Dhare son of Sh. Lakhi Ram and (2) Sh. Rajender son of Sh. Jeet Ram son of Sh. Tej Ram, resident of Village Dulhera, Tehsil Badli District Jhajjar, Haryana, to purchase the Land measuring 4 Kills bearing Khewat No.793 min/617 min Khatauni No.855 Mustail No.72//3 min, 4 min, 7 min and 5 min of Village Dulhera, Tehsil Badli District Jhajjar, Haryana, who claims the absolute owner of the same.
All persons having any claim or demand or rights in respect of or against the above said land/property or any part or portion thereof by way of Agreement to sell, inheritance, share, sale, transfer, assignment, private mortgage, gift, exchange, possession, covenant, easement or otherwise howsoever, is hereby required to make the same known in writing with documentary proof to the undersigned at my office within ten days from the date of publication hereof, failing which the claim of such person(s), if any, will be treated as null and void and will not have any legal & any other sanctity and not binding on my clients and the proposed transaction of purchase of the said property shall be completed without any reference to such claim(s).

PARVEEN GARG (Advocate)
Enrol.No.D/713/86
26, RU-26, Pitampura, Delhi-34
Mob.9810039884

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
HURRY UP BEFORE THE BATCH GETS FULL!!!!!!!
LIMITED SEATS EVENING BATCH FOR JUDICIARY ASPIRANTS NOW AT MUKHARJI NAGAR ON CONSTANT AND INEVITABLE DEMAND OF THE ASPIRANTS.
BATCH STARTS 25 NOVEMBER TIME 3:30-7:30
DJS MAINS TEST SERIES
Just after test there will be discussion on answer
3 Oct. Civil Law-I | 5 Oct. Civil Law-II
7 Oct. Criminal Law | 9 Oct. G.K. & Language
REGISTRATION FREE
MUKHERJEE NAGAR: JUDICIAL FOUNDATION 17 OCT. WEEKEND 20 OCT. CLAT 5 OCT. 880066-0301 / 2130 / 0380
KAROL BAGH / PUSA ROAD: JUDICIAL 16 OCT. IAS (LAW) 14 OCT. CLAT 7 OCT. 880066-2140 / 011-49841810
B-10, 1st Floor, Above Maharashtra Bank, Mukherjee Ngr, Delhi -9
011-47532639 / 8800660301 Toll Free No. 1800-12000-2001
www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

गुरु को पकड़ने निकला चेला

वार

रेटिंग– ★★★

निर्देशक– सिद्धार्थ आनंद

कलाकार– रितिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर, आशुतोष राणा।

वैसे तो गांधी जयंती के दिन 'वार' नाम की फिल्म का रिलीज होना कुछ अजीब लगता है क्योंकि ये अहिंसा का दिन है। पर निर्माता–निर्देशकों को लगता है कि यह छुट्टी का दिन है इसलिए बंपर कमाई होगी। हो सकता है कि इसका फायदा भी फिल्म को मिले। 'वार' धांसू एक्शन फिल्म है। इसमें ऐसे जानदार और शानदार एक्शन सीन है जो देखने वालों की सांसें अटका दे। मगर देखने वाले से आप पूछें कि इसकी कहानी क्या है, तो वह दो मिनट में जिस तरह निपटाएगा, वह कुछ इस तरह होगा।

एक है कबीर (रितिक रोशन) भारतीय खुफिया तंत्र का एजंट। बड़ा होशियार। समझ लीजिए कि एकदम जेम्स बांड है बंदा। देखने में खूबसूरत। लड़कियां और औरतें रीझ ही जाए इस शख्स पर। और कबीर भारतीय खुफिया एजंसी का लाडला है। लेकिन जैसा कि होता रहा है मां के लाडले बिगड़ते रहते हैं उसी तरह खुफिया एजेंसी का लाडला बिगड़ जाता। वह अपने ही कुछ लोगों को ठिकाने लगा देता है। अब एजंसी खालिद (टाइगर श्रॉफ) नाम के दूसरे एजंट को उसे पकड़ने भेजती है। खालिद भी बेहद एक जांबाज एजंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कबीर का चेला रह चुका है। यानी खुफियागिरी के गुर उसे कबीर ने ही सिखाए है। क्या वह कबीर को पकड़ पाएगा। यहां निर्देशक की पूरी कोशिश यह है कि कबीर कैसे भागेगा और खालिद कैसे पकड़ेगा। ऐसा इस वजह से है कि ये फिल्म हॉलीवुड की उस तरह की फिल्मों पर आधारित है जिसे अंग्रेजी में 'चेज एंड रन' एक्शन फिल्म कहते हैं। भागने वाला कभी मोटरसाइकिल से भागेगा, कभी कार से तो कभी हेलिकॉप्टर से। ऐसे में इन सब पर एक्शन होंगे। तो यहां तो कोई शक नहीं कि इस लिहाज से 'वार' बॉलीवुड की एक बेमिसाल फिल्म है। अब तक की। यह अलग से कहने कि जरूरत भी नहीं है कि ऐसे सांस रोकने वाले दृश्यों के लिए हॉलीवुड के विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। रोशन और श्रॉफ – दोनों हिंदी फिल्मों के ऐसे हीरो है जो एक्शन के लिए मशहूर रहे है और इस फिल्म में वे दोनों कमाल के लगे है। वैसे तो रोशन कि भूमिका एंटी– हीरो की है।

मगर यह भी स्वीकार करना होगा कि वे बतौर एंटी – हीरो भी हीरो ही लगते हैं। 'धूम–२' में ऐसा ही हुआ था। यहां भी वैसा ही है। अब आखिरी सवाल ये है कि वाणी कपूर का इस फिल्म में क्या काम है। इसका उत्तर यही है कि लंबे–लंबे उपन्यासों में भी कुछ जगहों पर भरती के दृश्य लिखे जाते हैं। वैसा इस फिल्म में भी हुआ। वाणी बहुत कम दृश्यों में है। बीच बीच में रोमांस का तड़का लगाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ है। सिद्धार्थ आनंद की यह फिल्म गांधी जयंती पर सुभाष चंद्र बोस की याद दिलाती है।

मुख्यमंत्री का युवाओं के लिए बड़ा फैसला

दिल्ली को मिलेगा खेल विश्वविद्यालय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

● मुंडका में 90 एकड़ जमीन पर होगा तैयार
● मंत्रिमंडल ने खेल विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में एक खेल विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया है। अब किक्रेट, फुटबॉल समेत अन्य खेलों में भविष्य बनाने के लिए युवाओं को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। इस विश्वविद्यालय में खिलाड़ी विभिन्न खेलों की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और उन्हें मास्टर डिग्री व स्नातक डिग्री भी मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला है। जल्द ही खेल विश्वविद्यालय विधेयक को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह युवाओं के लिए देश का सबसे बेहतरीन खेल विश्वविद्यालय होगा। ऐसे विश्व विद्यालय देश के कुछ राज्यों में हैं लेकिन दिल्ली सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है, वह इसे सभी राज्यों से अलग बनाएगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक वित्तीय विधेयक है, इसलिए इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पूर्व उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए। अगले सप्ताह विधेयक को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र से पहले यदि उपराज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों में हमेशा भविष्य की चिंता रहती थी कि अगर खिलाड़ी सफल नहीं होता है, तो वह कोई और काम नहीं कर सकता था, लेकिन यह विश्वविद्यालय खुल जाने से खिलाड़ी अपने संबंधित खेलों में डिग्री हासिल कर सकेंगे। इस पहल से खिलाड़ी अपने खेल में भी ध्यान देंगे और देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र **"जे एंड जे ग्लोबल सोर्सिंग एलएलपी"** द्वारा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के विषय में जारी **जनसत्ता 26 सितंबर, 2019** अंक में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है।
इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि असावधानीवश उक्त विज्ञापन में एक त्रुटि हुई है, जिसके फलस्वरूप नीचे कृते एवं के लिए कम्पनी का नाम **"जे एंड जे ग्लोबल सोर्सिंग एलएलपी"** के स्थान पर "जे एंड जे इंडिया सोर्सिंग एलएलपी" प्रकाशित हुआ है।
अतः, कृपया निम्नलिखित शुद्धि नोट करें :
शुद्धि :
विज्ञापन में नीचे कृते एवं के लिए कम्पनी का नाम "जे एंड जे इंडिया सोर्सिंग एलएलपी" के स्थान पर **"जे एंड जे ग्लोबल सोर्सिंग एलएलपी"** पढ़ें।
शेष सूचना यथावत रहेगी।
असुविधा के लिए खेद है।

'2000 से 2018 के बीच 65 पत्रकारों की हत्या'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

देश में प्रेस की आजादी पर हमलों के विवरण देती किताब 'साइलेंसिंग जर्नलिस्ट्स इन इंडिया' का विमोचन गुरुवार को किया गया। इस अध्ययन में 2000 से 2018 तक की अवधि में पत्रकारों पर जानलेवा हमलों का लेखा–जोखा है। किताब के मुताबिक इस दौरान कुल 65 पत्रकारों की उनके लेखन की वजह से हत्याएं हुईं जिनमें सबसे ज्यादा 12 पत्रकारों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई। हाल ही में 'गौरी लंकेश पत्रिके' की संपादक गौरी लंकेश की बंगलुरु में उनके घर के सामे गोली मार कर हत्या कर दी गई थी तो दूसरी तरफ राइजिंग कश्मीर के संपादक आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो गए। 'साइलेंसिंग जर्नलिस्ट्स इन इंडिया' नामक इस स्टडी को मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स, मुंबई प्रेस क्लब, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, बृहमुंबई पत्रकार यूनियन और मीडिया स्टडीज ग्रुप के साथ मिल कर प्रकाशित किया है। अध्ययन में बारह राज्यों के 31 उन पत्रकारों की भी जानकारी दी गई है जिन पर उनके लेखन की वजह से मुकदमा चल रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

सार्वजनिक सूचना

द्वारका से नज़फगढ़

ग्रे लाइन (लाइन–9) के खण्ड पर जनसाधारण के लिए यात्री सेवाओं का परिचालन **4 अक्टूबर, 2019 (शुक्रवार)** को **सायं 5:00 बजे से** आरम्भ होगा।

द्वारका — नगली — नजफगढ़

हमें फॉलो करें: @officialDMRC | दिल्ली मेट्रो रेल ऐप
www.delhimetrorail.com | डीएमआरसी हेल्पलाइन नं 155370

DELHI METRO
मेरा मेट्रो

विज्ञापन सं. डीएमआरसी/846/2019

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: रामगंगा विहार, मुरादाबाद
क्षेत्रीय कार्यालय: 18 संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, गाजियाबाद (उ0प्र0) फोन–8192805245, 8192805246
फैक्स नं0– 0120–2783333 E-Mail : rmgzb@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का कमांक 54) के अन्तर्गत प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

शाखा का नाम	ऋणी (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	कब्जा की तारीख	नीलामी का दिनांक, समय व स्थान
माधवपुरम, मेरठ	**ऋणी:** श्री वेद प्रकाश दुबे पुत्र श्री संगम लाल दुबे **सहऋणी:** श्रीमती ममता दुबे पत्नी श्री वेद प्रकाश दुबे **गारन्टर:** श्री इन्द्रजीत मखीजा पुत्र श्री शिवव्रत मखीजा (9154NC00003203)	फलेट नं. T-18, प्लाट सं0 A-45 – A-46 प्रताप विहार नूर नगर, मेरठ। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय मेरठ के बही सं0 1, जिल्द सं0 10589 पृष्ठ सं0 277–310 क0 सं0 7407 दिनांक 24.06.2015 पर दर्ज है।	रु. 1122071/– ब्याज 01.01.2018 से + अन्य खर्चे – वसूली यदि हो तो	Rs. 936000/-	Rs. 93600/-	09-07-18	दिनांक : 19.10.2019 समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक स्थान: प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, माधवपुरम। पता: सी.142/2, सेक्टर 2 राजकिय इण्टर कॉलेज माधवपुरम मेरठ।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण / अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।
नियम एवं शर्तें : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेंगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, शाखा माधवपुरम, के पक्ष में देय भुगतान आदेश / माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई0एम0डी0) के रूप में शाखा प्रबन्धक माधवपुरम दूरभाष क्रमश: 8192805154, 9412452004 के पास दि0 18.10.2019 तक प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक जमा करना होगा। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश / माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एम0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोली कर्ताओं की ई0एम0डी0 नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल / टैक्स / बिजली / पानी / अन्य प्रभार ड्यूटीय एवं कर जो भी होगें भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा

प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 03.10.2019 स्थान : गाजियाबाद प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केंन्द्र सरकार/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कम्पनी'') जिसका पंजीकृत कार्यालय है: देयोर कैम्पस, 6109, डीएलएफ फेज–IV, गुड़गाँव–122002, हरियाणा, के मामले में –आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 3 अगस्त, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजी. कार्यालय:
देयोर कैम्पस, 6109, डीएलएफ फेज–IV, गुड़गाँव–122002, हरियाणा
बोर्ड के आदेश से
जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
निशा कुमारी
कम्पनी सचिव
एम.नं. एसीएस 44218
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 3 अक्टूबर, 2019

"फॉर्म सं. आईएनसी–25ए"
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
उत्तरी क्षेत्र
कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मैसर्स भगत जसवंत सिंह रैफ्रिजरेशन एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CIN: U74899HR1932PLC001682) जिसका पंजीकृत कार्यालय भगत जसवंत सिंह मार्ग, अंबाला सिटी, हरियाणा 134003 में हैं के मामले में
......आवेदक
आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 एवं उपरोक्त नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छुक हैं, जिसके संदर्भ में सोमवार 30 सितम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है तो वह शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:
पंजीकृत कार्यालय का पूरा पताः
भगत जसवंत सिंह मार्ग, अंबाला सिटी, हरियाणा 134003
कृते और उनकी ओर से
भगत जसवंत सिंह रैफ्रिजरेशन एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता./–
भगनदीप सिंह
Din: 00408403
निदेशक
स्थानः अंबाला
तिथिः 01.10.2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK
एनएचपीसी कॉम्प्लैक्स, 1ला एवं 2रा तल, फर्स्ट बिल्डिंग (मैन गेट के निकट), सेक्टर– 33, (आईओबी एनएचपीसी शाखा– 1501 के ऊपर, फरीदाबाद) जिला फरीदाबाद, पिन कोड– 121003, राज्य हरियाणा

चल/ अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 6 (2)/ 8 (6) के प्रावधान के अन्तर्गत] मेगा ई–नीलामी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2)/ 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल/ अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

शाखा का नाम एवं सम्पर्क व्यक्ति का विवरण	खाता का नाम खाता नं. आईएफएस कोड	एनपीए तिथि	मांग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना में मांग की गई बकाया	सांकेतिक कब्जा की तिथि एवं कब्जा सूचना में मांग की गई बकाया	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि
फरीदाबाद (192) श्री डी.के. पुरी, सहा. महाप्रबंधक, मोबा.नं.– 9004979178, 0129–2415202	गोपाल कृष्ण कालरा, नीलम कालरा, खाता नं. 01920113301010, आईएफएससीः IOBA0000192	31.12.2017	2.1.2018 रु. 118129903.81 तथा उस पर आगे ब्याज एवं अन्य चार्जेज	13.3.2018 रु. 118129903.81 तथा उस पर आगे ब्याज एवं अन्य चार्जेज	श्री गोपाल कृष्ण कालरा एवं श्रीमती नीलम कालरा के स्वामित्व में 2रे तल, ई–92, मस्जिद मोठ, जीके–III, नई दिल्ली–110048 में स्थित सम्पत्ति, मूल रूप से एचएसबीसी बैंक से ली गई गृह ऋण के बकाये को प्रतिभूत करने के लिये मुख्य प्रतिभूति के रूप में टीपीए, 1882 की धारा 58 (एफ) के अंतर्गत इक्विटैबल मार्टगैज पद्धिति द्वारा चार्ज्ड, माप 264 वर्ग मी., स्वामीः श्री गोपाल कृष्णा कालरा एवं श्रीमती नीलम कालरा	402.00 लाख (तथा 1% टीडीएस) 40.20 लाख 1 लाख
फरीदाबाद (192) श्री डी.के. पुरी, सहा. महाप्रबंधक, मोबा.नं.– 9004979178, 0129–2415202	लक्ष्मी नारायण एंड सन्स, खाता नं. 01920113301010, आईएफएससीः IOBA0000192	31.3.2016	16.5.2016 रु. 29002453/– तथा उस पर आगे ब्याज एवं अन्य चार्जेज	15.2.2018 एवं 3.8.2018 रु. 29002453/– तथा उस पर आगे ब्याज एवं अन्य चार्जेज	1. एच.नं. 79, ब्राह्मण बाड़ा, मैन बाजार के निकट, वार्ड नं. 5, अग्रसेन चौक, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पिन– 121004, क्षेत्रफल 117 वर्ग यार्ड्स। स्वामीः श्री सुभाष चन्द, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	54.92 लाख (तथा 1% टीडीएस) 5.49 लाख 1 लाख
					2. शॉप नं. 7 ए, मार्केट नं. 1 हनुमान मंदिर के निकट, एनआईटी, फरीदाबाद–121001, 18 वर्ग यार्ड्स। स्वामीः श्री सुभाष चन्द, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	68.68 लाख (तथा 1% टीडीएस) 6.86 लाख 1 लाख
रोहतक गोहना रोड (3293) श्री हेमन्त कुमार शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.– 9897717119	अजीत सिंह, अंजली/ खाता नं.– 32930113301010 आईएफएससी– IOBA0003293	30.6.2017	11.7.2017 रु. 2084381.80 के साथ अनुबंधित दर एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि भुगतान की तिथि तक	12.10.2017 रु. 2156785.80 के साथ अनुबंधित दर एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि भुगतान की तिथि तक	श्रीमती अंजली, पत्नी अजीत सिंह, फ्लैट नं. 14–ए, आशीर्वाद एन्क्लेव, करतारपुरा, इन्दिरा कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा–124001, स्वामीः श्रीमती अंजली सिंह, एरिया–72.33 वर्ग यार्ड्स, 60.48 वर्ग मीटर, **स्वामीः श्रीमती अंजली, पत्नी श्री अजीत सिंह**	13.94 लाख 1.39 लाख 10000
रोहतक गोहना रोड (3293) श्री हेमन्त कुमार शाखा प्रबंधक सम्पर्क नं.– 9897717119	राजवन्ती, मंजीत पंचाल खाता नं.– 32930113301010 आईएफएससी– IOBA0003293	31.3.2017	18.4.2017 रु. 2584548.80 के साथ अनुबंधित दर एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि भुगतान की तिथि तक	11.7.2017 रु. 2584548.80 के साथ अनुबंधित दर एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज, चार्जेज आदि भुगतान की तिथि तक	श्रीमती राजवन्ती, पत्नी श्री मंजीत पंचाल, पताः सम्पत्ति सं. 96/29, किल्ला नं. 177 का भाग, मौजा पैरा, जसवीर कॉलोनी, रामबाग मंदिर के निकट, शीला बाई पास, रोहतक, हरियाणा–124001, मूल्यांकन तिथिः 8.5.2019 एफएमबीः रु. 24.32 लाख एवं एफएसवीः रु. 20.67 लाख, **स्वामीः श्रीमती राजवन्ती, पत्नी श्री मंजीत पंचाल**	20.67 लाख 2.06 लाख 10000
सोनीपत (2721) श्री एस.सी. झा शाखा प्रबंधक मोबाईल नं. 9466902942	मै. पीयूएनके/ खाता नं.– 27210113301010 आईएफएससी– IOBA0002721	30.6.2017	9.8.2017 रु. 1172841.72 के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज एवं चार्जेज आदि	29.1.2018 रु. 1219657.71 के साथ 1.11.2017 से अनुबंधित दरों एवं रेस्ट्स पर आगे का ब्याज एवं चार्जेज आदि	1) सम्पत्ति सं. 330 ईबीआई, रिशी नगर, सोनीपत, हरियाणा के सामूहिक सीढ़ी भाग के साथ 18 वर्ग यार्ड्स की माप में शॉप नं. 206, माप 18 वर्ग यार्ड्स, कवर्ड एरिया 162 वर्ग फीट, बिना ग्राउण्ड एवं ऊपरी क्षत के अधिकार के **स्वामीः श्रीमती विद्या देवी, पत्नी लाल सिंह पॅवार**	6.00 लाख 0.60 लाख 10000
					2) सम्पत्ति सं. 330 ईबीआई, रिशी नगर, सोनीपत, हरियाणा के सामूहिक सीढ़ी भाग के साथ एरिया 16.30 वर्ग यार्ड्स में शॉप नं. 208, माप 16.30 वर्ग यार्ड्स, कवर्ड एरिया 146 वर्ग फीट बिना ग्राउण्ड एवं ऊपरी छत के अधिकार के, **स्वामीः श्रीमती विद्या देवी, पत्नी लाल सिंह पॅवार**	6.00 लाख 0.60 लाख 10000
पानीपत (1297) श्री अमिय पंकज (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 9198540903, 9140049806	प्रगति एग्रो फीड एंड फार्म्स (पी) लि. खाता नं.– 129702000001297 आईएफएससी– IOBA0001297	31.3.2016	3.5.2016 रु. 8083244/– तथा उस पर ब्याज	9.8.2016 रु. 8083244/– तथा उस पर ब्याज	श्री वीरेन्द्र सिंह, पुत्र सतबीर सिंह के स्वामित्व में तरफ इन्सार, असन्श रोड, पानीपत–132103, एरिया 670 वर्ग यार्ड्स में स्थित खसरा नं. 2729/2 (10–7), 5885/2727–2728 (8–17) में शामिल भूमि एवं भवन, माप 670 वर्ग यार्ड्स 268/760 शेयर 13 बिसवा 8 बिसवानी, भूमि माप 19 विघा 4 बिसवा का।	110.00 लाख (तथा 1% टीडीएस) 11 लाख 10000
पानीपत (1297) श्री अमिय पंकज (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 9198540903, 9140049806	एस.के. ट्रेडर्स खाता नं.– 129702000001297 आईएफएससी– IOBA0001297	30.6.2016	11.7.2016 रु. 11691179/– तथा उस पर ब्याज	19.6.2016 रु. 11691179/– तथा उस पर ब्याज	श्री बाल किशन बत्रा, पुत्र श्री रामरखा बत्रा (66.66 वर्ग यार्ड्स) तथा श्री राजकुमार बत्रा, पुत्र श्री रामरखा बत्रा (283.33 वर्ग यार्ड्स) के स्वामित्व में सम्पत्ति का इक्विटैवल मार्टगैज जो खसरा नं. 295/1 मिन, वाका पट्टी मखदूम जडगन का भाग है, सम्पत्ति सं. 561–ए/16, बाका आबादी, मट्टा चौक के निकट, मैन रोड, एमसी लिमिट पानीपत के भीतर, क्षेत्रफल–350 वर्ग यार्ड्स।	74.00 लाख (तथा 1% टीडीएस) 7.40 लाख 10000
पानीपत (1297) श्री अमिय पंकज (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 9198540903, 9140049806	अंश पॉल्ट्री फीड्स खाता नं.– 129702000001297 आईएफएससी– IOBA0001297	30.6.2015	28.8.2015 रु. 6406354/– तथा उस पर ब्याज	6.6.2016 रु. 6406354/– तथा उस पर ब्याज	श्रीमती कृष्णा देवी, पत्नी श्री चंद, 2. श्रीमती ज्योति, पुत्री श्री चंद, 3. श्री विशाल सिंह पुत्र श्री राम कुमार एवं श्री वतन सिंह, पुत्र श्री चंद, एरिया 12 के 16 एम अथवा 1.6 वर्ग एड़क के स्वामित्व में भूमि तथा भवन जो खेवत नं. 541/446, खतोनी नं. 699, रेक्ट. नं. 59, किल्ला नं. 13 (8–0), 14 (8–0), वाका ग्राम, उगरा खेरी, तहसील एवं जिला पानीपत का भाग है।	109.00 लाख (तथा 1% टीडीएस) 10.90 लाख 10000
पानीपत (1297) श्री अमिय पंकज (मुख्य प्रबंधक), मो. नं. 9198540903, 9140049806	मै. सनराइज ट्रांस इंडिया खाता नं.– 129702000001297 आईएफएससी– IOBA0001297	8.5.2018	9.5.2018 रु. 9255811.99/– तथा उस पर ब्याज	10.7.2018 रु. 9255811.99/– तथा उस पर ब्याज	श्री संदीप कुमार, पुत्र श्री जगबीर सिंह के स्वामित्व में ग्राम मछरौली, तहसील समलखा, जिला पानीपत 166.78 वर्ग यार्ड्स में प्लॉट नं. 731, सेक–25, पार्ट–II, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुडा'ज डेवलपमेन्ट, पानीपत–132103, स्वामी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री जगवीर सिंह।	62.00 लाख (तथा 1% टीडीएस) 6.20 लाख 10000

* स्थानीय शासन की ओ/एस देयता (सम्पत्ति कर, वाटर टैक्स आदि/ ज्ञात अधिभार, यदि कोई होः ज्ञात नहीं/निल)
* ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 19.10.2019 के 5 बजे अप. तक है।
* निरीक्षण की तिथि एवं समयः 19.10.2019 तक, नीलामी की तिथि एवं समयः 21.10.2019, 10 बजे पूर्वा–5 बजे अप.
* जहां भी लागू हो, आईटी अधिनियम की धारा 194 (आईए) के अंतर्गत 1% कर आरक्षित मूल्य में शामिल नहीं है।
* बिक्री की विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाईट
अर्थात् www.iob.in[https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E-Auction] में दी गई लिंक तथा साथ ही https://iob.foreclosureindia.com देखें।
* उपरोक्त तिथि को ई–नीलामी के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारक/कों तथा गारन्टर/रों मार्टगैजरों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 (1) के अंतर्गत इसे सूचना मानी जाए।

तिथिः 4.10.2019 स्थानः फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

कार्यालय
आयकर आयुक्त (न्यायिक)
कमरा सं. 162–ए, केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली
दूरभाष एवं फैक्सः 23379308, ईमेलः delhi.cit.judicial@incometax.gov.in

फा. सं.– आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी. मामला/2019–20 दिनांकः– 30/09/2019

एन.सी.एल.टी. विषयों के मामलों की सुनवाई से संबंधित नोटिस

एन.सी.एल.टी. विषयों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal), सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष नीचे दी गई तालिका के कॉलम सं. 4 में उल्लिखित तारीखों में सुनवाई के लिए नियत हैः–

क्रम सं.	मामला सं. एवं मामला शीर्षक	पिछले ज्ञात निदेशकों के नाम	सुनवाई की अगली तारीख
1	अपील सं. 659/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 17(3), नई दिल्ली बनाम आर.ओ.सी. (मनी मंत्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड पैनः AAHCM1510H) पंजीकृत कार्यालयः ए–139/2, शिव मंदिर गली, मंडावली, फाजलपुर, दिल्ली–110092	1. श्री मनोज चौधरी (डी.आई.एन.: 03504791) 2. सुश्री सीमा चौधरी (डी.आई.एन.: 03504805)	17.10.2019
2	अपील सं. 636/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 16(2), नई दिल्ली बनाम आर.ओ.सी. (मलकपुरिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पैनः AAFCM2883F) पंजीकृत कार्यालयः303, गुरू अमर दास भवन, 78, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019	1. सुश्री अंजली गर्ग (डी.आई.एन.: 00043449) 2. श्री आंनद स्वरूप गुप्ता (डी.आई.एन.: 00692641) 3. श्री राजन गर्ग (डी.आई.एन.: 00902976)	16.10.2019
3	अपील सं. 667/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 17(3), नई दिल्ली बनाम आर.ओ.सी. (मैसर्स मॉर्फेस ट्रेवल एंड लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड पैनः AADCM9116D) पंजीकृत कार्यालयः 101 ज्योति शिखर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058	1. हेम चंद्र झा (पैनः AGUPJ1746J) 2. मीनाक्षी झा (पैनः AGXPJ8355J)	24.10.2019
4	अपील सं. 628/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 16(2), नई दिल्ली बनाम आर.ओ.सी. (महालक्ष्मी क्रेसेक प्राइवेट लिमिटेड पैनः AADCM7111L) पंजीकृत कार्यालयः 123, अंतरिक्ष भवन 16, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001	1. श्री अनिल गोयल (डी.आई.एन.: 01429045) 2. श्री दिनेश कुमार (डी.आई.एन.: 01545300)	11.10.2019
5	अपील सं. 550/252/एन.डी./2019 आयकर अधिकारी वार्ड 17(4), नई दिल्ली बनाम आर.ओ.सी. (एम.आर. सेनिट्रीवेयर प्राइवेट लिमिटेड पैनः AAECM9056D) पंजीकृत कार्यालयः ए–3/49 पुश्ता रोड, भजनपुरा, शाहदरा, दिल्ली–110053	1. श्री अशीष शर्मा (डी.आई.एन.: 03169262) 2. श्री सोहित (डी.आई.एन.: 06571258)	16.10.2019

इस संबंध में, इस नोटिस के माध्यम से उपर्युक्त कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों/निदेशकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित मामलों में सुनवाई की उपर्युक्त तारीखों पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान दें कि उपर्युक्त वर्णित तारीखों पर आपके उपस्थित न होने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई होगी और निर्णय लिया जाएगा।

भवदीय
(अमर जीवन)
आयकर अधिकारी
(न्यायिक)–3, नई दिल्ली

davp 15403/11/0014/1920

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	34.8 डि.से.	34.8 डि.से.	33.7 डि.से.	34.8 डि.से.
न्यूनतम	23.8 डि.से.	23.8 डि.से.	23.7 डि.से.	23.8 डि.से.

झमाझम बरसे मेघ, तापमान में गिरावट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में गुरुवार को तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग ने बताया कि यह मानसूनी बारिश नहीं है बल्कि स्थानीय कारकों से पैदा हलचल से हुई है। लोगों ने कुछ जगहों पर ओले गिरने की जानकारी भी दी है हालांकि मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भारतीय मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी प्रमोद कुमार ने कहा है कि मानसून की वापसी अभी नहीं हो रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह दस अक्तूबर के आसपास शुरू होगी लेकिन इसके बावजूद यह मौसमी हलचल हुई हो इसके स्थानीय कारक हैं। राजधानी की हवाओं में व्याप्त नमी व तापमान के कारण दिल्ली के ऊपर सघन बादल बने हैं। विभाग ने गुरुवार को बारिश होने का अनुमान लगाया था। दिन में तो धूप खिली रही लेकिन शाम होते-होते बादलों का घना जमावड़ा बनने लगा और आठ बजते तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश होने लगी।

मौसम विभाग का कहना है कि यह मानसूनी बारिश नहीं है बल्कि स्थानीय कारकों से पैदा हलचल से हुई है

प्रमोद ने बताया कि रात साढ़े आठ बजे तक लोधी रोड वेधशाला में 35.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जबकि पालम में तब तक केवल 20.4 मिलीमीटर बारिश रेकार्ड की गई। इसी तरह से राजधानी के अन्य इलाकों में भी तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के प्रमोद नवे बताया कि अगले दो दिन तक हल्की बूंदाबादी के आसार बने रहेंगें। इस दौरान दिल्ली से सटे गुरूग्राम ,फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोयडा,सोनीपत व आसपास के अन्य इलाकों में भी बारिश हुई। विभाग ने बताया दिन मे तापमान कुछ अधिक था लेकिन रात की बारिश के बाद इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिली। तेज आंधी के साथ मौसम खराब होने पर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर हवाई यातायात करीब आधे घंटे तक प्रभावित रहा।

मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के अलावा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु व कर्नाटक में अच्छी बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि अरब सागर में कम दबाव के क्षेत्र व एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते हवा में नमी का स्तर बढ़ा है। इसके चलते राजस्थान से चली नमी दिल्ली तक पहुंचे व झमाझम बारिश हुई। इस दौरान तापमान में पांच डिग्री से अधिक की गिरावट हुई। विभाग ने कहा है कि बिहार, उत्तर प्रेदश और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिलेगी।

प्याज बिक्री के लिए छह केंद्र खुले

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 अक्तूबर।

प्याज की कालाबाजारी रोकने और निर्धारित से अधिक दाम पर बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में छह बिक्री केंद्र खोले गए हैं, जहां पर थोक भाव, यानी 30 रुपए किलो में सामान्य और 38 रुपए प्रति किलो के आधार पर प्याज खरीद सकते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी विक्रेताओं को आदेश दिया है कि वे प्याज के थोक लिखकर रखें।

प्याज की कालाबाजारी और मंहगे दाम पर बिक्री को रोकने के लिए जिले में फिलहाल छह केंद्र खोले गए हैं ।जहां पर थोक भाव में प्याज बेची जा रही है। जरूरत पड़ने पर बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। गत दिनों सिटी मजिस्ट्रेट की अगुआई में हुई बैठक में अधिक दाम पर प्याज बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

सिसोदिया ने किया सचिवालय में पालनाघर का उद्घाटन

अब अभिभावक अपने बच्चों के साथ बिता सकेंगे ज्यादा समय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

सचिवालय में काम करने वाले अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सचिवालय में काम करने वाली माताओं को अपने बच्चों को अकेले घर पर छोड़ने की समस्या के समाधान के लिए सचिवालय में ही एक पालनाघर स्थापित किया है। इसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस की कोशिशों की शुरुआत के पीछे दिल्ली सरकार का विचार यह था कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने छोटे बच्चों को निजी पालनाघर में भेजना पड़ता है। जिसकी वजह से अभिभावक अपने बच्चों के साथ बहुत कम समय बिता पाते हैं। अब दिल्ली सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को इससे राहत मिलेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब सचिवालय का कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएगा। यह एक शानदार मॉडल है जिसे हर कार्यस्थल पर अपनाया जाना चाहिए। यह कदम बच्चे और मां दोनों के लिए बेहतरीन होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव विजय देव भी उपस्थिति थे। यह पालनाघर सचिवालय के दूसरी मंजिल पर स्थित है उसमें दो फील्डिंग सेंटर है। सोने के लिए दो कमरे हैं, जिनमें चार बिस्तर हैं। एक खेल का कमरा, दो ड्रेसिंग रूम और एक बड़ा सा लिविंग एरिया है भी है।

जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

राष्ट्रवादी जनता पार्टी और नया बिहार फाउंडेशन ने मिलकर जंतर मंतर पर गरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिहार वालों पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आकर स्वस्थ सेवा लेने के बयान पर लोग धरने पर भी बैठ गए।

प्रदर्शन को पूर्व सांसद डॉ अरुण कुमार, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भारती एवं जेपी आंदोलन के नेता विजय सिंह कुशवाहा आदि नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश के लोग अलग अलग कारणों से आते हैं। केजरीवाल सरकार ने बिहार और पूर्वांचल वासियों के लिए जिस प्रकार का बयान दिया वो उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है।

नामी कंपनियों के बोरे में नकली सीमेंट भरकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 3 अक्तूबर।

कई शहरों में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का खुलासा किया है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और उत्तराखंड में एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह पिछले करीब एक साल से नकली सीमेंट को देश की नामी कंपनियों के नए बोरे में भरकर बेच रहे थे। नकली सीमेंट से हुए निर्माण काफी कमजोर हो सकते हैं। लिहाजा गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण ने लोगों से नकली सीमेंट का शक होने पर सुरक्षा के मद्देनजर किसी प्रयोगशाला में जांच करने की सलाह दी है।

पुलिस की छापेमारी के दौरान नकली सीमेंट से भरे हुए 3778 बोरे और करीब नौ हजार खाली कट्टे बरामद हुए हैं। इनके अलावा ग्रेटर नोएडा में हैबतपुर, बिसरख, नॉलेज पार्क व गाजियाबाद के मोरटा शाहपुर में अलग-अलग चार फैक्ट्रियां पकड़ीं गई। कई गोदाम भी मिले हैं, जहां पर नामी सीमेंट कंपनियां अंबूजा, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, बिरला उत्तम, जेके सुपर, श्री सीमेंट, बांगूर, एसीसी आदि के बोरे में नकली सीमेंट भरा मिला। एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि यह गिरोह रेलवे यार्ड से खराब हो चुके सीमेंट को खरीदता था। एनटीपीसी से कोयले की राख और राजस्थान से चूना डस्ट खरीदकर नोएडा व गाजियाबाद स्थित फैक्ट्रियों में ले आते थे। जहां लगे मिक्सर प्लांट में रोजाना करीब एक हजार बोरी नकली सीमेंट तैयार कर लेते थे। इस सीमेंट की सबसे ज्यादा आपूर्ति उत्तराखंड में की जा रही थी। साथ ही नोएडा, दिल्ली व एनसीआर में भी सप्लाई कर रहे थे। उत्तराखंड का शराब कारोबारी आलोक जैन भी वहां नकली सीमेंट बेचने में के कारोबार में लिप्त मिला है। जिसे गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अन्य आरोपी छोटू, राजबीर, संतोष, हरीराज, हरेंद्र भाटी, सुनील कुमार, जयंती प्रसाद, दीपू, सुनील, तालीम और विष्णु हैं। एसएसपी ने बताया कि तीन क्षेत्राधिकारी व चार थानों की पुलिस की टीम ने अलग-अलग छापेमारी करते हुए इस पूरे गोरखधंधे का खुलासा किया है। इसमें मुख्य भूमिका उत्तराखंड के शराब माफिया आलोक जैन की है। उसकी रुद्रपुर में आरएम इंटरप्राइजेज के नाम से सीमेंट फर्म है। इसके साथी सुनील की दिल्ली में अल्फा ट्रेडर्स नाम से पंजीकृत फर्म है। इन्हीं प्रतिष्ठानों के नाम पर ही ये नकली सीमेंट का कारोबार पिछले एक साल से ज्यादा समय से कर रहे थे।

ट्यूशन पढ़ाने वाले पर हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

करावल नगर थाना क्षेत्र के नाले में बीते दिनों बोरे में बंद मिले युवती के शव की पहचान हो गई है। परिजनों ने युवती की शिनाख्त आफरीन (24) के रूप में की है। पीड़ित परिजनों ने युवती की हत्या का आरोप उस ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक पर लगाया है। हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज करते हुए शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया है। शिक्षक से पूछताछ कर हत्या करने के कारणों की वजह पता लगाने की कोशिश जारी है।

उत्तरी-पूर्वी जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आफरीन, बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क इलाके में परिवार के साथ रहती थी। परिवार में पिता रफीक अहमद, मां राबिया बेगम, भाई दानिश और आमिर के अलावा एक शादीशुदा बहन है। पीड़ित परिवार का टेंट का कारोबार है। इन दिनों आफरीन हरियाणा के एक कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रही थी। उसके चाचा अकरम ने बताया कि स्कूल के दिनों में आफरीन शास्त्री पार्क में रहने वाले एक युवक के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बाद में शिक्षक ने इलाके में एक कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। बीती 26 सितंबर को शाम करीब साढ़े सात बजे वह घर से कोचिंग सेंटर जाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद वह गुमशुदा हो गई। परिजनों ने उसे बहुत तलाशा मगर उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में परिजनों शास्त्री पार्क थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई।

इसी बीच पुलिस को 29 सितंबर को करावल नगर इलाके में एक नाले में एक युवती का शव मिला। शव के सड़ी-गली हालत में होने के कारण शिनाख्त करने में दिक्कत हो रही थी। साथ ही कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं मिला था, जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने इस परिवार को भी शव की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। बुधवार को बहन और छोटे भाई ने कान में सुराक, नाक पर तिल और दांतों से उसकी पहचान आफरीन के रूप में हुई। परिजनों की शिकातय के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है।

दोस्तों ने बनाया अश्लील वीडियो, घर में कराई चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

जगतपुरी थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक नाबालिग ने दोस्तों के कहने पर अपने ही घर से करीब दस लाख रुपए के आभूषण और दो लाख रुपए नगदी की चोरी कर डाली। घटना का पता चलने पर जब पीड़ित परिवार उन लड़कों के घर पहुंचा और पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने आभूषण और रुपए लौटाने की बात की। लेकिन करीब एक महीना बीत जाने के बाद भी आभूषण और रुपए वापस नहीं मिलने पर पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती छानबीन में यह पता चला है कि नाबालिग पहले भी घर के सदस्यों की जेब से रुपए चुरा लिया करता था, लेकिन परिवार वाले छोटा बच्चा समझ उसे माफ कर देते थे।

मिली जानकारी के मुताबिक जगतपुरी थाना इलाके में नाबालिग अपने परिवार के साथ रहता है। नाबालिग नशे की लत लगने के बाद बीते दिनों घर में रखे दस लाख रुपए के आभूषण और करीब दो लाख रुपए ले उड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसके स्कूल के पांच दोस्तों ने उसे नशे की लत लगवाई। नशे के लिए वह परिजनों की जेब से रुपए चोरी करता था। ब्लैकमेल करने के मकसद से उसके दोस्तों ने नशे में उसके कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया और कई फोटो खींचे। इसके बाद उससे अपने ही घर में चोरी करवाई। जेवरात और नकदी उसके एक दोस्त की मां के पास रखे हुए हैं।

दोस्त से संपर्क करने पर उसने जेवरात और नगदी लौटाने का वादा किया मगर एक माह बाद भी दोनों चीजें नहीं लौटाईं। इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाबालिग ने साथियों के साथ मिल कर कार चालक को लूटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर एक कार चालक की जमकर पिटाई कर नकदी लूट ली। हालांकि, पीड़ित ने आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया है और उसके साथियों की तलाश कर रही है। पीड़ित कार चालक ऋषभ के बयान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक चालक ऋषभ उड़ान कंपनी में काम करता है। बीती देर रात करीब पौने 12 बजे वह मुकुंदपुर सर्विस रोड की तरफ से घर की तरफ पैदल जा रहा था। उसके पास बैग में करीब 63 हजार रुपए और अन्य दस्तावेज थे। उसकी जेब में उसका मोबाइल फोन था। अचानक गली में उसे एक नाबालिग अपने तीन साथियों के साथ मिला। एक ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गर्दन दबाकर लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद आरोपी उसका बैग और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। हालांकि, ऋषभ ने हिम्मत नहीं हारी और उनके पीछे भागा, जिसके बाद बदमाश एक घर के पास जाकर रुके। बदमाश ने उसे धमकी दी कि यह उसका घर है, जो करना है कर लो। इसी बीच पीड़ित ने अपने दोस्त और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने उस घर से नाबालिग को पकड़ लिया, लेकिन तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मात्र एक हजार रुपए बरामद किए। बाकी रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई-अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 91/RI/2019-20/RDD(RWA)/DHANBAD दिनांक- 03.10.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखंड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेण्डर कॉल नं0
1.	RDD(RWA)/ DHANBAD /07/ 2019-20	जी0टी0 रोड निरसा चौक से खड़ापाथर माया कलियासोल तक पथ का मरम्मति कार्य (ल- 15.280 कि0मी0)	3,03,46,165.00	तीन करोड़ तीन लाख छियालीस हजार एक सौ पैंसट रू0 मात्र	25 दिसम्बर 2019	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 09.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 18.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 21.10.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 22.10.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, धनबाद के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मेन्ट सेल

PR 218817 Rural Work Department (19-20)_D

एनआइओएस से डीएलएड करने वाले लाखों शिक्षक परेशान

सुशील राघव
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की ओर से सेवारत शिक्षकों के लिए शुरू किए गए डीएलएड पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर उठे सवालों से डीएलएड करने वाले देश भर के 12 लाख से अधिक शिक्षक परेशान हैं। हालांकि इस पाठ्यक्रम को कराने वाले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) ने उनके द्वारा कराए गए डीएलएड पाठ्यक्रम को पूरे देश में नई नौकरियों के लिए भी मान्य बताया है।

वर्तमान मामला बिहार का है जहां एनआइओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते

दो साल पहले तत्कालीन एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परिषद (एनसीटीई) के सहयोग से तैयार इस डीएलएड पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए बड़े पैमाने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे। सेवारत शिक्षकों ने भी इस अवसर को हाथों हाथ लिया और 12 लाख से अधिक शिक्षकों ने खुद को डीएलएड के लिए पंजीकृत कराया था। अब जबकि अधिकतर उम्मीदवार अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं तो उनके डिप्लोमा की मान्यता पर खुद एनसीटीई ने सवालिया निशान लगा दिया है। वर्तमान मामला बिहार का है जहां प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्तूबर है। लेकिन एनआइओएस से डीएलएड करने वाले शिक्षक इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि एनसीटीई का कहना है कि इनका डिप्लोमा 18 महीने का है जबकि प्राथमिक शिक्षकों के लिए दो साल का डिप्लोमा मान्य है। इस पर एनआइओएस के एक एक अधिकारी ने बताया कि उनका डिप्लोमा पूरे देश में मान्य है।

खबरों में शहर

'प्लास्टिक हटाओ, स्वच्छता लाओ' के नारे के साथ बच्चों को दिलाई शपथ

नोएडा, 3 अक्तूबर।

सेक्टर-24 स्थित केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में 'प्लास्टिक हटाओ, स्वच्छता लाओ' के नारे के साथ बच्चों को भविष्य में कपड़े या जूट का थैला लेकर बाजार जाने की शपथ दिलाई गई। इसके लिए अभिभावकों को भी प्रेरित करने के लिए कहा गया। उसके बाद प्लॉग रन के तहत विद्यालय की दोनों पालियों के विद्यार्थियों ने अभिभावकों और अध्यापक/ अध्यापिकाओं के साथ दौड़ लगाई। विद्यार्थियों ने रास्ते में सड़क पर पड़े कचरे को थैलों में भरकर स्वच्छता अभियान की सार्थकता साबित की। दौड़ के दौरान बच्चे रास्ते भर स्वच्छता से संबंधित जोशीले नारे लगाते गए। छोटे-छोटे बच्चों के जोश और उत्साह को देखकर राहगीर भी इस मुहिम में शामिल हो गए। उन्होंने भी बच्चों के साथ मिलकर कचरा उठाने और स्वच्छता अभियान में सहयोग देने का वादा किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने मां सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को स्वच्छता अभियान, असहयोग आंदोलन, प्लास्टिक हटाओ- स्वच्छता लाओ आदि के बारे में जानकारी दी।

'गांधी ने कहा था' नाटक का मंचन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

गांधी जयंती पर मल्टीआर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र में राजेश कुमार की ओर से लिखित प्रसिद्ध नाटक 'गांधी ने कहा था' का मंचन 'हलकारा ए थियेटर ग्रुप' की ओर से प्रस्तुत किया गया। नाटक के निर्देशक अमित कुमार चौहान की ओर से प्रस्तुत इस नाटक में वर्तमान समस्याओं से गांधी के विचारों को अपनाकर कैसे निपटा जा सकता है, इस बारे में बताया है। यह नाटक वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है। यह नाटक इतिहास की विभाजन पूर्ण त्रासदी से जुझते, लहूलुहान हृदय से उठती हुई वह आह है जिसकी चीखें झूठी आजादी के जश्न के शोर में दबी हुई चिंगारी सी सुलग रही हैं।

मध्य प्रदेश में दलित बच्चों की हत्या पर दिल्ली में धरना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी में दो दलित बच्चों की निर्मम हत्या के विरोध में दलित शोषण मुक्ति मंच की दिल्ली इकाई ने गुरुवार को जंतर मंतर पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता ब्रह्मजीत सिंह ने की।

दलित शोषण मुक्ति मंच के राष्ट्रीय महासचिव डॉ रामचंद्र डोम ने इस अमानवीय घटना की निंदा की। उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार के दलित अत्याचारों की घटनाओं पर चुप्पी साधने की भी निंदा की। इसके अलावा धरने को दिल्ली राज्य के महासचिव नत्थू प्रसाद, सत्यनारायण, छोटे लाल, शंकर लाल खैरालिया, कालिचरण आर्य, राजबीर सिंह और विनोद कुमार सिंह ने भी संबोधित किया।

सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के डीआइजी के रूप में आरके यादव ने कार्यभार संभाला

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 3 अक्तूबर।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के ग्रेटर नोएडा ग्रुप केंद्र में गुरुवार को डीआइजी के रूप में आरके यादव ने कार्यभार ग्रहण किया। 1981 में उनकी सीआरपीएफ में सीधे सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती हुई थी। असम, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में करीब 28 साल तक सेवा दी। परिचालन क्षेत्र में कुशल कार्य एवं अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक और असाधारण कार्य के लिए विदेश सेवा, सेना मेटल आदि से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यभार संभालने के बाद आरके यादव ने कैंप का निरीक्षण किया।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया हेबीटाट सेंटर : सांप्रदायिक हिंसा और मीडिया विषय पर व्याख्यान, गुलमोहर सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

इंडिया हेबीटाट सेंटर : फिल्म और चर्चा, काजुरिना सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया हेबीटाट सेंटर : नाटक, स्टेन सभागार, एंपीथिएटर परिसर, लोधी रोड, शाम साढ़े सात बजे।

बिरला मंदिर : तेजोबिंदु उपनिषद पर व्याख्यान, गीता भवन, बिरला मंदिर, मंदिर मार्ग, सुबह सात बजे से, छह अक्तूबर तक।

epaper.jansatta.com

अजा-जजा कानून के प्रावधानों को कमजोर नहीं करेंगे : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कानून, 1989 के प्रावधानों को कमतर नहीं करेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संविधान पीठ पहले ही यह व्यवस्था दे चुका है कि उन मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है, जहां अदालतें महसूस करती हैं कि पहली नजर में मामला नहीं बनता है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न से संरक्षण) कानून में 2018 में किए गए संशोधनों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। अदालत इस मामले में फैसला बाद में सुनाएगी।

ये संशोधन अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले में दिए गए निर्देशों को निष्प्रभावी बनाने के लिए किए गए थे। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट के पीठ ने कहा कि हम इन प्रावधानों को कमतर नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें निरस्त नहीं कर रहे हैं। ये प्रावधान पहले की तरह ही बने रहेंगे। न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने एक अक्तूबर को इस कानून के तहत गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों को हलका करने के शीर्ष अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले में दिए गए निर्देश वापस ले लिए थे।

इस मामले में ही वकील ने पीठ से कहा कि हाई कोर्ट इस कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि हम अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन) में प्रदत्त अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। पूरा पिटारा मत खोलिए। व्यक्तिगत मामलों पर अलग से विचार करना होगा। हम इन चीजों पर फैसला नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दो पहलुओं पर स्पष्टीकरण देगी - एक

संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न से संरक्षण) कानून में 2018 में किए गए संशोधनों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है

इस कानून के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत के प्रावधान के संबंध में और दूसरा कानून के तहत कार्रवाई करने से पहले पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच करने से संबंधित प्रावधान के बारे में है।

पीठ ने टिप्पणी की कि कानून के तहत अग्रिम जमानत देने या प्रारंभिक जांच के मुद्दे पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। अदालत में एक वकील ने दावा किया कि उप्र में पुलिस कुछ दंगा पीड़ितों की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही है और इसकी जगह उनके ही खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। पीठ ने इस पर कहा कि हम इस विषय पर नहीं हैं। हम अगर एक-एक मामले पर गौर करेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। हमें कानूनी बिंदु के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। हम कोई लंबा आदेश पारित नहीं करेंगे। हमारे पहले के पीठ (पांच जजों का संविधान पीठ) ने हर पहलू पर विचार किया है।

शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में अजा-जजा कानून में 2018 में किए गए संशोधनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इन संशोधनों के माध्यम से इस कानून के तहत दर्ज अपराध के लिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान बहाल कर दिया गया था। अदालत ने इससे पहले 20 मार्च, 2018 के फैसले में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों और सामान्य नागरिकों के खिलाफ इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि इस कानून के तहत दायर किसी भी शिकायत पर तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। इस फैसले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इनमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और अनेक लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद केंद्र ने शीर्ष अदालत के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने एक अक्तूबर को निर्णय सुनाया था।

करंट लगने से मां-बेटे की मौत

बांदा, 3 अक्तूबर (भाषा)। जिले के पैलानी क्षेत्र में कूलर में उतरे करंट की चपेट में आकर महिला और उसके तीन वर्षीय बेटे की मौत हो गई। पिपरहरी गांव में बुधवार को विनोद सोनकर के बेटे अर्पित ने घर में रखे कूलर को छू लिया, जिससे वह उसमें उतरे करंट की चपेट में आ गया।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF M/S VISUAL CHANGES SALON AND SPA PRIVATE LIMITED

1.	Name of Corporate Person	M/S VISUAL CHANGES SALON AND SPA PRIVATE LIMITED
2.	Date of Incorporation of Corporate Person	14.07.2012
3.	Authority under which Corporate Person is Incorporated	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity Number of Corporate Person	U93000DL2012PTC236892
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate person	Regd. Off: Flat No. 1, Lower Ground Floor House No. 45, Road No. 71, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026
6.	Liquidation commencement date of coporate person	26.09.2019 (S R made available on 01.10.2019)
7.	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Name: Anup Kumar Add: Chamber No. 734 Lawyers Chamber Block, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054 Email Id: vl.visualchanges@gmail.com Mobile No.: 9811622913 IP Regd. No. IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911
8.	Last date for submission of Claims	26.10.2019

Notice is hereby given that the **M/s Visual Changes Salon and Spa Private Limited** has commenced voluntary liquidation on 26.09.2019.
The stakeholders of **M/s Visual Changes Salon and Spa Private Limited** are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before **26.10.2019**, to the liquidator at the address mentioned against item 7.
The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proof of claim shall attract penalties.

Sd/-
Anup Kumar
Liquidator of M/s Visual Changes Salon and Spa Private Limited
IP Regd No.: IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911

Date : 03.10.2019
Place: Delhi

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF M/S TRI VISION TRADING PVT. LTD.

1.	Name of Corporate Person	M/s Tri Vision Trading Pvt. Ltd
2.	Date of Incorporation of Corporate Person	17.03.2011
3.	Authority under which Corporate Person is Incorporated	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity Number of Corporate Person	U51101DL2011PTC216057
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate person	Regd. Off: Flat No. 1, Lower Ground Floor House No. 45, Road No. 71, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026
6.	Liquidation commencement date of coporate person	26.09.2019 (S R made available on 01.10.2019)
7.	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Name: Anup Kumar Add: Chamber No. 734 Lawyers Chamber Block, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054 Email Id: vl.trivision@gmail.com Mobile No.: 9811622913 IP Regd. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911
8.	Last date for submission of Claims	26.10.2019

Notice is hereby given that the **M/s Tri Vision Trading Private** Limited has commenced voluntary liquidation on **26.09.2019.**
The stakeholders of **M/s Tri Vision Trading Private Limited** are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before **26.10.2019**, to the liquidator at the address mentioned against item 7.
The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proof of claim shall attract penalties.

Sd/-
Anup Kumar
Liquidator of M/s Tri Vision Trading Private Limited
IP Regd No.: IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911

Date : 03.10.2019
Place: Delhi

अनुसूची-1
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]
शिवगंगा ब्रिज प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	शिवगंगा ब्रिज प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11 फरवरी, 2018
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार- रा.रा. क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U74999 DL2018 FTC329324
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एमसीए के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः सी-58, बेसमेन्ट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30 सितम्बर, 2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	नामः श्री राजेश कुमार पारख पताः 5/21, 2रा तल, डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली-110005, ईमेलः parakh.rajesh@gmail.com टेलीफोनः +919811350848, आईपी पंजी.सं. IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	29 अक्टूबर, 2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है शिवगंगा ब्रिज प्राईवेट लिमिटेड ने 30 सितम्बर, 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।
एतद्द्वारा शिवगंगा ब्रिज प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 29 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
राजेश कुमार पारख
परिसमापक

तिथिः 3.10.2019
स्थानः दिल्ली

अनुसूची-II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]
नोबेक्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	नोबेक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11.2.1960
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	आर ओसी-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1960PTC003190
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	प्लॉट 2, जीपीओ के पीछे, कश्मीरी गेट, दिल्ली सेन्ट्रल दिल्ली DL110006
6.	इन्साल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	8.8.2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की अनुमानित तिथि	4.9.2019, लेकिन प्रमाणित प्रति 27.9.2019 को 7 बजे अप. में प्राप्त हुई
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	रंजन चक्रवर्ती पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00541/2017-2018/11618
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	फ्लैट नं. 522, सेक्टर-17 डी, कोणार्क एन्क्लेव, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201012 ई-मेल (पंजी.) ranjanns@gmail.com फोनः +91 98711703727
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	फ्लैट नं. 522, सेक्टर-17 डी, कोणार्क एन्क्लेव, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201012 मेल आईडीः novexliauidator@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	27.10.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-III ने 4 सितम्बर, 2019 को नोवेक्स प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है, यदियपि प्रमाणित प्रति 27.9.2019 को 7 बजे अप. में प्राप्त हुई।
एतद्द्वारा नोवेक्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 27.10.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
रंजन चक्रवर्ती
(परिसमापक)

तिथिः 01 अक्टूबर, 2019
स्थानः दिल्ली/एनसीआर

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक
प्रधान कार्यालय : मंगलूरु - 575 002 CIN L85110KA1924PLC001128
परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली -110060
फोन 011-25813466, ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com, मो.: 9597535044

कब्ज़ा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत **कर्णाटका बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 24.5.2019 जारी कर ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारन्टरः 1) मै. लाइफ केयर मेडिका, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पार्टनर्सः i) श्री राज कुमार सुखवानी, i) श्रीमती पुष्पा सुखवानी, निवासीः 1/9, रूप नगर, पीएनबी बिल्डिंग, दिल्ली-110007, 2) श्री राज कुमार सुखवानी, पुत्र श्री वासदेव सुखवानी, 3) श्रीमती पुष्पा सुखवानी, पत्नी वासदेव सुखवानी, 4) श्रीमती ज्योति सुखवानी, पत्नी राज कुमार सुखवानी, सभी (2) (3) एवं 4 निवासीः एससी-3/103, सी कोर्ट, जी ब्लॉक, जयपी गार्डन्स, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित 01.05.2019 से आगे के ब्याज के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता सं. 5537000100013801 के अंतर्गत रु. 3,76,60,751.70 (रुपए तीन करोड़ छियत्तर लाख साठ हजार सात सौ इक्वायन एवं पैसे सत्तर मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.9.2019 से उस पर आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता सं. 5537000100013801 के अंतर्गत रु. 3,97,05,001.69 (रुपए तीन करोड़ सत्तानवे लाख पांच हजार एक तथा पैसे उन्हत्तर मात्र) की राशि के लिए कर्णाटका बैंक लिमिटेड, जीटी करनाल शाखा-दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

1. श्रीमती ज्योति सुखवानी तथा श्री राज कुमार सुखवानी के स्वामित्व में पार्स्वनाथ विभव प्लाजा, प्लॉट नं. सी-2, ब्लॉक ई, अल्फा कॉमर्सियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में स्थित सुपर एरिया 975 वर्ग फीट के साथ व्यावसायिक स्थान सं. यूजीएफ-22, ऊपरी भू तल का सभी भाग तथा हिस्सा।
2. श्रीमती ज्योति सुखवानी के स्वामित्व में सम्पत्ति सं. 1/9, म्यूनिसिपल नं. 7254/8, ब्लॉक नं. 1, रूप नगर, दिल्ली-11007 के भाग में कॉमर्सियल शॉप नं. 1, भू तल तथा मैजेनिन फ्लोर का सभी भाग तथा हिस्सा।

प्राधिकृत अधिकारी,
कर्णाटका बैंक लि.

तिथिः 30.9.2019, स्थानः दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
मै. सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	15.11.2006
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U45200DL2006PTC155515
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	डी-410, पॉकेट-16, सेक्टर-7, रोहिणी दिल्ली-110085
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30 सितम्बर, 2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	28 मार्च, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के रूप में कार्यरत है	पंकज जैन पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00409/2017-18/10969
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल का पता एवं ईमेलः	डी-105, भू तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 ईमेल आईडीः punkaj.ip@capoc.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	डी-105, भू तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 ईमेल आईडीः punkaj.sohoip@capoc.in फोन नंः 011-24332012, 011-41631242
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	15 अक्टूबर, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	एनए
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	एनए
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	एनए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 30 सितम्बर, 2019 को (आदेश की प्रति 1 अक्टूबर, 2019 को प्राप्त की गई) सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल के पास 15 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
पंकज जैन
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिश्नल, सोहो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00409/2017-18/10969

तिथिः 3.10.2019
स्थानः नई दिल्ली

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

दिल्ली महानगर क्षेत्र-1, 12 वां तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
ई-मेल - OPERATIONS.DM1@bankofbaroda.com, फोन नं: 011-23441243

बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर धारकों के लिए सूचना / लॉकर का किराया भुगतान न करने वाले चूककर्ता को सूचना

यह सूचना हमारे उन मूल्यवान संरक्षकों के लिए है जिनके द्वारा बैंक के विभिन्न शाखाओं में किराए पर लॉकर लिए गए है तथा बैंक के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किया गया है। आर बी आई / बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकर धारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज पतों पर सूचनाएँ भेजी गई, जो कि इस टिप्पणी के साथ वापस आ गई कि पता खोजा नहीं जा सका या वह व्यक्ति उस पते पर नहीं रहता है। लॉकरधारकों को बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज उनके पतों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास भी निष्फल रहा और उनके वर्तमान ठौर-ठिकाने भी अभिनिश्चित नहीं किए जा सके हैं। अतः अब कोई विकल्प न होने की स्थिति में यह सूचना निम्नलिखित व्यक्तियों को इसलिए भेजी जा रही है ताकि संबंधित शाखा से संपर्क करें तथा बैंक की बकाया राशि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अवधि से भीतर चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर बैंक उनकी लागत, जोखिम जिम्मेदारी पर लॉकर तोड़कर खोलने की कार्यवाही आरंभ करेगा और बैंक अपने किराए लागतों तथा अन्य प्रभारों की वसूली के लिए इसके अतिरिक्त अपने ग्रहणाधिकार का प्रयोग करेगा।

क्रम सं.	बैंक	शाखा	नाम	लॉकर नं.	बकाया किराया देय जबसे	अंतिम भेजी गए नोटिस की तिथि (तीसरा नोटिस)
1	बीओबी	बसंत लोक	शगुन ओसवाल	80	02.05.2018	29.08.2019
2	बीओबी	बसंत लोक	एनिमा हलदर	326	31.10.2016	29.08.2019
3	बीओबी	चाणक्यपुरी	विपिन कुमार मित्तल	10039	30.11.2016	21.08.2019
4	बीओबी	करोल बाग	नीता कौर	251	1.03.2018	20.07.2019
5	बीओबी	करोल बाग	आशा मत्ता	375	01.08.2018	20.07.2019
6	बीओबी	करोल बाग	हरबंस सिंह सुरेंद्र सिंह	298	01.09.2018	20.07.2019
7	बीओबी	मॉडल टाउन	सुहाष डोगरा एवं सुचित्रा डोगरा एवं सुल्हाश डोगरा	40	25.03.2013	06.07.2019
8	बीओबी	मॉडल टाउन	सुखनांदर सिंह पुत्र स्व: जसवंत सिंह	33	06.07.2013	06.07.2019
9	बीओबी	मॉडल टाउन	अनिल जैन एवं सुषमा जैन	607	08.04.2011	06.07.2019
10	बीओबी	मॉडल टाउन	सुरेंदर सिंह सेठी	263	18.09.2016	06.07.2019
11	बीओबी	मॉडल टाउन	गिरधारी लाल एवं सुचित्रा	90	01.12.2016	06.07.2019
12	बीओबी	नरेला	नवीन कुमार त्यागी	49	11.12.2013	03.08.2019
13	बीओबी	ओल्ड गुप्ता	हिमानी पटेल दीपक पटेल	13	06.07.2018	07.05.2019
14	बीओबी	पार्लियामेंट स्ट्रीट	डा. राम बाबू अग्रवाल	612	18.05.2013	07.09.2019
15	बीओबी	पार्लियामेंट स्ट्रीट	डा. राम बाबू अग्रवाल	589	18.05.2013	07.09.2019
16	बीओबी	पार्लियामेंट स्ट्रीट	पी.सी.नागरी	1044	20.01.2017	07.09.2019
17	बीओबी	पार्लियामेंट स्ट्रीट	डिंपल जैन एवं अवनीश जैन	1101	20.07.2017	07.09.2019
18	बीओबी	पार्लियामेंट स्ट्रीट	हरजसप्रीत सिंह जाजा एवं हरिंदर कौर	1159	06.06.2015	07.09.2019
19	बीओबी	पार्लियामेंट स्ट्रीट	वारिंदर नायक	1604	15.01.2017	07.09.2019
20	बीओबी	पार्लियामेंट स्ट्रीट	डा. मोहन दिनेश जीवन	1483	15.07.2016	07.09.2019
21	बीओबी	सदर बाजार	श्री दिनेश अग्रवाल एवं संगीता अग्रवाल	जी98	21.01.2018	05.09.2019
22	बीओबी	सदर बाजार	श्री चन्दर मोहन बाधला एवं तारा वती	420	27.07.2018	05.09.2019
23	बीओबी	सेक्टर 7, रोहिणी	भगवन देवी	266	17.01.2015	16.08.2019
24	बीओबी	सेक्टर 7, रोहिणी	नेहा भट्ट	464	04.11.2015	16.08.2019
25	बीओबी	शक्ति नगर	श्रवण कुमार	556	12.01.2017	21.08.2019
26	ई देना	अलीपोरे ई देना	विनोद कुमार	40	03.12.2012	30.07.2019
27	ई देना	अलीपोरे ई देना	सरोज बाला	44	16.08.2008	30.07.2019
28	ई देना	अलीपोरे ई देना	ई डी लोरा	45	05.01.2010	30.07.2019
29	ई देना	अलीपोरे ई देना	दीपक अग्रवाल	51	08.01.2003	30.07.2019
30	ई देना	अलीपोरे ई देना	राम नारायण	96	16.09.2011	30.07.2019
31	ई देना	अलीपोरे ई देना	सिमरन कपूर	121	05.09.2015	30.07.2019
32	ई देना	अलीपोरे ई देना	टी के सपरा	138	31.08.2010	30.07.2019
33	ई देना	अलीपोरे ई देना	पलविंदर सिंह	167	27.01.2014	30.07.2019
34	ई देना	अलीपोरे ई देना	तोश सेठी	176	02.12.2009	30.07.2019
35	ई देना	अलीपोरे ई देना	हरबंस लाल	179	21.06.2010	30.07.2019
36	ई देना	अलीपोरे ई देना	ईशवजित वालिआ	193	31.12.2012	30.07.2019
37	ई देना	अलीपोरे ई देना	दर्शन कुमारी	199	05.12.2013	30.07.2019
38	ई देना	अलीपोरे ई देना	कविता जैन	300	09.11.2007	30.07.2019
39	ई देना	अलीपोरे ई देना	अशोक कुमार	13	21.02.2008	30.07.2019
40	ई देना	करोल बाग	ललिता कक्कर	0136ए0000747	29.12.2018	06.09.2019
41	ई देना	करोल बाग	श्री ओम प्रकाश	0136ए0000676	14.09.2018	06.09.2019
42	ई देना	करोल बाग	श्री संजय बगला	0136ए0000705	11.05.2018	06.09.2019
43	ई देना	करोल बाग	श्रीमती उर्मिला मारवाह	0136ए0001006	21.03.2018	06.09.2019
44	ई देना	करोल बाग	किशोर कुमार खन्ना	0136ए0000552	09.02.2018	06.09.2019
45	ई देना	करोल बाग	अवतार सिंह	0136ए0000478	18.11.2017	06.09.2019
46	ई देना	करोल बाग	राज कुमार एवं सिम्मी	0136ए0000666	26.10.2017	06.09.2019
47	ई देना	करोल बाग	चन्दर प्रकाश रोनी	0136ए0000454	07.08.2017	06.09.2019
48	ई देना	करोल बाग	कपिल मेहता	0136ए0000967	05.08.2017	06.09.2019
49	ई देना	करोल बाग	जवाहर लाल गुप्ता	0136ए0000800	06.06.2017	06.09.2019
50	ई देना	करोल बाग	वीणा शर्मा	0136ए0000916	30.05.2017	06.09.2019
51	ई देना	करोल बाग	प्रमोद मग्गो	0136ए0000768	12.03.2017	06.09.2019
52	ई देना	करोल बाग	सरोज उप्पल	0136ए0000448	06.01.2017	06.09.2019
53	ई देना	करोल बाग	रोहिणी कपूर	0136ए0000159	08.06.2016	06.09.2019
54	ई देना	करोल बाग	असा नन्द कपूर	0136ए0000206	16.05.2016	06.09.2019
55	ई देना	करोल बाग	राजिंदर कौर सूरी	0136ए0000810	30.01.2016	06.09.2019
56	ई देना	करोल बाग	संदीप खुल्लर	0136ए0000684	23.12.2015	06.09.2019
57	ई देना	करोल बाग	एस मदन सिंह सूरी	0136ए0000998	11.06.2015	06.09.2019
58	ई देना	करोल बाग	अशोक एन.शाह, प्रणव के.शाह, शिरीन एम. जैन	0136ए0000911	22.05.2015	06.09.2019
59	ई देना	करोल बाग	राम धन	0136ए0000451	28.02.2015	06.09.2019
60	ई देना	करोल बाग	बिमला देवी, कालिदास गुप्ता	0136ए0000460	17.09.2014	06.09.2019
61	ई देना	करोल बाग	श्रीमती तरविंदर कौर एवं श्रीमती प्रितपाल कौर	0136ए0000503	09.06.2014	06.09.2019
62	ई देना	करोल बाग	हरी प्रिया (श्रीमती)	0136ए0000840	19.01.2014	06.09.2019
63	ई देना	करोल बाग	राज कुमार खन्ना	0136ए0000890	21.11.2013	06.09.2019
64	ई देना	करोल बाग	जनक रानी (श्रीमती)	0136ए0000784	03.11.2013	06.09.2019
65	ई देना	करोल बाग	किरण सूरी	0136ए0000256	23.06.2013	06.09.2019
66	ई देना	करोल बाग	मोहिनी कसूराम	0136ए0000947	13.01.2013	06.09.2019
67	ई देना	करोल बाग	के एस मदन	0136ए0000526	15.11.2012	06.09.2019
68	ई देना	करोल बाग	श्रीमती राजेंदर कौर	0136ए0000694	20.10.2012	06.09.2019
69	ई देना	करोल बाग	राजेश गुप्ता	0136ए0000132	13.09.2012	06.09.2019
70	ई देना	करोल बाग	प्रीतम कौर बैंस	0136ए0000471	28.06.2012	06.09.2019
71	ई देना	करोल बाग	अतुल कुमार	0136ए0001001	31.07.2012	06.09.2019
72	ई देना	करोल बाग	पी. सी. मोहिंद्रा	0136ए0000651	18.02.2012	06.09.2019
73	ई देना	करोल बाग	विजय शर्मा / सुषमा शर्मा	0136ए0000987	22.01.2012	06.09.2019
74	ई देना	करोल बाग	घनश्याम दास गोगिआ	0136ए0000169	21.01.2011	06.09.2019
75	ई देना	करोल बाग	जयश्री अरोड़ा	0136ए0000891	05.01.2011	06.09.2019
76	ई देना	करोल बाग	श्री हरी कृष्ण	0136ए0000525	10.12.2010	06.09.2019
77	ई देना	करोल बाग	अरुण कुमार जैन	0136ए0000965	25.10.2010	06.09.2019
78	ई देना	करोल बाग	हरबरन लता कपूर	0136ए0000208	29.09.2010	06.09.2019
79	ई देना	करोल बाग	रजीत कौर	0136ए0000572	16.08.2010	06.09.2019
80	ई देना	करोल बाग	मधु सेठ	0136ए0000500	19.06.2010	06.09.2019
81	ई देना	करोल बाग	रविंदर अरोड़ा	0136ए0000617	08.06.2010	06.09.2019
82	ई देना	करोल बाग	किशोर कुमार	0136ए0000653	07.03.2010	06.09.2019
83	ई देना	करोल बाग	बी के हरनाम	0136ए0000707	30.01.2010	06.09.2019
84	ई देना	करोल बाग	जसविंदर कौर	0136ए0000715	04.12.2009	06.09.2019
85	ई देना	करोल बाग	सुभाष चन्दर शर्मा	0136ए0000385	03.12.2009	06.09.2019
86	ई देना	करोल बाग	कपिल अरोल	0136ए0000979	22.10.2009	06.09.2019
87	ई देना	करोल बाग	बोध राज ऋषि	0136ए0000541	17.09.2009	06.09.2019
88	ई देना	करोल बाग	श्रीमती मीणा चोपड़ा	0136ए0000493	01.09.2009	06.09.2019
89	ई देना	करोल बाग	सत पाल कपूर	0136ए0000203	05.06.2009	06.09.2019
90	ई देना	करोल बाग	विवेक त्रिपाठी	0136ए0000319	10.04.2009	06.09.2019
91	ई देना	करोल बाग	श्री अवतार किशन	0136ए0000544	29.11.2008	06.09.2019
92	ई देना	करोल बाग	संजीव कुमार सिंह	0136ए0000883	24.11.2008	06.09.2019
93	ई देना	करोल बाग	सुधीर कुमार	0136ए0000777	22.11.2008	06.09.2019
94	ई देना	करोल बाग	श्रीमती कविता दत्त	0136ए0000495	28.08.2008	06.09.2019
95	ई देना	करोल बाग	शिव प्रकाश गुप्ता	0136ए0000867	18.07.2008	06.09.2019
96	ई देना	करोल बाग	श्रीमती राज सिंह	0136ए0000299	09.07.2008	06.09.2019
97	ई देना	करोल बाग	अरुण कुमार	0136ए0000352	10.06.2008	06.09.2019
98	ई देना	करोल बाग	नन्द लाल नरूला	0136ए0000128	09.05.2008	06.09.2019
99	ई देना	करोल बाग	मणि देवी जलन (श्रीमती)	0136ए0000980	23.03.2008	06.09.2019
100	ई देना	करोल बाग	शीला देवी	0136ए0000632	19.11.2007	06.09.2019
101	ई देना	करोल बाग	श्री कृष्ण कुमार सूरी	0136ए0000556	15.11.2007	06.09.2019
102	ई देना	करोल बाग	राज भाटिया	0136ए0000480	19.09.2007	06.09.2019
103	ई देना	करोल बाग	रश्मि पुरी	0136ए0000646	03.09.2007	06.09.2019
104	ई देना	करोल बाग	कुलदीप सिंह	0136ए0000484	26.07.2007	06.09.2019
105	ई देना	करोल बाग	पुष्पावती	0136ए0000926	12.07.2007	06.09.2019
106	ई देना	करोल बाग	वी.एस दिक्षित	0136ए0000355	20.06.2007	06.09.2019
107	ई देना	करोल बाग	परवेश सूरी	0136ए0000534	17.04.2007	06.09.2019
108	ई देना	करोल बाग	वेद कुमारी शर्मा (श्रीमती)	0136ए0000255	05.03.2007	06.09.2019
109	ई देना	करोल बाग	सुरेंदर सिंह	0136ए0000593	04.02.2007	06.09.2019
110	ई देना	करोल बाग	श्रीमती नीरा चोपड़ा	0136ए0000969	25.01.2007	06.09.2019
111	ई देना	करोल बाग	अमित कुमार	0136ए0001006	26.12.2006	06.09.2019
112	ई देना	करोल बाग	राकेश जैन	0136ए0000939	13.09.2006	06.09.2019
113	ई देना	करोल बाग	रामगोपाल रस्तोगी (स्वर्गीय)	0136ए0000250	20.03.2006	06.09.2019
114	ई देना	करोल बाग	श्रीमती विमल राजदान	0136ए0000853	26.01.2006	06.09.2019
115	ई देना	करोल बाग	ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, पूर्व कर्मचारी	0136ए0000311	12.12.2005	06.09.2019
116	ई देना	करोल बाग	हरमिंदर सिंह	0136ए0000615	20.11.2005	06.09.2019
117	ई देना	करोल बाग		0136ए0000757	31.05.2005	06.09.2019
118	ई देना	करोल बाग	गोपाल दुलानी	0136ए0000141	09.05.2005	06.09.2019
119	ई देना	करोल बाग	बिंदु	0136ए0000265	20.04.2005	06.09.2019
120	ई देना	करोल बाग	खेम चंद	0136ए0000436	18.04.2005	06.09.2019
121	ई देना	करोल बाग	आर के टंडन	0136ए0000956	03.03.2005	06.09.2019
122	ई देना	करोल बाग	प्रताप सिंह पुत्र सीताराम (स्वर्गीय)	0136ए0000721	18.02.2005	06.09.2019
123	ई देना	करोल बाग	राम राखी मसीन	0136ए0000608	09.02.2005	06.09.2019
124	ई देना	करोल बाग	कुमारी वीणा	0136ए0000315	15.01.2005	06.09.2019
125	ई देना	करोल बाग	एस सी त्यागी	0136ए0000902	29.12.2004	06.09.2019
126	ई देना	करोल बाग	केवल कृष्ण सभरवाल	0136ए0000774	18.06.2004	06.09.2019
127	ई देना	करोल बाग	उर्मिला कौशिक	0136ए0000508	08.03.2004	06.09.2019
128	ई देना	करोल बाग	राकेश मेदीरत्ता	0136ए0000990	22.01.2004	06.09.2019
129	ई देना	करोल बाग	अनुराग शफ्त	0136ए0000426	08.11.2003	06.09.2019
130	ई देना	करोल बाग	रीटा गुप्ता	0136ए0000934	02.08.1998	06.09.2019
131	ई देना	करोल बाग	बलदेव राज मनोचा	0136ए0000565	17.11.1993	06.09.2019
132	ई देना	करोल बाग	ललित चन्दर माथुर	0136ए0000577	30.05.1992	06.09.2019
133	ई देना	करोल बाग	श्री के वी चढ्ढा	0136ए0000562	02.07.2018	06.09.2019
134	ई देना	करोल बाग	मधु मल्होत्रा	0136ए0000137	07.10.2016	06.09.2019
135	ई देना	करोल बाग	सादिक अली	0136ए0000812	19.12.2015	06.09.2019
136	ई देना	करोल बाग	प्रोमिला	0136ए0000838	21.02.2015	06.09.2019
137	ई देना	करोल बाग	कविता कक्कर	0136ए0000487	16.08.2014	06.09.2019
138	ई देना	करोल बाग	श्रीमती कांता गुप्ता	0136ए0000363	01.08.2012	06.09.2019
139	ई देना	करोल बाग	रविंदर नाथ भट्ट	0136ए0000563	02.08.2010	06.09.2019
140	ई देना	करोल बाग	बिमल घई	0136ए0000637	14.02.2010	06.09.2019
141	ई विजया	आजादपुर	कपिल एवं कामना	7	01.04.2015	29.01.2019
142	ई विजया	भोगल	विजय कुमार	60010ए75एसओ0173	01.04.2017	29.08.2019
143	ई विजया	भोगल	सत्या गुप्ता एवं शीन	60010ए75एसओ0176	01.04.2017	28.08.2019
144	ई विजया	भोगल	मंजू लता	60010ए75एसओ0160	01.04.2017	29.08.2019

उप महाप्रबंधक, डीएमआर-1

जनसत्ता

4 अक्तूबर, 2019

पाबंदी से मुक्ति

जम्मू संभाग में विपक्षी नेताओं पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं। अब वे सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से नेताओं को उनके घरों में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया था। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। करीब दो महीने बाद जम्मू संभाग के नेताओं को यह राहत मिली है, पर घाटी के नेता अब भी प्रशासन की निगरानी में हैं। दरअसल, अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त किए जाने के बाद घाटी में जिस तरह की स्थिति बन गई, उसे देखते हुए प्रशासन के लिए राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लगाना जरूरी था। कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है। वहां चरमपंथी और अलगाववादी ताकतें लंबे समय से सक्रिय हैं। वे जम्मू-कश्मीर की आजादी की मांग उठा कर नागरिकों को भड़काती रही हैं। ऐसे में उन पर प्रतिबंध न लगाने और राजनीतिक गतिविधियां चलाते रहने की छूट देने का अर्थ अव्यवस्था की स्थिति को न्योता देना था। राज्य में स्थिति नियंत्रण में बनाए रखने और नागरिक अधिकारों को बहाल करने के लिए जरूरी था कि राजनीतिक और अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसीलिए सबसे पहले घाटी के नेताओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखा गया।

करीब दो महीने से घाटी में कर्फ्यू है। जन-जीवन अभी पटरी पर नहीं आ पाया है। लोगों के रोजी-रोजगार के अवसर अवरुद्ध हैं। संचार सेवाएं सुचारु नहीं हो पाई हैं। ऐसे में विपक्षी दल और अनेक बुद्धिजीवी सवाल उठाने लगे हैं कि कब तक घाटी के लोगों को एक बंद घेरे में जीवन जीने को मजबूर किया जाएगा? उधर पाकिस्तान कश्मीर घाटी के लोगों के मौलिक अधिकारों के दमन का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। इसलिए सरकार पर खासा दबाव है कि जम्मू-कश्मीर में जल्दी स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास किया जाए। जम्मू संभाग के गैर-भाजपा दलों के नेताओं पर लगी पाबंदियां हटा कर सरकार ने एक तरह से यही संकेत दिया है कि उसका इरादा विपक्षी दलों का दमन या उनके राजनीतिक अधिकारों को बाधित करना नहीं है। यह इस बात का भी संकेत है कि स्थिति सामान्य होते ही घाटी के नेताओं पर लगी पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी। इस तरह सरकार पर दबाव बनाने वालों के स्वर में शायद कुछ नरमी आए।

जम्मू और कश्मीर की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। जम्मू संभाग उस तरह अलगाववाद के प्रभाव में कभी नहीं रहा है, जिस तरह कश्मीर में इसकी आवाजें उठती रही हैं। इसलिए जम्मू में सरकार और सुरक्षाबलों के सामने वैसी चुनौतियां न तो पहले रही हैं और न अब हैं। वहां स्थिति लगभग सामान्य है, इसलिए वहां के नेताओं को प्रशासनिक पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया है। मगर कश्मीर में अभी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। वहां खुफिया एजेंसियों की खबरें आती रही हैं कि सीमा पार पनाह पाए चरमपंथी संगठनों की सक्रियता तेज हो गई है। वे भारत में घुसपैठ के मंसूबे बांधते रहते हैं। दो दिन पहले भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कुछ आतंकियों को मार गिराया था। इस तरह किसी भी प्रकार की ढील न सिर्फ कश्मीर समस्या के हल के प्रयासों को पटरी से उतार सकती है, बल्कि नागरिकों के जीवन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए भी सरकार का संकोच स्वाभाविक है। लिहाजा, वह घाटी में स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रही है।

अंधविश्वास की मार

ओड़ीशा के गंजाम जिले में कुछ अंधविश्वासी लोगों ने वहां के छह बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, उससे एक बार फिर यही पता चलता है कि हम विकास के लाख दावे करें, लेकिन समाज के स्तर पर आज भी काफी निचले पायदान पर खड़े हैं। खबरों के मुताबिक वहां गोपुरपुर गांव में तीन महिलाओं की मौत हो गई और सात बीमार थीं, तो वहां के कुछ लोगों ने यह मान लिया कि इसके लिए जादू-टोना करने वाले जिम्मेदार हैं। इसी शक में लोगों ने गांव के ही छह बुजुर्गों को उनके घर से खींच कर बाहर निकाला, उन्हें बर्बरता से मारा-पीटा, उनके दांत उखाड़ लिए और यहां तक कि उन्हें मानव मल खाने पर मजबूर किया। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के दौरान पीड़ित मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने हमलावरों को रोकना जरूरी नहीं समझा। क्या वहां के लोग शिक्षा-दीक्षा से लेकर जागरूकता के स्तर पर इतने पिछड़े हैं कि ऐसी घटनाओं में किसी तरह का दखल देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते? लेकिन जब किसी तरह मामला पुलिस तक पहुंचा तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी लोग गांव छोड़ कर भाग गए।

सवाल है कि जब जागरूकता और जानकारी के अभाव में अंधविश्वास की चपेट में आए लोग किसी को मारते-पीटते, उनकी हत्या तक कर देते हैं या अमानवीय बर्ताव करते हैं तो इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। हालत यह है कि जादू-टोने के शक में किसी पर हमला करने वालों को पहले इसका भी खयाल नहीं रहता कि घटना को अंजाम देने के बाद कानूनी कार्रवाई में उन्हें किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दूसरे अपराधों के मामले में भी यही होता है, लेकिन यहीं यह भी दर्ज करने की जरूरत है कि डायन या जादू-टोना जैसी झूठी धारणाओं के असर में होने वाले ऐसे अपराधों का कारण अंधविश्वास है। विडंबना यह है कि इन अपराधों के मामले में तो पुलिस किसी तरह कार्रवाई करती है, लेकिन जादू-टोना या डायन आदि तमाम झूठी धारणाओं के मूल पर चोट नहीं की जाती, ताकि भविष्य में लोग उससे मुक्त हो सकें। कई राज्यों में इससे संबंधित कानून भी हैं, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका चेतनागत विकास के बिना कोई ठोस हल निकलना मुश्किल है।

देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर अंधविश्वास की वजह से होने वाली आपराधिक और अमानवीय घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ऐसी घटनाओं को रोक पाने में हमारी सरकारें क्यों नाकाम हैं और समाज के स्तर पर कोई ठोस असर पैदा करने वाली पहलकदमी क्यों नहीं दिखती हैं। कुछ संगठन अपने स्तर पर अंधविश्वास के विरुद्ध लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच का एक दायरा होता है। यह बेवजह नहीं है कि धर्म, परंपरा या आस्था के नाम पर अंधविश्वासों का कारोबार फल-फूल रहा है और इसकी त्रासदी समाज के कमजोर तबकों के कुछ लोगों को झेलनी पड़ती है। अफसोसनाक यह है कि विकास के तमाम दावों के बीच इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं, लेकिन सरकारों को वैज्ञानिक चेतना से लैस शिक्षा प्रणाली और जागरूकता कार्यक्रम एक अभियान की तरह चलाना जरूरी नहीं लगता। जबकि सच यह है कि चेतना के स्तर पर यह पिछड़ापन हमारे विकास की सारी उपलब्धियों और तमाम शिक्षा-दीक्षा को बेमानी बना देता है।

कल्पमेधा

बुरे लोगों को निंदा में आनंद आता है। सारे रसों को चख कर भी कौआ गंदगी से तृप्त होता है।

-महाभारत

ठोस कचरे की चुनौती

सुविज्ञा जैन

विश्व स्तर पर आजकल संयुक्त राष्ट्र की चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। यह चिंता इसलिए है कि प्लास्टिक सदियों तक गलता-मिटता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक की चिंता इस कारण से है कि यह प्लास्टिक कचरा आखिर में समुद्र में जाकर जमा हो रहा है और इस कचरे ने महासागरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। समस्या का विस्तार गली-कूचे से लेकर महासागरों तक हो चुका है।

कचरा प्रबंधन विश्व की मुख्य समस्याओं की सूची में ऊपर आता जा रहा है। कचरे की समस्या अब शहरों की बदसूरती तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जल और वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन चुकी है। कचरे का संबंध शहरों में स्वास्थ्य से भी है। कुछ दशकों में प्लास्टिक कचरे ने तो पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को इसे अपने सोच-विचार का विषय बनाना पड़ा है। भारत में भी स्वच्छता को लेकर पांच साल का एक अभियान पूरा हो चुका है। जाहिर है, इस अभियान के दौरान ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर जो मुश्किलें सामने आईं, उनसे भी सबक या अनुभव मिले हैं। कुछ दिनों तक हिसाब लगाया जाएगा कि कचरे के निस्तारण का काम कितना बढ़ पाया, और जो काम नहीं हो पाया, वह क्यों नहीं हो पाया। अड़चन कहां आई? आगे से उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए?

बेशक स्वच्छता अभियान शुरू होते समय लगा नहीं था कि लक्ष्य इतना बड़ा और इतना पेचीदा होगा। फिर भी योजनाकारों के पास देश में पक्के शौचालय आदि की जरूरत का मोटा अंदाजा जरूर था। लिहाजा, उस काम के लिए अलग से कर के जरिए संसाधनों का इंतजाम भी कर लिया गया। लेकिन स्वच्छता अभियान में ठोस कचरा प्रबंधन के मद वाला काम उस पैमाने पर होता नहीं दिखा। हो सकता है कि इसका एक कारण यह रहा हो कि पक्के तौर पर हमें यह नहीं पता था कि उद्योगों और घर-घर से निकले कचरे की वास्तविक मात्रा कितनी है? न ही यह हिसाब लगा था कि इस कूड़े को अगर जमा कर भी लिया जाएगा तो नई केंद्रीयकृत व्यवस्था में कचरे के उस भारी-भरकम ढेर को निस्तारित कैसे करेंगे? कचरे के इस निपटान के काम का एक तकनीकी नाम हमारे पास जरूर था, जिसे हिंदी में ठोस कचरा प्रबंधन कहते हैं। लेकिन अपने देश में यह प्रबंधन कितना भारी काम है, इसका शोधपरक ज्ञान या कोई अनुमान उपलब्ध नहीं था। बहुत संभव है कि सफाई की मुहिम के पांच साल में सबसे ज्यादा दिक्कत ठोस कचरा प्रबंधन में ही आई हो।

नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में घर-घर से कचरा इकट्ठा करने में भारी खर्च कर-के कचरा जमा करने का कुछ काम होता तो दिखा, लेकिन उसे ठिकाने लगाने के लिए जगह की कमी पड़ती चली गई। पिछले पांच साल का अनुभव बता रहा है कि शहरी कचरे के पहाड़ों को और ऊंचा करना अब मुमकिन नहीं है। कचरे को गाड़ने या दबाने के लिए भी जमीन कम पड़ने लगी है। भूगर्भीय प्रदूषण की समस्या अलग है।

अगर कूड़े का निपटान आज इतनी बड़ी समस्या बन गई है तो उसका समाधान खोजने से पहले एक नजर इतिहास पर भी डाल लेनी चाहिए। आज से कोई ढाई हजार साल पहले तक यूनान और रोम जैसे देशों के विकसित नगरों में भी कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं थी। लोग घर के बाहर ही कचरा फेंका करते थे। प्रति व्यक्ति जमीन बहुत थी। आबादी थोड़ी होने से कचरा भी कम निकलता था। उस कूड़े का प्रकार भी अलग था। वह जल्दी ही आक्सीकृत हो जाता था। उसके बाद आबादी बढ़ती गई। कूड़े की मात्रा बढ़ती गई। कूड़े को राज्य सीमाओं के बाहर फेंका जाने लगा। फिर नगर बड़े होते गए तो सीमाएं दूर होने लगीं और कूड़े की ढुलाई का काम मुश्किल होता गया। तब नदियों में कचरा बहाने जैसे तरीके अपनाए जाने लगे। लेकिन कचरे को बहाए जाने की भी एक सीमा थी। यह प्रवृत्ति पूरे विश्व में उनीसवीं सदी तक आते-आते बदल गई। उसके बाद कूड़े को जलाना शुरू हो गया। लेकिन बढ़ती आबादी और विकास की होड़ में इस समस्या का आकार बढ़ता ही चला गया।

साल भर पहले तक देश में सालाना सवा छह करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होने का अनुमान था। इस कचरे में प्लास्टिक, ई-कचरा और दूसरा खतरनाक कचरा भी शामिल है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जहां यह कचरा पैदा होता या निकलता है, वहां से इसे उठाने का इंतजाम भी नगर पालिकाएं या नगर निगम नहीं कर पा रहे थे। दावा यह किया जाता है कि पूरे देश के स्थानीय निकाय सिर्फ सवा चार करोड़ टन कचरा जमा कर

पाते हैं। यानी दो करोड़ टन कचरा अपने उद्गम स्थल पर ही इधर से उधर होता रहता है। या फिर बारिश में नालियों के जरिए नदियों में जा रहा है।

जहां तक ठोस कचरे के निस्तारण का सवाल है तो सिर्फ एक करोड़ बीस लाख टन कूड़े का शोधन करके उसका निस्तारण किए जाने का दावा किया जाता है, यानी जमा किए गए सवा चार करोड़ टन कचरे में से सिर्फ सवा करोड़ टन कूड़े का निस्तारण होता है। इस तरह हर साल कुल कचरे का सिर्फ बीस फीसद हिस्सा हम उपचारित कर पाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी स्तर पर ही तीन करोड़ टन कूड़े को किसी न किसी जगह या लैंडफिल साईट पर सड़ने-गलने के लिए डालने की मजबूरी है। विश्व स्तर पर आजकल संयुक्त राष्ट्र की चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। यह चिंता इसलिए है कि प्लास्टिक सदियों तक गलता-मिटता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक की चिंता इस कारण से है कि यह प्लास्टिक कचरा आखिर में समुद्र में जाकर जमा हो रहा है और इसने महासागरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। समस्या का विस्तार गली-कूचे से लेकर महासागरों तक हो चुका है।

अगला सवाल समाधान का है। सुझाव नया नहीं, बल्कि बार-बार दोहराया जाता रहा है कि गीले कूड़े से खाद और ज्यादातर सूखे कचरे का पुनर्चक्रण ही तरीका है। रसोईघर से निकलने वाले गीले कूड़े से बिजली बनाने की बातें भी बहुत पहले से हो रही हैं। प्रायोगिक स्तर के तमाम मॉडल भी पेश हुए हैं। सूखे कचरे के पुनर्चक्रण के मॉडल भी बहुतायत में दिखाए गए हैं, लेकिन औद्योगिक स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर यह काम होता नहीं दिखा। आखिर क्यों? इसका जवाब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कचरे का पुनर्चक्रण मुनाफे का सौदा नहीं है। यह आर्थिक रूप से फायदेमंद काम होता तो प्लास्टिक कचरे को फौरन ही गायब होने से कोई ताकत नहीं रोक पाती। कचरा बीनने और उसे पुनर्चक्रण के लिए तैयार करने में जितना खर्च आता है, उससे सस्ता तो नया कच्चा प्लास्टिक बाजार में उपलब्ध है। यानी कूड़े के उपचारण का काम सिर्फ उसे ठिकाने लगाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसे लाभकारी काम नहीं बनाया जा सकता।

सवाल है कि आखिर पूरे कचरे को उपचारित करने में दिक्कत क्या है? सरकारें मानें या न मानें, दिक्कत सिर्फ एक है कि ठोस कचरे का निस्तारण या उपचारण बहुत ही खर्चीला काम है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्चक्रण जैसे काम को उत्पादक प्रकार का नहीं माना जाता। इसलिए इतने भारी-भरकम धन का प्रबंध कोई भी सरकार क्योंकर करना चाहेगी? जाहिर है, इतना सरकारी खर्च अगर गैर-उत्पादक काम पर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आमतौर पर सरकारों को महंगाई से डर लगता है। अगर वाकई मसला खर्चे का है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि देश जल्द से जल्द साफ-सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन पर खर्च करने लायक माली हैसियत हासिल करे, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी वह तरीका ईजाद करे जिससे कचरे के पुनर्चक्रण का काम आर्थिक रूप से फायदे का बन जाए।

झूठ और बहाना

रमाशंकर श्रीवास्तव

दुनिया मेरे आगे

रात में नाटक देख कर लौटे तो दोस्तों के साथ नाटक के पात्रों पर टीका-टिप्पणी होने लगी। एक ने कहा कि जो साधू बना था उसकी दाढ़ी सही नहीं लग रही थी। एक पात्र के मुंह पर पाउडर सही तरीके से नहीं पुता था। चर्चा चलते-चलते एक दोस्त ने कहा कि यार, नाटक तो पूरी जिंदगी में है, उस पर मुलम्मे के लिए झूठ और बहानेबाजी की जरूरत होती है। विचार करके देखिए तो दोस्त की इस बात में सच्चाई है। जन्म लेते ही बालक रोने लगता है, उसकी रुलाई दूध मांग रही है। रुलाई दूध पीने का बहाना बन कर आती है। देखने में सवाल छोटा-सा है, पर अपनी सच्चाई में वह हमारे जीवन की हर धड़कन में समाया है।

दरअसल, झूठ और बहाने में थोड़ा ही अंतर होता है। जीवन में हमें इन दोनों का अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों के आगे मन शंकालु रहता है। विश्वास होता नहीं। झूठ अनेक शंकाओं को जन्म देता है। झूठ को सच जैसा दिखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बहाने का आधार थोड़ा मजबूत होता है। उसको शब्दों से सजाना पड़ता है। जिसने जितना सजा लिया, उसका बहाना उतना ही विश्वसनीय लगता है। इन्हीं बातों में नाटकबाजी की भूमिका होती है। नाटक से जीवन का कोई काम नहीं संपन्न होता। दो पुराने मित्र बाजार में मिल गए। दोनों खुश। मित्र ने पूछा- 'तुम कैसे हो' तो जवाब था- 'मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम अपना बताओ।' मुंह से 'बिल्कुल ठीक' होने की बात निकल गई, मगर सच क्या है, वे ही जानते होंगे। वास्तविक मनःस्थिति में बोलना होता है कुछ, और बोल जाते हैं कुछ और। मित्र को अपने हाल के बारे में 'बिल्कुल ठीक' कहने के बाद किसी दुकानदार से बेबात ही झगड़ा कर बैठ सकते हैं। लोगों के साथ व्यवहार को कितना भी नियंत्रित कर लिया जाए, भीतरी मनःस्थिति का असर किसी न किसी रूप में पड़ ही जाता है। अगर भीतर से खुश हैं तो वह भी नहीं छिपेगा और दुखी, गुस्सा या परेशान हैं तो वह भी झलक जाएगा।

समाज में ऐसे कई मिलेंगे जिनकी बातों पर एकबारगी विश्वास नहीं होता। पिछले महीने एक सज्जन ने गंभीरता से कहा कि अब देखिए, इस देश का क्या होता है! अमेरिका तो भारत के खिलाफ हो गया है। सुनने वाले को शंका होती है कि यह आदमी झूठा प्रचार कर रहा है। बड़ा नाटकबाज है। दरअसल, पूरी दुनिया ही बहानों के पीछे पड़ी है। कहती कुछ है और करती कुछ। कल जो कहा था, आज भूल गए। पिछले दिनों का बोला संवाद दस रोज बाद तक याद कहां रहता है! वह संवाद झूठ की लहर बन कर आया था और गया। अपनी बात सुनाने के पहले शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए, ऐसा समझदार लोगों का कहना है। हम हर बार संकल्प लेते हैं कि अब जो बोलेंगे, सोच-समझ कर बोलेंगे। लेकिन मौका पड़ने पर भूल जाते हैं।

नाटक में संवाद भूल जाना आम बात है। वैसे ही जिंदगी में जगह-जगह हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हम पर अंकुश रखे। बहकने पर टोक दे। नहीं तो आवेश में हम क्या से क्या बोल जाते हैं। यह सच है कि आवेश में बोली बात भूलते देर नहीं लगती। नाटक तो नाटक है, कितना याद रखेंगे! उसी तरह ठीक से जीने के लिए बहुत-सी बातें भूलनी पड़ती हैं। कल पड़ोसी ने चुनौती दी कि उनकी बात अगर झूठ निकली तो वे अपनी मूंछ कटा लेंगे। बात झूठ निकली, मगर उन्होंने मूंछ नहीं कटाई। अब कौन याद दिलाए कि मूंछ कटा लो। सभी जानते हैं कि मूंछ कटाना कोई खेल नहीं है। कल वे घंटे भर तक इधर-उधर की बातें करते रहे। आज पूछा तो बोले, भूलो यार उन बातों को। बीती बातों में उलझ कर जिंदगी चौपट मत करो।

इसीलिए लगता है कि नाटक करने के लिए तरह-तरह के संवाद जरूरी हैं, लेकिन सारे संवाद हमेशा याद रखे जाएं, यह जरूरी नहीं। घर-परिवार, मित्र मंडली, भाई-रिश्तेदार- सब जगह झूठ और बहानों का विस्तार है। जो सीधे सच्चे हैं और झूठ-सच में नहीं पड़ते, वे हर जगह फंस जाते हैं, क्योंकि बचाव के लिए जिस नाट्यकला की जरूरत है, वह उनमें नहीं होती है। सिनेमा या धारावाहिक नाटकों में जीवन के अनेक नाटक देखे जा जाते हैं। झूठ-सच बोलना पड़ता है। आप जानते हैं कि आप जो झेल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह सभी सच नहीं है। लेकिन आप इस सच्चाई को सीधे बना कर नहीं करते। झूठ भी तभी असरदार होता है, जब उसे सच बना कर कहा जाए। शब्दों का प्रयोग और हावभाव सभी में थोड़ा परिवर्तन चाहिए। जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह कुछ लोग अपने अस्तित्व के लिए झूठ और बहानेबाजी को जरूरी मानते हैं। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि वह झूठ या बहाना कितने पैमाने का हो कि किसी अन्य को उससे कोई भी नुकसान न हो!

नापाक मंसूबे

केंद्र सरकार ने 312 सिख अलगाववादियों व आतंकियों के नाम काली सूची से हटा दिए और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बेअंत सिंह के हत्यारे बब्बर खालसा के आतंकी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। उसके इन कदमों को जहां देशभर में मनाए जा रहे श्री गुरु नानक देव जी के 550 वर्षीय जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के प्रयासों में रूप में देखा जा रहा है, वहीं कुछ विश्लेषक मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मुंह की खाने के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तानी आतंक को हवा देने का फिर से काम शुरू कर दिया, इस कदम से पाक के इन कुत्सित प्रयासों से भी निपटा जा सकेगा। केंद्र सरकार के इन कदमों का राज्य में जहां स्वागत हुआ है वहीं इस बात की भी जरूरत महसूस की जाने लगी है कि सरकार लोगों का दिल जीतने की कोशिश तो करे पर सावधानी से, हवन करे परंतु हवनकुंड की अग्नि से हाथ बचा कर।

यहां गौरतलब है कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद बुरी तरह परास्त तो हुआ लेकिन पूरी तरह अभी मरा नहीं। इसके रोगाणु आज भी देश-विदेश में सक्रिय हैं जो राज्य की युवा पीढ़ी को संक्रमित करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इटली, इंग्लैंड सहित अनेक देशों में आज भी खालिस्तान के नाम पर भारत के अमन में अंगारे फेंकने का प्रयास होता रहता है। विदेशों में बसे खालिस्तानी आतंकियों व अलगाववादी शक्तियों की ओर से 'रेफ्रेंडम 2020' नाम से उग्रवाद की झुलसाहट पर घी फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'के-2' अर्थात कश्मीर और खालिस्तान के संयुक्त मोर्चे पर काम कर रही है। कुछ महीनों पहले तरनतारन के निरंकारी आश्रम में हुआ आतंकी हमला और हाल की घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि खालिस्तानी आतंक की आहट पर शुतरमुर्ग वाला रवैया अपनाना ठीक नहीं होगा।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35-ए हटाए जाने के बाद वहां हुई सख्ती के बाद पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का केंद्र पंजाब को बनाने की साजिश रची जा रही है। विगत पखवाड़े में जम्मू-कश्मीर में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा पंजाब से ही होकर गया बताया जा रहा है। वहीं राज्य में पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों का खुलासा होने के बाद अब हथियार पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। आशंका है कि इनसे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी।

अंदेशा यह भी है कि पाकिस्तान देश के सीमावर्ती राज्य पंजाब के अपराधियों का उपयोग भी आतंकियों के रूप में कर सकता है और उन्हें हथियारों के साथ-साथ नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहा है। केंद्र सरकार ने चाहे राज्य का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने व भटके हुए लोगों को नया अवसर देने का प्रयास किया है पर यह काम जितनी सावधानी से किया जाए उतना ही देश के हित में होगा।

● *राकेश सैन, लिदड़ां, जालंधर*

अमन का रास्ता

आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इन दिनों दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और हर देश अपने हाथ में माचिस की तीली जलाए हुए है। किसी एक की भी हिंसा की नीति संपूर्ण मानव सभ्यता का नाश कर सकती है। ऐसे में हमें गांधीजी के सिद्धांतों व विचारों का प्रचार-प्रसार करना होगा जिससे विश्व में शांति में स्थापित हो सके।

● *चिन्मय बाछड़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय*

बच्चों की खातिर

वर्ल्ड विजन आफ इंडिया और इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश बच्चों को पोषण और सुरक्षित जीवन देने के मामले में पूरे देश में सबसे पीछे है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, बाल अधिकार और उनके लिए सकारात्मक माहौल जैसे बिंदुओं पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। मध्यप्रदेश के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। बाल मृत्यु दर, कुपोषण और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को, जिनमें यौन शोषण जैसे मामले भी शामिल हैं, प्रदेश सरकार रोक नहीं पा रही है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं लिहाजा, हमें अपने बच्चों का कल्याण हर हाल में सुनिश्चित करना चाहिए। सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर संबंधित विभागों को अपनी योजनाएं गंभीरतापूर्वक लागू कर इस स्थिति से उबरने का प्रयास करना चाहिए।

● *ललित महालकरी, इंदौर, मध्यप्रदेश*

अपना गिरेबां

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि विश्व इस्लामोफोबिया (इस्लाम के प्रति भय/ घृणा) से ग्रस्त है। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि दुनिया के 130 करोड़ मुसलिम हथियार उठा सकते हैं। इस धमकी के जरिए इमरान खुद इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे हैं, क्या इस बात का एहसास उन्हें है? जब आप बात-बात पर विश्व को आतंकित करेंगे, या करने का प्रयास करेंगे, तो आपके खिलाफ भय और घृणा बढ़ने वाले ही हैं। एक हैरत की बात यह है कि इमरान ने संसार के कुल 160 करोड़ मुसलिमों की जगह केवल 130 करोड़ की बात की। तीस करोड़ उन्होंने क्यों छोड़ दिए? वास्तव में ये 30 करोड़ हैं- शिया, अहमदिया जैसे समूह जो सुन्नी मुसलिमों के बीच अल्पसंख्यक हैं। ये समूह खुद इस्लामोफोबिया (अथवा सुन्नीफोबिया) के शिकार हैं। सुन्नी आतंकी इन पर भी हमले करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त बलूच, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर, सरायकी जैसे अन्य समुदाय भी हैं, जो सुन्नीफोबिया के मारे हैं।

इमरान के पुरखे जनरल एएके नियाजी ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जाते हुए यह भयानक धमकी दी थी कि वे जल्दी ही वहां की जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान से कम कर देंगे। इसलिए 267 दिन तक प्रतिदिन 12,000 हत्याएं, अर्थात कुल 32 लाख बंगालियों का कत्ल एवं 12 लाख बलात्कार कर नियाजी की फौज ने एक पैशाचिक रिकॉर्ड बनाया। ये आंकड़े पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हम्दुर्रह्मान आयोग और संयुक्त राष्ट्र के हैं। आज तक पाक हुक्मरानों ने इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगी, उन हत्यारों-बलात्कारियों को दंडित करना तो दूर की बात है। ये ऐसे कृत्य हैं, जिनके कारण इस्लामोफोबिया फैला है।

● *पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई फिल्म

- द स्काई इज पिंक
- *लाल कप्तान*
- लूटकेस

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
वॉर	*53 करोड़*
ड्रीम गर्ल	129.25 करोड़
छिछोरे	138.9 करोड़
जोया फैक्टर	2.9 करोड़

3 अक्तूबर तक की कमाई

जन्मदिन

श्वेता तिवारी	4 अक्तूबर
शरद केलकर	7 अक्तूबर
मोना सिंह	8 अक्तूबर
रेखा	*10 अक्तूबर*

परवान नहीं चढ़ पाया था मजरूह का प्यार

धीरेंद्र यादव

एक अक्तूबर को मजरूह सुल्तानपुरी की सौंवी जयंती थी। मजरूह आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन आज भी एक पीढ़ी उनके गानों -'बाबू जी धीरे चलना...', 'इक लड़की भीगी भागी सी...', 'छलकाएं जाम, आइए आपकी आंखों के नाम', 'पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा...', 'हम हैं राही प्यार के हमसे कुछ ना बोलिए...', 'एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल...' को गुनगुनाती है।

गीतकार मजरूह सुलतानपुरी हकीम भी थे। उनको एक लड़की से प्यार हो गया था मगर उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। टूटे दिल के साथ मजरूह ने शायरी करना शुरू कर दिया। फिर जब उन्हें फिल्मों में गाने लिखने पड़े, तो उनका जो पहला गाना मशहूर हुआ, वह था जब 'दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे...' (शाहजहां)। इसे कुंदन लाल सहगल ने गाया था और यह भी कहा था कि उनके जनाजे के साथ यह गाना बजाया जाए।

सौवीं जयंती

मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक अक्तूबर 1919 को हुआ था। हालांकि कुछ लोग आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में भी मानते हैं। मजरूह ने लखनऊ के तकमील उल तीब कॉलेज से यूनानी पद्धति की मेडिकल की परीक्षा पास की और बाद में वे एक हकीम के रूप में फैजाबाद में काम करने लगे। इस दौरान उनको एक लड़की से प्यार हो गया था, जो जल्द ही पटरी से उतर गया। टूटे दिल के साथ मजरूह शायरी की दुनिया में कूदे। मजरूह सुल्तानपुर में होने वाले मुशायरों में हिस्सा लिया करते थे। 1945 में एक मुशायरे में हिस्सा लेने मजरूह मुंबई गए, जहां उनकी शायरी सुन निर्माता एआर कारदार बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म के गीत लिखने के लिए कहा। मजरूह ने मना कर दिया क्योंकि फिल्मों के लिए गीत लिखना वह अच्छा नहीं समझते थे। जिगर मुरादाबादी के कहने पर मजरूह फिल्म में गीत लिखने के लिए तैयार हो गए। संगीतकार नौशाद ने 'शाहजहां' (1946) के गीत लिखने की पेशकश की। शाहजहां में केएल सहगल का गाया 'जब दिल ही टूट गया...' उनकी कलम का ही कमाल है। सहगल ने तो यहां तक कहा था कि उनकी आखिरी यात्रा में यही गाना बजा देना।

मजरूह ने एक बार मुंबई में मजदूरों की हड़ताल के दौरान जवाहर लाल नेहरु के खिलाफ एक नज़्म 'माज़-ए-साथी जाने न पाए..., पढ़ी थी, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। मजरूह के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। राज कपूर ने उनकी सहायता करनी चाही लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब राज कपूर ने उनसे एक गीत लिखवाया। मजरूह ने 'एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल...' लिखा। इसके बदले में राज कपूर ने मजरूह के परिवार को एक हजार रुपए दिए थे।

थाली में हो कुदरत की हरियाली

रोहित कुमार

हमारी थाली का खाना महज हमारे स्वाद और स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, राजनीति और भूगोल का हिस्सा है। ज्यों-ज्यों हम विकास की राह पर आगे बढ़ते गए अपनी समृद्ध खाद्य परंपरा को पीछे छोड़ते गए। हमारे खाने की थाली पर बाजार और कथित विकास का कब्जा होने के बाद सेहत पर जितने नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं उसके बाद से खान-पान पर शोध बढ़ गया है।

खाना वही सही है जो हमें कुदरत और पोषण से जोड़े। इन दिनों पर्यावरणविद खाने की प्राकृतिक विविधता पर जोर दे रहे हैं। खाने को कुदरत से जोड़ने की कवायद में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट 'फर्स्ट फूड बिजनेस ऑफ टेस्ट' का ताजा संस्करण लेकर आया है। इस किताब को लाने का विचार और इसके लिए शोध करने वालीं विभा वार्ष्णेय का कहना है कि इस किताब की श्रृंखला के तहत हमारी कोशिश है कि आम लोग अपनी क्षेत्रीय जैव विविधता के अंदर ही पोषक खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक हो सकें। ताजा संस्करण में इस बात पर ध्यान दिलाया है कि कैसे इन खाद्य पदार्थों के जरिए उन लोगों की जीविका का इंतजाम हो सकता है जो जंगलों में इनकी रक्षा कर रहे हैं। चौलाई के बीज हों या गोंगुरा के पत्ते या रागी के बीज, ये इन दिनों खान-पान का हिस्सा और खास समुदाय की आमदनी का जरिया बन रहे हैं। इस किताब के लिए शोध के दौरान हमने जाना कि बहुत से खानसामे ऐसे हैं जो इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग उस बड़े बदलाव के अगुआ हैं जो वनस्पतियों को लोकप्रिय कर रहे हैं।

पुस्तक समीक्षा

मुंबई में बांबे कैंटीन के शेफ थॉमस जाकारिस उन लोगों में से हैं जो लोगों की थाली में जैव विविधता ला रहे हैं। वे खाना बनाने में मोराज भाजी का इस्तेमाल करते हैं। मोराज का पौधा लवणयुक्त पानी में होता है जिस कारण इसके पत्ते नमकीन होते हैं और खाने में डाले जाने के बाद चाट-मसाला जैसा स्वाद देते हैं। विभा वार्ष्णेय का कहना है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें इन पौधों को लोकप्रिय बनाने से उस प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है जहां ये पैदा होते हैं। मखाना इन दिनों एक लोकप्रिय स्नैक हो चुका है, जिसकी खेती तालाब में की जाती है। इसलिए अब किसान उन तालाबों को लेकर फिक्रमंद हैं जो उनकी जीविका का हिस्सा बन रहे हैं। ये तालाब दलदली जमीन का हिस्सा हैं जो बाढ़ को रोकने के लिए बहुत अहम हैं।

गोंद के लड्डू से लेकर चलता दाल, महुआ पुआ, बांस का अचार से लेकर व्यंजनों में चिरौंजी के इस्तेमाल के बारे में इस किताब से जाना जा सकता है। नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल से लेकर दलदल तक आपकी थाली और सेहत को कितना समृद्ध बना सकते हैं इसके ज्ञान का खजाना इसमें समेटने की कोशिश की गई है।

प्रियंका चोपड़ा

अपना आसमान खुद बनाओ

आरती सक्सेना

प्रियंका चोपड़ा लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। पिछले साल निक जोनस के साथ शादी करने और सलमान खान की 'भारत' में काम से इनकार करने के बाद लगा कि कहीं वह फिल्मों से दूर न चली जाएं। मगर प्रियंका शोनाली बोस के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'द स्काई इज पिंक' के जरिए बॉलीवुड में दोबारा आगाज करने जा रही हैं। रिलीज के लिए तैयार इस फिल्म को लेकर प्रियंका से हुई बातचीत के अंश।

सवाल : प्रियंका 'द स्काई इज पिंक' के बारे में क्या कहेंगी?

●सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि भले ही मैं विदेश में जा बसी हूं लेकिन मुझे अपने देश से बेहद प्यार है और मैं यहां आती रहूंगी। 'द स्काई इज पिंक' के बाद मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में और कहानियों पर काम करूंगी। फिलहाल मैं एक कॉमेडी फिल्म में काम कर रही हूं। एक और फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है। इसके अलावा विदेश में भी मैं कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं।

सवाल : इस फिल्म में ऐसा क्या खास था. जिसके लिए आपने यह फिल्म साइन की?

●मेरे लिए यह एक विशेष फिल्म है क्योंकि इस फिल्म की कहानी ऐसे मां-बाप की कहानी है, जो अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देने में विश्वास करते हैं जो भले लंबी न हो अच्छी हो। मैं इसमें अदिती का किरदार निभा रही हूं। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मेरे माता-पिता ने भी मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, मुझे बड़े सपने देखना सिखाया। यह फिल्म प्रेरणादायक है। मुझे यह कहानी खुद से जुड़ी हुई लगी, लगा कि जैसे मेरी कहानी है।

सवाल : फिल्म का शीर्षक 'द स्काई इज पिंक' क्यों है? जबकि आसमान तो नीला होता है।

●इस फिल्म में एक शॉट है जिसमें अदिती यानी फिल्म की अभिनेत्री अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए लंदन में है और उसका बेटा अपने पिता के साथ मुंबई में रह रहा है। एक रात अदिती का बेटा उसे फोन करके रोने लगता है और कहता है कि आज शिक्षक ने मुझे बहुत मारा क्योंकि मैंने आसमान का रंग पिंक (गुलाबी) कर दिया था। यह सुनते ही अदिती भावुक हो जाती है और साथ ही उस शिक्षक पर गुस्सा भी हो जाती है, ये कहते हुए कि वह कौन होता है किसी का आसमान तय करने वाला। अगर किसी का आसमान नीला हो सकता है तो किसी का पिंक भी तो हो सकता है। हमें हक है अपना आसमान खुद तय करने का। ये डॉयलॉग शोनाली बोस के दिलो दिमाग पर हावी हो गया और उसने फिल्म का नाम 'द स्काई इज पिंक' रख दिया।

आमने सामने

सवाल : इस फिल्म में आप एक मां का किरदार निभा रही हैं वह भी 15 से 17 साल की लड़की का। इस उम्र में मां का किरदार निभाना आपको मुश्किल नहीं लगा।

●नहीं क्योंकि इससे पहले भी मैंने मां का किरदार निभाया है। जब मैं महज 25 से 30 वर्ष की थी तब मैंने फिल्म 'प्यार इम्पॉसिबल' की थी। इसके बाद फिल्म 'सात खून माफ' में नसीरुद्दीन शाह की पत्नी का किरदार निभाया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा किरदार निभा रही हूं। मेरे लिए कहानी और मेरा किरदार महत्व रखता है। अगर किसी फिल्म में मां का किरदार दमदार है तो मैं उसे निभाने में जरा भी नहीं चुकूंगी। मैंने करिअर के शुरुआती दिनों में निगेटिव किरदार भी निभाया है, जो कोई नहीं करता।

सवाल : आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगहों पर काम किया है। आपको कौन बेहतर लगा?

●मुझे तुलना करना पसंद नहीं है। जज करने के बजाय अगर हम अपने काम पर ध्यान दें और अच्छी फिल्में करे तो देश क्या विदेश क्या, हर जगह हमें पसंद किया जाएगा और हमारे काम को सराहा जाएगा।

सवाल : चुनौतीपूर्ण किरदारों को चुनने और इन्हें करने का आत्मविश्वास आपमें कहां से आता है?

●सच कहूं तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं कोई महान काम कर रही हूं, चुनौतीपूर्ण काम कर रही हूं। क्योंकि मैं गैर-फिल्मी बैकग्राउंड से हूं इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा गहराई से पता ही नहीं चल सका। मैं सिर्फ काम ही करती चली गई, कभी इसे चुनौती के रूप में नहीं लिया। जिस भी किरदार ने मेरे दिल को छू लिया बस मैंने वह किरदार कर लिया।

खबर कोना

'तख्त' की शूटिंग होगी अगले साल: विक्की कौशल

अभिनेता विक्की कौशल ने कहा कि फिल्म 'तख्त' की शूटिंग में अभी समय है। शूटिंग के अगले साल से पहले शुरू होने की संभावना कम है। अभिनेता ने कहा कि 'तख्त' की टीम अगले साल फरवरी में फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि वह बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विक्की ने कहा, 'हम फरवरी में 'तख्त' की शूटिंग शुरू करेंगे, इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इससे पहले मैं 'उधम सिंह' पूरी करूंगा। फिर फिल्म 'तख्त' की शूटिंग शुरू करूंगा। यह बड़े सितारों के साथ बड़ी फिल्म है। हम एक ही पर्दे पर आएंगे और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। हम सब बहुत खुश हैं और मैं इसके शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं।' करण जौहर के निर्देशन वाली 'तख्त' मुगल काल पर आधारित है और यह मुगल शासक औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह के बीच के रिश्तों की कहानी है। इसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, भूमि पेडनेकर, जाह्नवी कपूर और अनिल कपूर भी नजर आएंगे।

दिसंबर में रिलीज होगी रानी की 'मर्दानी-2'

लंबे समय बाद रानी मुखर्जी एक बार फिर खबरों में है। यह खबर उनकी आगामी फिल्म 'मर्दानी-2' को लेकर है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर सोशल नेटवर्किंग साइट पर साझा किया गया है। इसमें रानी मुखर्जी एक दमदार पुलिसकर्मी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में दिखाई देंगी। यश राज फिल्म्स के प्रोडक्शन वाली इस फिल्म के लेखक और निर्देशक गोपी पुथरण हैं। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का टीजर हाल ही में ट्विटर अकाउंट से साझा किया गया। सोमवार को फिल्म 'मर्दानी-2' के 30 सेकंड के टीजर को साझा करते हुए लिखा गया, 'इस नवरात्रि, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तारीख याद रख लीजिए। मर्दानी-2 13 दिसंबर को रिलीज होगी।' यह फिल्म 2014 में प्रदीप सरकार के निर्देशन वाली 'मर्दानी' का सीक्वल है। इस फिल्म में दमदार पुलिसकर्मी की भूमिका निभा कर रानी मुखर्जी ने खूब वाहवाही लूटी थी।

दो हीरोइनों वाली फिल्म करने की चाहत थी मेरी : तापसी

तापसी पन्नू का कहना है कि वह काफी समय से ऐसी फिल्म का इंतजार कर रही थी जिसमें दो हीरोइनें हों और दोनों की भूमिका समान महत्व की हो। उनकी आगामी फिल्म 'सांड की आंख' के साथ उनका यह इंतजार खत्म हो गया। इसमें वह अभिनेत्री भूमि पेडनेकर के साथ हैं। फिल्म उत्तर प्रदेश के जोहरी गांव की रहने वाली चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के जीवन पर आधारित है। दोनों महिलाएं दुनिया की सबसे उम्रदराज शार्प शूटर हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती हैं। फिल्म में तापसी प्रकाशी तोमर की भूमिका में हैं जबकि भूमि चंद्रो बनी हैं। तापसी ने कहा, 'मैं ऐसी फिल्म करना चाहती थी जिसमें दो हीरोइनें हों और दोनों के किरदार बराबर महत्व के हों। मुझे पता चला कि एक टीम इस तरह की एक कहानी पर काम कर रही है।

'कोमाली' की हिंदी रीमेक में होंगे अर्जुन कपूर

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर तमिल की मशहूर फिल्म 'कोमाली' की हिंदी रीमेक में अभिनय करते नजर आएंगे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने 'कोमाली' के रीमेक के अधिकार हासिल कर लिए हैं। बोनी कपूर ने कहा, 'हम दुनिया में सभी भाषाओं के लिए 'कोमाली' के रीमेक अधिकार हासिल करने को लेकर काफी खुश हैं। हिंदी रीमेक में अर्जुन कपूर अभिनय करेंगे।' बता दें कि 'कोमाली' एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है लंबे समय से कोमा में था। कोमा से बाहर आने के बाद उसे उस समय के साथ समायोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भले ही अर्जुन का जादू पर्दे पर नहीं चल पा रहा है इसके बावजूद वे किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। अर्जुन कपूर लंबे समय से मलाइका अरोड़ा के साथ अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में हैं।

विजू खोटे (17 दिसंबर,1941-30 सितंबर, 2019)

मरने के बाद भी नहीं मरा कालिया

गणेशनंदन तिवारी

पैंतीस सालों तक कालिया दर्शकों के दिमाग में इस शिद्दत से जिंदा था कि निर्देशक अश्विनी धीर ने 'अतिथि तुम कब जाओगे' (2010) में जब इसके इर्दगिर्द एक सीन रखा, तो उसे समझने में आज की पीढ़ी को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यह था 'शोले' (1975) के किरदारों की पीढ़ियों तक फैली लोकप्रियता का आलम। गब्बर से कालिया डरा, उसकी गोली से मरा मगर मरने के बाद भी नहीं मरा। हिंदी से विजू डरे, मगर डर कर भागे नहीं और हिंदी फिल्मों में पचास साल लंबी पारी खेली, जिसमें 300 से ज्यादा फिल्में थीं।

हमारी याद आएगी

शोले में गब्बर असफल लौटे कालिया को ज्ञान की बात बताता है- जो डर गया, समझो मर गया। फिर डरने की सजा देता है। पिस्तौल से तीन फायर करता है। तीनों जो पहले बच कर हंस रहे थे, मर जाते हैं। कालिया मतलब विजू खोटे इससे पहले भी डरे थे। गोली से नहीं, हिंदी से। विजू खोटे की हिंदी कमजोर थी। मुंबई के ठाकुरद्वार इलाके के उनके स्कूल में नाटक मंचन की तैयारी चल रही थी। विजू से उसके हिंदी अध्यापक ने नाटक में काम करने के लिए कहा। विजू ने कहा कि उसे एक्टिंग पसंद नहीं है और वह इस नाटक में काम नहीं करना चाहता। दरअसल कमजोर हिंदी से डर कर विजू ने यह बात कही थी। मगर अध्यापक ने उसे उत्साहित किया। उसके अभिनेता पिता नंदू खोटे का हवाला दिया। तब डरते-डरते विजू ने हां कहा था।

विजू की हां से खोटे परिवार में अभिनय की परंपरा आगे बढ़ी थी। न चाहते हुए भी विजू को अपनी बहन की तरह अभिनय की दुनिया में कदम रखना पड़ा। विजू के पिता नंदू खोटे मूक फिल्मों, मराठी नाटकों के एक्टर डाइरेक्टर थे। नंदू खोटे के भाई विश्वनाथ खोटे की पत्नी दुर्गा खोटे ('मुगले आजम' की जोधाबाई) हिंदी फिल्मों में नाम कमा चुकी थी। विजू की बहन शुभा तो चार साल की उम्र से पिता के नाटकों में जब तब काम करती थी।

शुभा स्विमिंग और साइकिलिंग की चैम्पियन थी और खेल की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। निर्देशक अमिय चक्रवर्ती ने शुभा की तसवीरें देखीं और 'सीमा' (1955) में काम का प्रस्ताव भिजवाया। प्रस्ताव लेकर जो मराठी आदमी गया था, उसने जब पैंट-शर्ट पहने शुभा को अपने से डेढ़ेक साल छोटे भाई विजू को तकिए से पीटते देखा तो उलटे पैर लौट गया। जाकर कहा कि लड़की फिल्म की भूमिका में फिट नहीं है। मगर चक्रवर्ती की जिद थी और खोटे परिवार की नियति, चक्रवर्ती ने सीमा में शुभा को मौका दिया।

यही विजू के साथ हुआ। पिता ने उन्हें अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'या मालक' (1964) का हीरो बना दिया, जिसमें महमूद और शुभा खोटे की जोड़ी थी, जो तब लोकप्रिय थी। फिर दस साल खोटे ने 'अनोखी रात', 'जीने की राह', 'रामपुर का लक्ष्मण' जैसी फिल्मों में छिटपुट भूमिकाएं की। 1975 में आई 'शोले' से विजू खोटे के कैरियर में नया मोड़ आया। उन्होंने दस दिन शूटिंग की। मगर इन दस दिनों में उनके अंजरपंजर ढीले हो गए। जिस भूरी घोड़ी पर बैठ कर उन्हें ठाकुर (संजीव कुमार) के सामने पहुंचना था, उसने सात बार विजू को गिराया। खूब हड्डियां टूटीं।

नंदू खोटे अपने बेटे के लिए फिल्म बना कर उसे लोकप्रिय हीरो नहीं बना पाए थे। यह काम वक्त ने 11 सालों बाद 'शोले' में किया। घुमाई हुई मूंछें, भाल पर लंबा तिलक, गले में ताबीज, कंधे पर दुनाली लटकाए कालिया को दो-तीन दृश्यों में ही दर्शकों ने इतना पसंद किया कि अभिनय के प्रति जो अरुचि, हिंदी के प्रति जो डर विजू खोटे में था, वह निकल गया। इसके बाद तो लगभग पचास सालों तक खोटे फिल्मों में बॉस के चमचे के रूप में खूब पिटे भी और खूब हंसाया भी। मगर उनकी भूमिकाओं पर कालिया इतना हावी हुआ कि अंतिम समय तक लोग उन्हें कालिया रूप में ही जानते रहे।

दिल्ली-कटरा वंदेभारत शुरू, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 10 साल में सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल होगा जम्मू कश्मीर

सरकार का दावा 15 अगस्त 2022 से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ेगी रेल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

दिल्ली-कटरा के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस को गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विकास में अवरोधक था और वंदेभारत एक्सप्रेस के शुभारंभ के साथ ही क्षेत्र में विकास की यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। सरकार की यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा तोहफा है।

शाह ने कहा कि धर्म की जम्मू कश्मीर के विकास में अहम भूमिका है। देश में हर नागरिक जीवन में कम से कम एक बार माता वैष्णों देवी की धार्मिक यात्रा पर जाने की इच्छा रखता है। उन्होंने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि देश के सभी धार्मिक स्थलों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए और बेहतरीन रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस दिशा में वंदे भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ना सरकार का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि धारा 370 समाप्त हो जाने के बाद देश से आंतकवाद और इससे जुड़ी विचारधारा को समाप्त करने में कामयाब होंगे।

यह ट्रेन देश में निर्मित यह दूसरी वंदेभारत एक्प्रेस है। पहली ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई जा रही है। इस ट्रेन को चैन्नई की रेल कोच फैक्टरी में तैयार किया गया है। ट्रेन संख्या 22439 नई दिल्ली-कटरा वंदेभारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर दो बजे कटरा पहुंचेगी। उसी दिन वापसी यात्रा ट्रेन संख्या 22440 से होगी। यह दोपहर तीन बजे कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और रात 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन को मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलाया जाएगा। दिल्ली से कटरा के लिए चेयरकार का किराया 1570 रुपए होगा जबकि एक्जिक्यूटिव क्लास में यह शुल्क 2965 रुपए तय किया गया है। ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी में दो-दो मिनट रुकेगी।

2022 तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क से जुड़ेगा देश : केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 15 अगस्त 2022 तक रेल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ा जाएगा। इसके लिए मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। वे वंदेभारत के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वंदेभारत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बतौर 'श्रवण कुमार ' काम करेगी और पूरे देश को कटरा से जोड़ेगी। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद रेलवे यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने व ग्रामीण भारत को शहरों से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। अब तक देश के 5000 स्टेशन वाईफाई से जोड़े जा चुके हैं और रेल व रेलवे स्टेशन को सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा गया है। सीसीटीवी से यात्रियों के सफर को और सुरक्षित बनाने में मदद हासिल हुई है।

इसके अतिरिक्त हाल ही में मंत्रालय ने 6500 स्टेशन को स्वच्छता से जोड़ा है और इसके कामकाज की एक रिपोर्ट भी तैयार की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि वंदेभारत एक्सप्रेस 'स्टेट ऑफ आर्ट' बेहतरीन उदाहरण है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह व सी. अंगडी, बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव समेत रेल मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

नया सफर — नई दिल्ली में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फोटो : अरुष चोपड़ा

एनआरसी पर विचार कर रही है कर्नाटक सरकार

बंगलुरु, 3 अक्तूबर (भाषा)।

कर्नाटक की भाजपा सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बोम्मई ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'समूचे भारत में एनआरसी को लागू करने के संदर्भ में बड़ी बातचीत चल रही है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां सीमा पार से लोग आकर बस रहे हैं। यहां कई मुद्दे हैं।' उन्होंने कहा, 'इसलिए हम सभी सूचनाएं जुटा रहे हैं, हम इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जोर देकर कहा था कि एनआरसी की कवायद पूरे भारत में की जाएगी और सभी अवैध प्रवासियों को कानूनी तरीके से देश के बाहर निकाला जाएगा।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कहा है कि राज्य में एनआरसी की इजाजत नहीं दी जाएगी।

नाराज तंवर का सभी समितियों से इस्तीफा

पेज 1 का बाकी

टिकट देने की मांग की गई थी। उन्होंने लिखा कि इसके साथ-साथ जजपा व इनेलो से आए नेताओं को टिकट नहीं देने की सिफारिश भी उन्होंने की थी लेकिन टिकट वितरण में उनकी किसी भी सिफारिश को नहीं माना गया।

तंवर ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने हरियाणा चुनाव से संबंधित सभी समितियों से हटने के फैसले की जानकारी दी गई है। वे सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पृष्ठभूमि किसी राजघराने या राजनीतिक परिवार की नहीं है। वे कांग्रेस में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामान्य परिवार से आकर समाज की भलाई के लिए मेहनत करते हैं।

तंवर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ने को कहा था जो मेहनत करने वाले हैं, जुझारू हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पांच साल, आठ महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने वही किया। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने बीते पांच साल पार्टी के लिए खून-पसीना बहाया, आज टिकटों के बंटवारे में उनकी उपेक्षा कर उन लोगों को टिकट देने का फैसला किया गया जो पार्टी के किसी एक धरना-प्रदर्शन तक में नहीं आए।

भाजपा के दो राज्यसभा उम्मीदवार घोषित

राज्यसभा उपचुनाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुधांशु त्रिवेदी व बिहार से सतीश दुबे को उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। यह सीट अरुण जेटली के निधन के कारण खाली हुई थी। जबकि बिहार से सतीश दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है।

बिहार की यह सीट वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की मृत्यु के बाद खाली हुई है।

भाजपा को इन सीटों पर जीत का भरोसा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास बहुमत है जबकि बिहार में पार्टी को जद (एकी) और लोजपा का समर्थन है। आमतौर पर एमएलसी और राज्यसभा सीट के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल की ही जीत होती है। इसी कारण अक्सर विपक्षी दल अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारते। इस नाते दोनों उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जमानत के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि उन्हें कैद में रखना एक तरह से सजा है और अज्ञात और असत्यापित आरोपों के आधार पर व्यक्ति की आजादी से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले में तिहाड़ जेल में कैद चिदंबरम ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। लिहाजा अदालतों को अभियोजन पक्ष की न्यायिक हिरासत में रखने की कोशिश पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह भी एक तरह से मुकदमे की सुनवाई से पहले सजा के समान है। खराब सेहत का हवाला देते हुए 74 वर्षीय कांग्रेस नेता ने कहा कि वे जेल के खाने के आदी नहीं हैं और न्यायिक हिरासत के दौरान उनका वजन चार किलोग्राम कम हो गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर को जमानत याचिका को खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने कभी भी गवाहों या आरोपियों से संपर्क करने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले की जांच अंतिम चरण में है और ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल चिदंबरम की ओर से पेश हुए और न्यायमूर्ति एनवी रमणा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ से याचिका को त्वरित आधार पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

इस पर पीठ ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष भेजा जाएगा और वे ही मामले को सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे। अपनी याचिका में चिदंबरम ने कहा कि सीबीआइ की ओर से मुहैया कराए गए सीलबंद दस्तावेज के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला लिया लेकिन वे दस्तावेज न तो रिकॉर्ड के हिस्सा थे और न ही उन्हें दिखाया गया व उन्हें इस पर अपना पक्ष भी रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की संभावना के बारे में बिना किसी पुख्ता दस्तावेज और असत्यापित आरोपों के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर गलती की।

खुदाई से साफ है कि वहां मंदिर था : वकील

पेज 1 का बाकी

के बारे में कोई निश्चित साक्ष्य या तथ्य नहीं है।

वैद्यनाथन ने कहा कि हिंदू पक्षकारों का यही मामला है कि खुदाई में मिले अवशेषों, घेराकार मंदिर, स्तंभों के आधार, एक दूसरे से मिलती दीवारें और अन्य सामग्री से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां एक मंदिर था।

संविधान पीठ अयोध्या में राज जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही है।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

करतारपुर : पंजाब के समारोह में शामिल होंगे मनमोहन : अमरिंदर

पेज 1 का बाकी

है। मुख्यमंत्री अमरिंदर ने बताया कि मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने 550वें प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के मुताबिक दोनों राजनेताओं ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से अलग-अलग मुलाकात की और पावन अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ करतारपुर गलियारे के उद्घाटन का कार्यक्रम तय होने के बाद कोविंद और मोदी के दौरे का कार्यक्रम तय किया जाएगा।

इस बीच एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रमों का ब्योरा साझा किया गया है और उनसे अपनी सुविधा के मुताबिक इन कार्यक्रमों में शामिल होने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह आग्रह किया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों करतारपुर गलियारा खोलने से जुड़े डेरा बाबा नानक वाले कार्यक्रम और सुल्तानपुर लोधी में 12 नवंबर को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल हों। अमरिंदर ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी आग्रह किया कि सर्वदलीय जत्थे के पाकिस्तान में ननकाना साहिब जाने को लेकर राजनीतिक स्वीकृति दिलाने के लिए वह निजी तौर पर दखल दें। उधर, पंजाब सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ननकाना साहिब जाने वाले शिष्टमंडल के दौरे और पाकिस्तान से 'नगर कीर्तन' पंजाब आने को औपचारिक मंजूरी दी जाए। सरकार ने प्रकाश पर्व के मौके पर पांच से 15 नवंबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि वह नौ नवंबर को होने वाले गलियारे के उद्घाटन समारोह में मनमोहन सिंह को आमंत्रित करेगी।

हरियाणा : टिकट बंटवारे में कद्दावर नेता हुड्डा की चली

पेज 1 का बाकी

वेणु सिंगला अग्रवाल, अंबाला शहर से जसबीर मल्लौर, सढ़ौरा से रेणु बाला, जगाधरी से अकरम खान, यमुनानगर से निर्मल देवी व नारायणगढ़ से प्रत्याशी शैली चौधरी को सैलजा कोटे से टिकट मिले हैं।

उकलाना से उम्मीदवार बनाई गईं बाला देवी, चरखी दादरी से मेजर नृपेंद्र सिंह सांगवान, रादौर से बिशनलाल सैनी व असंध से शमशेर सिंह विर्क 'गोगी' को भी सैलजा समर्थक माना जाता है। नारनौंद से बलजीत सिहाग के नाम पर सैलजा के साथ हुड्डा भी समर्थन में बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि आधा दर्जन के करीब उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनके लिए शैलजा व हुड्डा दोनों ने ही सिफारिश की थी।

सोनिया गांधी के आवास के बाहर हंगामा करने वाले पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने आलाकमान से मांगी तो 40 टिकटें थी लेकिन मिली केवल पांच। इंद्री प्रत्याशी डॉ.नवजोत कश्यप पंवार का नाम तंवर की सूची में था। वह पार्टी के पंचायती प्रकोष्ठ के चेयरमैन सुनील पंवार की पत्नी हैं। इसी तरह से सिरसा सीट पर पंडित होशियारी लाल शर्मा व फरीदाबाद के पूर्व विधायक आनंद कौशिक की गिनती भी तंवर के करीबियों में होती है। कालांवाली प्रत्याशी शीशपाल केहरवाला और रानियां के विनित काम्बोज को भी तंवर कोटे में ही गिना जा रहा है।

ऐसे ही कुछ हालात कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन रणदीप सिंह सुरजेवाला के हैं। जो अपने सहित पांच नेताओं को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। सुरजेवाला शाहबाद से अनिल धन्तौड़ी, पुंडरी से सतबीर सिंह जांगड़ा, नरवाना से विद्या रानी को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। अटेली से उम्मीदवार घोषित किए गए राव अर्जुन सिंह को भी सुरजेवाला कोटे से बताया गया है।

हरियाणा विधानसभा में विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी की हालत सबसे दयनीय रही है। वह अपने गृह जिला भिवानी-महेंद्रगढ़ में भी अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिलवा सकी। किरण चौधरी बाढड़ा से रणबीर सिंह महेंद्रा को टिकट देने के खिलाफ थी लेकिन उनकी यहां नहीं चली। भिवानी सीट पर किरण की पसंद से अमर सिंह को टिकट मिला है। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी को बवानीखेड़ा से टिकट मिला है। फौजी को भी किरण के करीबियों में ही गिना जाता है।

हरियाणा में खुद को दक्षिण हरियाणा के नेता के रूप में प्रचारित करने वाले पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव अपने बेटे चिरंजीव राव को तो रेवाड़ी से टिकट दिलवाने में कामयाब रहे लेकिन उनके कोटे से कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। इसी तरह से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बेटे को टिकट दिलवाई है। कुलदीप बिश्नोई के कोटे से दो टिकट दिए गए हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई नलवा से अपने साथी रणधीर पनिहार और हिसार से रामनिवास राड़ा को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। पनिहार को तो कुलदीप ने पहले ही नलवा में जनसभा कर-के प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके अलावा अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में हुड्डा समर्थकों को टिकट दिया गया है।

पाक ने कई गांवों व अग्रिम चौकियों पर गोलाबारी की

पेज 1 का बाकी

की सेना ने बुधवार रात को शाहपुर और गोत्रिया इलाकों में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर दर्जनों गांवों और अग्रिम चौकियों पर निशाना साधा। पाकिस्तान ने भारी हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। यह गुरुवार सुबह तक जारी रहा। गोलाबारी से एक दुकान क्षतिग्रस्त हो गई वहीं गायों का बाड़ा भी तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि सीमापार से शाहपुर में मोर्टार गोलाबारी और छोटे हथियारों से गोलीबारी तेजी से हुई, जहां प्रसिद्ध सूफी संत साईं बाबा मिरान बकाश की दरगाह के पास कई मोर्टार के खोखे गिरे। एक दुकान क्षतिग्रस्त हो गई।

अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी और गोलाबारी करीब नौ घंटे तक जारी रही। पर्वतीय इलाकों में गोलाबारी से भूस्खलन की घटनाएं होने से सड़कें अवरुद्ध हो गईं। सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल रहा जहां पाकिस्तान ने रातभर मोर्टार दागे। पुंछ में विस्फोटों की आवाजें भी सुनी गईं। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी जिले में एलओसी पर केरी में रातभर गोले दागे।

कुछ आतंकियों के दिल्ली में घुसने की खबर, चौकसी बढ़ी

पेज 1 का बाकी

संदिग्ध भी शामिल हैं, जिनके कभी सक्रिय होने की जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। ये संगठन जहां एक ओर त्योहरों के दौरान अपने मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में हैं।

वहीं, जम्मू काश्मीर की स्थिति को लेकर भी आतंकी हमला करने के फिराक में हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी दिल्ली, मध्य जिले के पहाड़गंज के अलावा जामिया नगर, जाकिर नगर, सीलमपुर के अलावा अन्य कई संदिग्ध ठिकानों पर छापामारी की है, जहां से दो संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ में संदिग्धों ने क्या कुछ कहा है इसे लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आई है।

आतंकी हमले के खतरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही संदिग्धों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बाजारों में बिना छानबीन किए किसी भी शख्स को अंदर जाने की अनुमति सुरक्षा बल नहीं दे रहे हैं। साथ ही बाजार समिति के सदस्यों के साथ मिल कर अतिरिक्त स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है, जो बाजारों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से सभी बड़े रेलवे स्टेशन, बस अड्डा के अलावा उन सभी पर्यटक स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना लगा है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही बड़े मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स के आसपास भी दिल्ली पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है।

भाई-भतीजावाद से बाहर नहीं निकल पाई कांग्रेस

पेज 1 का बाकी

घोषित किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे वरुण चौधरी को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। हुड्डा सरकार में वित्त मंत्री रहे हरमोहिंद्र सिंह भी अपने बेटे मनदीप सिंह के लिए टिकट लेने में कामयाब रहे। हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी रहे डॉ. केवी सिंह भी अपने बेटे अमित सिहाग को डबवाली से टिकट दिलवाने में सफल रहे।

पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव को कांग्रेस ने रेवाड़ी से चुनावी रण में उतारा है। कैप्टन यादव ने हालिया लोकसभा चुनाव गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र से लड़ा था। पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री दिवंगत शिवचरण लाल शर्मा के बेटे नीरज शर्मा को कांग्रेस ने फरीदाबाद एनआइटी से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपने बेटे विजय प्रताप सिंह को बडखल हलके से टिकट दिलवाया है।

कांग्रेस की सूची में राव इंद्रजीत का भाई और भतीजा : अपनी बेटी के लिए विधानसभा की टिकट हासिल करने के लिए प्रतिष्ठा दांव पर लगाने वाले मोदी के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भले ही भाजपा ने ज्यादा अहमियत नहीं दी है लेकिन कांग्रेस ने उनके परिवार को दो टिकट दे दिए हैं। कांग्रेस ने इंद्रजीत सिंह के भाई और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह यादव को कोसली से उम्मीदवार घोषित किया है। पिछला चुनाव भी यादवेंद्र ने कोसली से ही लड़ा था लेकिन इंद्रजीत के विरोध के कारण वे चुनाव हार गए। वहीं इंद्रजीत के दूसरे भाई अजित सिंह के बेटे राव अर्जुन सिंह को कांग्रेस ने अटेली से चुनावी रण में उतारा है। बेटी को टिकट नहीं मिलने के कारण भाजपा से नाराज चल रहे राव इंद्रजीत अपने भाई व भतीजे की मदद करते हैं या नहीं यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

संजय निरुपम नहीं करेंगे कांग्रेस का प्रचार

पेज 1 का बाकी

में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। निरुपम ने कहा कि मैंने एक उम्मीदवार की सिफारिश की थी, लेकिन उसे भी टिकट नहीं दिया गया।

पार्टी को अलविदा कहने की धमकी देते हुए निरुपम ने ट्वीट किया-ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब मेरी सेवाएं नहीं चाहती है। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई में सिर्फ एक नाम की सिफारिश की थी। सुना है कि इसे भी खारिज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले नेतृत्व को बताया था, उस स्थिति में मैं चुनाव प्रचार में भाग नहीं लूंगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है।

निरुपम ने एक और ट्वीट में लिखा-मुझे उम्मीद है कि पार्टी को विदा कहने का वक्त नहीं आएगा, लेकिन, नेतृत्व जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, उससे लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है। लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने निरुपम को मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाकर कमान युवा नेता मिलिंद देवड़ा के हाथों में सौंप दी थी। हालांकि चुनाव में मिली शिकस्त के बाद देवड़ा ने भी यह पद छोड़ दिया।

पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ाई गई

पेज 1 का बाकी

को 21 अगस्त को जोर बाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आइएनएक्स /इ /इमीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जेल में अब दिन में एक बार घर का बना खाना खा सकते हैं। सुनवाई कर रही अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की इस बाबत लगी अर्जी को स्वीकार कर उनको बड़ी राहत दे दी। चिदंबरम को घर का खाने की इजाजत देते हुए जज ने कहा कि उन्हे इसकी इजाजत दी जाती है। एक अक्तूबर को चिदंबरम (74) ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल में घर का बना खाना मुहैया कराने का अनुरोध किया था। इससे पहले भी चिदंबरम के वकील अदालत में जज से कह चुके हैं कि जेल में उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। इस कारण उनका वजन भी कम हो रहा है।

मयंक टैस्ट में शतक को दोहरे में बदलने वाले चौथे बल्लेबाज

पेज 1 का बाकी

कांबली ने भी पहले टैस्ट शतक को दोहरे शतक में तब्दील किया था।

रोहित-अग्रवाल 300 रन की भागीदारी करने वाली तीसरी भारतीय जोड़ी : रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल की जोड़ी टैस्ट क्रिकेट इतिहास में 300 रन की भागीदारी निभाने वाली तीसरी भारतीय सलामी जोड़ी बन गई। रोहित और अग्रवाल ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टैस्ट के दौरान 317 रन की साझेदारी करके हासिल की। रोहित और अग्रवाल के अलावा टैस्ट क्रिकेट में पहले विकेट के लिए 300 रन से ज्यादा की भागीदारी निभाने वाली अन्य भारतीय जोड़ियां वीनू मांकड़ और पंकज रॉय (1956) व वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ (2006) की हैं।

श्रीनगर की सड़कों पर लगा भीषण जाम

पेज 1 का बाकी

हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाने से परहेज कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि निजी वाहनों का आवागमन बढ़ने के चलते शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति रही। शहर में निजी वाहनों, ऑटो रिक्शा और एक जिले से दूसरे जिले तक जाने वाली कैब के आवागमन में वृद्धि के चलते अतिरिक्त यातायात कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। गुरुवार को शहर के मुख्य बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि कुछ दुकानें दोपहर 11 बजे तक खुली रहीं। कश्मीर के मंडलायुक्त बसीर खान ने सोमवार को उपायुक्तों और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि घाटी के सभी सरकारी और निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरुवार तक और महाविद्यालय नौ अक्तूबर तक या इससे पहले खुल जाएं। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में परिस्थितियां सामान्य करने के पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन ज्यादातर अभिभावक सुरक्षा कारणों से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं।

SBI STATE BANK OF INDIA

STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH
1st Floor, SCO 99-107, Sector-8-C, CHANDIGARH-160018 Email: sbi.04262@sbi.co.in

E-AUCTION SALE NOTICE ON 05.11.2019

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE/MOVEABLE PROPERTIES U/S 8(6) & 6(2)
LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD & DOCUMENTS (HARD COPY) 04.11.2019, 16:00 Hrs.
LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD & DOCUMENTS (ON LINE) 04.11.2019, 16:00 Hrs.

Sale Notice of Immovable Properties mortgaged to Bank under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 Whereas, the Authorised Officer of State Bank of India has taken possession of the following properties pursuant to the notice issued under Section 13(2) on the date mentioned against each account of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 in the following loan account with right to sell the same on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" BASIS**, for realization of Banks dues plus interest as detailed hereunder and where as consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under 13(12) of the said Act proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property(ies). The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal of **(www.sbi.co.in)**.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Guarantors	Details of Property/ies	Outstanding Amount Demand Notice Date	Reserve Price / EMD / Bid Increase Amount	Date & Time of inspection of property	Contact Person & Mobile No.
1.	**M/s Maa Bala Sundri Plywood Pvt. Limited**, Having its registered office at Gaushala Road, Opp. Ekjot Timber, Timber Market, Sadar Bazar, Karnal, Haryana-132001. **Sh. Pawan Bansal S/o Late Satpal Bansal**, **Sh. Mohinder Bansal S/o Late Satpal Bansal**, #2292, Sector-13, Urban Estate, Karnal-132001. **Sh. Narinder Kumar Bansal S/o Late Sat Pal Bansal,M/s Bansal Realtech Limited, (i) C/o Sh. Narinder Kumar Bansal S/o Late Sat Pal Bansal** #1209, Sector-13, Urban Estate, Karnal, Haryana-132001. **(ii). Sh. Mohinder Bansal S/o Late Satpal Bansal, (iii) Sh. Pawan Bansal S/o Late Satpal Bansal** #2292, Sector-13,. Urban Estate, Karnal-132001. **Sh. Virender Kumar Bansal (Deceased) through his legal heirs (i). Mrs. Santosh Bansal Wd/o Late Virender Kumar Bansal, (ii). Smt. Mamta Bansal D/o Late Virender Kumar Bansal,** and **(iii). Sh. Tarun Bansal S/o Late Virender Kumar Bansal,** #1209, Sector-13, Urban Estate, Karnal-132001.	**KAITHAL** **Property 1.** Equitable Mortgage of Commercial Land measuring 50K-09M (6.3 Acre) comprised in Khewat no.39, Khatoni no.77, Rect. no. 54, Killa no. 11(8-0), 12(8-0),19(8-0), 20(8-0), 22(8-0) and Rect. no.60, Killa No. 2(7-18), 9/1(2-11) situated at Village Khushal Majra,Tehsil Guhla Cheeka, Cheeka, Distt. Kaithal (Haryana) vide sale deed no.2578/1 dated 26.07.2011, sale deed no.89/1 dated 15.04.2008, sale deed no.77/1 dated 11.04.2012 in the name of M/s Bansal Realtech Pvt. Ltd. **(Physical Possession)** **KUTCH (GUJARAT)** **Property 2.** Equitable Mortgage of Showroom No. Platinum-3, Ground Floor, Type-C, Survey No.234/1, 235 having Area of 1272 sq. ft. situated at **"Kutch Arcade"**, village Mithi Rohar, Taluka Gandhidham, Gujarat in the name of M/s Maa Bala Sundri Plywood Pvt. Limited. **(Symbolic Possession).**	**Rs 4,93,57,317.75** as on 25.10.2017 with future interest at the contractual rates w.e.f. 26.10.17 on the afore-said amount together with all the incidental expenses, cost, charges, etc. **Notice Date 25.10.2017.**	**PROPERTY-1:** Rs. 230.00 Lac Rs. 23.00 Lac Rs. 1,00,000/- **PROPERTY-2:** Rs. 75.00 Lac Rs. 7.50 Lac Rs. 20,000/-	17.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 14.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Santosh Kumar Mobile : 09417823463 Mr. Santosh Kumar Mobile : 09417823463
2.	**1. M/S K. P. Papers,** Village Chak Ram Chand, Near Logate Morh Railway Crossing, Kathua. **2. Sh. Sarabjit Singh (Partner), 3. Sh. Kamalpreet Singh (Partner), 4. Smt. Gurmeet Kaur (Guarantor)** W/o S. Sarabjit Singh. **5. Sh. Kamalpreet Singh (Guarantor), 6. Sh. Sarabjit Singh (Guarantor)** all residents of House No. 3, Bhupindra Road, Patiala (Punjab).	**PATIALA** **Property-1:** Equitable mortgage of all parts and parcel of the Land and Building measuring 626.20 sq. yards. comprising Khewat/ Khata no. 831/1921/1-12 Khasra no. 690/543/4 situated at village Badunager, Tehsil & Distt.Patiala, now the said property is known and situated at Bhupindra Road, Patiala owned and possessed by Smt. Gurmeet Kaur w/o Sh. Sarabjit Singh and land measuring 477.50 sq. yards. comprising khewat /khata no. 1781/1733, khasra no. 690/543/4 situated at village Badunager, Tehsil& Distt. Patiala, now the said property is known and situated at Bhupindra Road, Patiala owned and possessed by Sh. Kamalpreet Singh S/o Sh Sarabjit Singh alongwith a residential house constructed on the above said land. 1st Pari-passu charge SBI & PNB by way of Equitable Mortgage of residential house on plot no.2 (measuring 1103.50 sq. yards) situated on Bhupindra Road, opposite PWD Rest House, Patiala. Total area of land 1103.50 Sq.yards -147.70 (Rasta) = 955.80 sq. yards. **(Physical Possession). Property-2:** 1st and exclusive charge of SBI by way of Equitable Mortgage of plot of land measuring 0.2 ½ Biswas or 130 sq. yards comprising Khewat/ Khata No. 690/543/4 (0.2 ½) Biswas or 130 sq. yards situated on Bhupindra Road, Badunager, Tehsil& Distt. Patiala, standing in the name of Smt. Gurmeet Kaur W/o Sh. Sarabjit Singh registered vide sale deed no. 12634 dated 08/01/2010. **(Physical Possession).**	SBI and PNB : **Rs. 104,55,02,183/-** as on 02.12.15 alongwith future interest on the said amounts at the contractual rates together with all the incidental expenses, cost, charges, etc.	**PROPERTY-1& 2:** Rs. 832.00 Lacs Rs. 83.20 Lac Rs. 1,00,000/-	18.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Santosh Kumar Mobile : 09417823463
3.	**M/s Kaithal Timbers Pvt. Limited, Timber Market, Imam Bara, Sadar Bazar, Karnal-132001 Distt Karnal (Haryana), 1. Sh. Pawan Bansal** S/o Late Satpal Bansal, **2. Smt. Ram Murti** Wd/o Late Satpal Bansal, **3. Sh. Mohinder Bansal** S/o Late Satpal Bansal, **4. Smt. Monika Bansal** W/o Sh. Pawan Bansal residents of House No. 2292, Sector 13, City Karnal, Tehsil & District Karnal (Haryana)-132001. **5. Smt. Santosh Bansal** W/o Sh. Virender Kumar, House No. 1209, Sector 13, City Karnal, Tehsil & District Karnal (Haryana)-132001. **6. Smt. Neeraj Bansal** W/o Sh. Mohinder Bansal, **7. Smt.Pinki Devi** W/o Sh. Narinder Kumar residents of Plot No.A-41, NU-3, Apna Nagar, Gandhidham, Kutch, Gujrat. **8. Late Sh. Virender Kumar** S/o Late Sat Pal Bansal, Through Legal heirs (i) Mrs. Santosh Bansal w/o Late Sh. Virender Kumar Bansal, (ii) Sh. Tarun Bansal s/o w/o Late Sh. Virender Kumar Bansal, (iii) Smt. Mamta Bansal D/o Late Sh. Virender Kumar Bansal, all residents of H.No.1209, Sector-13, City Karnal, Tehsil & District Karnal (Haryana)-132001. **9. Late Sh. Hari Om** S/o Sh. Ramkaran (Guarantor) C/o Kaithal Timbers Private Limited, Timber Market, Imambara, Sadar Bazar, Karnal (Haryana) 132001. Through Legal heirs of Late Sh. Hari Om S/o Sh. Ramkaran (Guarantor). (i) Smt. Pista Devi w/o Late Sh. Ram Karan. (ii) Smt. Laxmi w/o Late Sh. Hari Om Goyal. (iii) Sh. Sandeep s/o Late Sh. Hari Om Goyal. (iv) Sh. Subham s/o Late Sh. Hari Om Goyal, all residents of H.No 464, old Anaz Mandi, Assandh, Tehsil-Assandh, District-Karnal(Haryana).	**KUTCH (GUJARAT)** **Property 1:** EM of Shop No.15, 16, 17,18,19,20 (Total 6 shops) measuring 183.84 Sq. Mtrs constructed on plot no. 31 at ground floor on 200 Feet wide Tagore Road, Sector -8, Gandhidham, District- Kutch (Gujarat) vide Title Deed No.2101 in the name of M/s Bansal Realtech Limited. **(Physical Possession) Property 2:** EM of plot No. 5, 6, 41, 42, (Total 4 plots) measuring 668.92 Sq. mtrs. Block-B, "Navratan Residency" on plot No.31 (RS No.110) at NH8(A) Extension, village Meghpur Borichi, Anjar, District Kutch (Gujarat) vide Title Deed No.3991 dated 16.03.2007 in the name of Smt. Pinki Bansal W/o Sh. Narinder Bansal. **(Physical Possession)** **DELHI** **Property 3:** EM of Commercial Shop No. 215,measuring 291.5 sq. ft., existing in common Plot No.21, 2nd Floor, Ring Road Mall, Manglam Palace, Sector-3, Near Kali Mata Mandir, Rohini, Delhi vide Title Deed No. 4792/1 in the name of M/s Bansal Realtech Limited. **(Physical Possession).** **KARNAL** **Property 4:** EM of Godown msg.273 sq yds, comprised in Khewat No. 3512, Khatoni No.6346, Khasra No. 4650 (11-0), 4651(5-2), 4652(1-1), 4653 (9-10), 654(1-15),situated at Gaushala Road, Near Gaushala, Backside Dakka Basti, Karnal State Haryana in the name of Sh.Virender Kumar S/o Late Satpal Bansal vide sale deed no.3194/1 dated 15.12.94. **(Physical Possession).**	**Rs 31,50,26,387.82** as on 31.05.17 plus future intt. and expenses thereon.	**PROPERTY-1:** Rs. 115.00 Lac Rs. 11.50 Lac Rs. 50,000/- **PROPERTY-2:** Rs. 111.00 Lac Rs. 11.10 Lac Rs. 50,000/- **PROPERTY-3:** Rs. 64.00 Lac Rs. 6.40 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-4:** Rs. 49.00 Lac Rs. 4.90 Lac Rs. 20,000/-	14.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 14.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 18.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 17.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Santosh Kumar Mobile : 09417823463 (for each property)
4.	**1. M/s Bansal Realtech Limited,** Timber Market, Imambara, Sadar Bazar, City Karnal, District Karnal, State Haryana. PIN: 132001. **2. Shri Narinder Kumar** s/o Late Sh. Sat Pal Bansal and **3.Smt. Pinki Devi** W/o Sh. Narinder Kumar, residents of Plot No.A-41, NU-3, Apna Nagar, Gandhidham, Kutch, Gujrat-370201. **4. Sh. Mohinder Bansal** S/o Late Shri Sat Pal Bansal, **5. Shri Satpal Bansal** S/o Late Shri Churia Ram, **6. Sh. Pawan Bansal** S/o Sh. Late Shri Sat Pal Bansal, **7. Smt. Ram Murti Devi** W/o Late Shri Sat Pal Bansal, House No.2292, Sector 13, City Karnal Tehsil & District Karnal-132001. **8. M/s Bansal Enterprises** through its Proprietor **Shri Narinder Bansal** S/o Late Shri Sat Pal Bansal, House No.2292, Sector 13, City Karnal Tehsil & District Karnal State Haryana-132001. **9. Sh. Virender Kumar Bansal (Deceased)** through his legal heirs: i). Mrs.Santosh Bansal Wd/o Late Virender Kumar Bansal, ii). Smt. Mamta Bansal D/o Late Virender Kumar Bansal and (iii) Sh.Tarun Bansal S/o Late Virender Kumar Bansal all residents of # 1209, Sector-13, Urban Estate, Karnal-132001.	**KUTCH (GUJARAT)** **Property 1:** Residential House built on Plot No.115, Area about 318.64 Sq. Mtr. (381.09 Sq. Yds.), Survey R. S. No. 548/2 known as 'RIVIERA ELEGANCE' situated at Vill. Varsamedi, Taluka- Anjar, District-Kutch in the name of Sh. Mohinder Satpal Bansal. **(Physical Possession). Property 2:** Residential House built on Plot No.116, Area about 318.64 Sq. Mtr. (381.09 Sq. Yds.), Survey R. S. No. 548/2 known as 'RIVIERA ELEGANCE' situated at Vill. Varsamedi,name of Sh. Mohinder Satpal Bansal. **(Physical Possession). Property 3:** 8 Offices No. 104 to 108 and 136 to 138 on the First Floor of 'Prime Commercial Complex' built on Plot No. 36 & 37, Survey RS No. 231 & 232, measuring aggregate area 145.18 Sq, Mtrs. Situated at Village Chudva, Taluka Gandhidham - Kutch in the name of M/s Bansal Realtech limited. **(Physical Possession).** **DELHI** **Property 4:** Shop-cum-Godown built on land measuring 0B-10B being ½ share of land measuring 01B-0B out of Khasra No. 49/13(1-00) situated in the Revenue Estate of Village Mundka, near Rajdhani Park, Delhi in the name of Sh. Satpal Bansal S/o Sh. Churiya Ram Bansal. Area of Land 505 Sq.yds.. **(Physical Possession).**	**Rs 26,95,25,031.36** as on 03.06.17 plus future interest and expenses thereon.	**PROPERTY-1** Rs. 90.00 Lac Rs. 9.00 Lac Rs. 50,000/- **PROPERTY- 2:** Rs. 90.00 Lac Rs. 9.00 Lac Rs. 50,000/- **PROPERTY-3:** Rs. 14.00 Lac Rs. 1.40 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-4:** Rs. 252.00 Lac Rs. 25.20 Lac Rs. 1,00,000/-	14.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 14.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 14.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 18.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Santosh Kumar Mobile : 09417823463 (for each property)
5.	**1. Swami Vivekananda Educational & Charitable Trust,** H.O. SCO-51, Sector 20 C, 2nd floor, Chandigarh. **2. Swami Vivekananda Educational & Charitable Trust,** Regd. Office: 2742, Ground Floor, Sector-70,SAS, Nagar, Mohali (Punjab). **3. Sh. Jagat Singh** S/oSh.Tula Singh, **4. Sh. Manmohan kumar Garg** S/o Sh.Raghunath Rai Garg, **5. Smt. Rachna Garg** W/o Sh. Manmohan kumar Garg, **6. Sh. Ashok Kumar** S/O Sh. Raghu Nath Rai, **7. Sh. Ashwani Kumar** S/O Sh. Raghu Nath Rai, all residents of House No-2742, Sector-70, Mohali (Punjab). **8. Smt. Krishana Rani** W/O Sh. Kanhaya Lal and **9. Sh. Kanhaya Lal** S/O Sh. Raghu Nath Rai, c/o Raghunath Rai & Sons, Near Durga Mandir, China Bazar, Jaitu(Punjab). **10. Sh. Ashwani Kumar** S/O Sh. Raghu Nath Rai, **11. Smt. Anita Rani** W/O Sh. Ashok Kumar, **12. Smt. Rani** W/o Sh. Ashwani Garg, **13. Sh. Ashok Kumar** S/O Sh. Raghu Nath Rai, residents of H.No. 3334, Sector-71, Mohali (Punjab). **14. Sh. Manmohan kumar Garg** S/o Sh. Raghunath Rai Garg, and **15. Smt. Rachna Garg** W/o Sh. Manmohan kumar Garg, both residents of House No- 573,IAS Society, Sector-49A, Chandigarh, **16. Sh. Manmohan kumar Garg** S/o Sh. Raghunath Rai Garg, and **17. Smt.Rachna Garg** W/o Sh. Manmohan kumar Garg, both residents of House No- SCO-51,Sector 20 C, 2nd floor, Chandigarh.	**PATIALA** **Property (i)** Sale Deed no. 5844 dated 31.12.2007, Land measuring 21 Bigha, 14 Biswa, bearing Khata No. 33/51-55, situated at Vill. Ramnagar, Teh. Rajpura, Distt. Patiala standing in the name of M/S Swami Vivekananda Educational and Charitable Trust. **(ii)** Regd. vide Sale Deed no. 7709 dated 28.03.2008, Land measuring 21 Bigha, 9 Biswa, bearing Khata No. 88/123 situated at Vill. Ramnagar, Teh. Rajpura, Distt. Patiala standing in the name of M/S Swami Vivekananda Educational and Charitable Trust. **(iii)** Regd. vide Sale Deed no. 7708 dated 28.03.2008, Land measuring 15 Bigha, 11 Biswa, bearing Khata No. 59/124 situated at Vill. Ramnagar, Teh. Rajpura, Distt. Patiala standing in the name of M/S Swami Vivekananda Educational and Charitable Trust Including value of Building built thereon **(Physical Possession).**	**Rs 49,51,77,406.06** as on 06.10.14 plus future interest and expenses thereon.	**PROPERTY** Rs.26.78 Crore (Combined Value of properties 1,2 &3) Rs. 2.68 Crore Rs. 1,00,000/-	18.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Santosh Kumar Mobile : 09417823463
6.	**M/s Lancer Pharmaceuticals Pvt. Ltd., SCO 912, 2nd Floor, NAC Manimajra, Chandigarh, Mr. Chetan Bhasin, M/s Lancer Pharmaceuticals Pvt. Ltd.,** SCO-371, 2nd Floor, Motor Market, Manimajra, Chandigarh. **Sh. Umesh Bhasin, M/s Lancer Therapeutics,** SCO 371, 2nd Floor, Motor Market, Manimajra, Chandigarh.	**BADDI (HP)** **Lot No.1:** Fixed Assets i.e. Plant & Machinery of pharma manu-facturing unit on lease hold property situated at Plot No.113, DIC, Industrial Area, Baddi, Tehsil-Nalagarh, (Himachal Pradesh) in the name of M/s Lancer Pharmaceuticals Pvt. Ltd. **(in Bank's Physical Possession)** **Lot No.2:** Factory Land (lease hold right) measuring 494 square meters situated at Plot No.113, DIC, Industrial Area, Baddi, Teh. Nalagarh, (HP) & three storeyed Building thereon in the name of M/s Lancer Pharmaceuticals Pvt. Ltd. **(in Bank's Physical Possession). NOTE: Factory Land & Building will be sold alongwith Plant & Machinery but buyers can bid for Plant & Machinery separately. (GST applicable on sale amount of Plant and Machinery will be deposited by auction purchaser).**	**Rs. 19,18,97,073/-** alongwith interest and other charges thereon from 20.06.2019, present dues **Rs. 23,08,99,941.62** as on 31.03.2016 **Notice Date: 20.06.14.**	**LOT-1:** Rs. 40.00 Lac Rs. 4.00 Lac Rs. 20,000/- **LOT-2:** Rs. 75.00 Lac Rs. 7.50 Lac Rs. 20,000/-	01.11.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 01.11.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Ramanuj Kumar Mobile : 08699443688 Mr. Ramanuj Kumar Mobile : 08699443688
7.	**(1) M/s D.V. Steels,** E.M. 248, Phagwara Gate, Jalandhar City (Pb.), **Sh. Monik Sehgal (2) Sh. Manish Sehgal, Sh. Manoj Sehgal**, both residents of E.M. 248, Phagwara Gate, Jalandhar City (Pb.)	**KANGRA (HP)** Leasehold rights of **INDUSTRIAL PLOT** of part plot no.146 min, 147 to 160, and the road between plot no.147, 148, 149 & 160, Phase III (Part C), Industrial area, Sansarpur Terrace, District Kangra (H.P.) measuring 9300 square metres situated in khata no.276 khatauni no.340 min Khasra no.232 and building thereon having covered area of 47734 sqr. Feet, without shed (Leased by DIC for a period of 95 years starts from 23.02.2004) in the name of DV Steels through its partners Shri Monik Sehgal and Manish Sehgal. **(In Bank's Physical Possession).**	**Rs. 16,02,75,481/-** as on 31.01.2014 + further interest and expenses w.e.f. 15.03.2012 **Notice Date:** 15.03.2012	Rs. 44.00 Lac Rs. 4.40 Lac Rs. 20,000/-	30.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr Ramanuj Kumar Mobile : 08699443688
8.	**Mr. Satya Veer Singh Kothari** S/o Mr. Karam Chand Kothari (Guarantor) A/C: **M/s Sainath Texport Ltd.** R/o Flat No. 5A, GH-38, Sec. 5, Mansa Devi Complex, Panchkula (Hry.).	**PANCHKULA (HR)** Plot measuring 420 Sq. Mtrs. and single storey house constructed there on bearing H.No. 363-P, Sector 21, Urban Estate, Panchkula in the name of Mr. Satya Veer Kothari. **(Physical Possession).**	**Rs 39,12,23,262.65** as on 01.06.2014 alongwith future interest and expenses w.e.f. 02.06.2014.	Rs. 3.13 Crore Rs. 31.30 Lac Rs. 1,00,000/-	15.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Ms. Ruchi Jain Mobile : 09729420044
9.	**M/s Dev Dhan Raj Agri Products Intl Pvt Ltd.** 23 Mile Stone, Kurukshetra Road, Dhand, Distt Kaithal. **1. Smt. Aarti Garg,** W/o Sh.Ashok Kumar, **2. Sh. Rajeev Kumar S/o Sh. Des Raj, 3. Smt. Raj Bala,** W/o Sh. Des Raj, **4. Smt. Mona Garg,** W/o Sh.Rajeev Kumar all residents of House No.-2131, Sec-7, Urban Estate Kurukshetra. **5. Sh. Sanjeev Kumar, S/o Sh. Pawan Lal, 6. Sh. Pawan Lal** S/o Sh.Bichha Ram, **7. Smt. Nirmala Devi** W/o Sh.Pawan Lal all residents of Dayanand Colony, Salaipur Road, Kurukshetra. **8. Smt. Sangeeta Rani W/o Vinod Kumar** Bansal Bhawan, Bhatnagar Colony, Near Dr. Raj Hospital, Rohtak Road, Jind. **9. Sh. Rajbir S/o Sh. Kartara Ram** Village & P.O. Kaul, Distt. Kaithal.	**KAITHAL & KURUKSHETRA** **PROPERTY 1 :** Property i.e. a Plot No. 17, 18 and 19 Land masuring 577 sq. yds. i.e. (19M) being 12/296 share in land measuring 14K 16M Comprised in Khewat no. 100, Khotoni No. 181, Rect. No. 61, Killa no 23/3/1 Rect. No. 71 killa no. 2/2, 3 situated at Village Dhand vide regd. Deed no. 759/1 dated 27.06.2006 with mutation No. 8207, in the name of Smt. Raj Bala W/o Sh. Des Raj S/o Sh. Hari Dass. **(Physical Possession). PROPERTY 2:** Land property measuring 18K 6M being 1/2 share of 36K-13M comprised in Khewat no. 30 Khatoni no. 45, Rect. no. 54, 56, 57 situated at Vill. Dawana, vide regd. Released deed no. 19/1 dated 07.04.2006 registered in the office of JSR Dhand and vide mutation no. 768 and jamabandi for the year, 2006-2007 in the name of Smt. Mona Garg W/o Sh. Rajiv Kumar and Smt. Aarti Garg W/o Sh. Ashok Garg. **(Physical Possession). PROPERTY 3:** Commercial land measuring 158 Sq. yards being Plot No. 36 i.e. 0K-5S (1/4 Marla) being 21/2464 share of total land measuring 30K-16M comprised in Khewat No. 68 Khatoni No. 113-116 situated at Village Dhand vide regd. Sale deed no. 943/1 dated 17.06.2011 with mutation No. 7512 in the name of Smt. Aarti Garg W/o Sh. Ashok Garg S/o Sh. Des Raj. **(Physical Possession). PROPERTY 4 :** Commercial land measuring 150 Sq. yards bearing Plot No. 34, i.e. 0K-0M-5S, being 5/612 share 30K-16M comprised in Khewat No. 68, Khotoni No. 113-116, Kittas 12, situated at vill. Dhand vide regd. Sale deed no. 961/1 dated 17.06.2011 with mutation No. 7511 in the name of Smt. Mona Garg W/o Sh. Rajiv Kumar S/o Sh. Des Raj. **(Physical Possession). PROPERTY 5 :** Commercial land measuring 150 Sq. yards bearing Plot No. 25, i.e. 0K-0M-5S being 5/612 share 30K-12M comprised in Khewat No. 68. Khotoni No. 113-116, Kittas 12, situated at vill. Dhand vide regd. Sale deed no. 956/1 dated 17.06.2011 with Mutation no. 7510 in the name of Smt. Mona Garg W/o Sh. Rajiv Kumar S/o Sh. Des Raj. **(Physical Possession). PROPERTY 6 :** Commercial land admeasuring 144 Sq. yards bearing Plot No. 33 situated at Vill. Dhand vide regd. Sale deed no. 959/1 dated 17.06.11 with mutation No. 7509 Smt. Mona Garg W/o Sh. Rajiv Kumar S/o Sh. Des Raj. **(Physical Possession). PROPERTY 7 :** Commercial land admeasuring 144 Sq. yards bearing Plot No. 26 situated at Village Dhand vide regd. Sale deed no. 931/1 dated 17.06.2011 with mutation No. 7513 Smt. Mona Garg W/o Sh. Rajiv Kumar S/o Sh. Des Raj. **(Physical Possession). PROPERTY 8 :** Plot No. 236 measuring 208.33 Sq. yards (7 Marlas) being 7/2618 share of total land measuring 130K-18M comprised in Khewat No. 2219, khatoni No. 2545, 2546 and 2547 situated at Darra Kalan, Akash Nagar, Thanesar, Kurukshetra vide Sale Deed No. 9015 dated 18.11.2010, in the name of Smt. Nirmala Devi W/o Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Bichha Ram. **(Physical Possession). PROPERTY 9 :** Plot No. 262 measuring 200 Sq. yards (6.5 Marlas) being 13/2618 share of total land measuring 130K-18M comprised in Khewat No. 2358 situated at Darra Kalan, Akash Nagar, Thanesar, Kurukshetra vide Sale Deed No. 11537 dated 06.01.2011 in the name of Smt. Nirmala Devi W/o Sh. Pawan Kumar S/o Sh. Biccha Ram. **Physical Possession). PROPERTY 10 :** Shop measuring 6M bearing pvt. No. 8 Situated at Old Anaj Mandi, Vill. Dhand, Sub Teh. Dhand, Distt. Kaithal vide sale deed no. 3969/1 dated 02.03.2012, in the name of Sh. Rajiv Kumar, Aarti Garg & Raj Bala. **(Physical Possession). PROPERTY 11 :** Land property measuring 10K 2M and 10K 1M (total 20K 3M) as detailed below: a) Land measuring 10K 2M comprised in Khewat no. 39/32 and b) Land measuring 10K 1M comprised in Khewat no. 39 Situated at vill. Dadwana, Sub Teh. Dhand vide Regd. Release deed no. 931/1 and 576/1 dt. 29.07.2005 and 14.06.2005 respectively owned by Arti Garg, Raj Bala and Rajeev Kumar and Plant And Machinery Belonging to M/s Dev Dhan Agri Products International Pvt .Ltd, Dhand Distt. Kaithal (HR). **(Physical Possession)**	**Rs 50,39,67,560.53** as alongwith future interest on the said amount at the contractual rate w.e.f. 30.09.2016 together with all incidental expenses, costs, charges, etc. Notice dated: 17.10.2016.	**PROPERTY-1:** Rs. 12.00 Lac Rs. 1.20 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-2:** Rs. 87.00 Lac Rs. 8.70 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-3:** Rs. 4.00 Lac Rs. 0.40 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-4:** Rs. 4.00 Lac Rs. 0.40 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-5:** Rs. 4.00 Lac Rs. 0.40 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-6:** Rs. 4.00 Lac Rs. 0.40 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-7:** Rs. 4.00 Lac Rs. 0.40 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-8:** Rs. 15.00 Lac Rs. 1.50 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-9:** Rs. 14.00 Lac Rs. 1.40 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-10:** Rs. 32.00 Lac Rs. 3.20 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-11:** Rs. 427.00 Lac Rs. 4.27 Lac Rs. 20,000/-	21.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. (for each property)	Ms. Divya Sahni Mobile : 08968995544 (for each property)
10.	**M/s Shri Ambica International Food Company Pvt. Ltd.** 3949-B, Naya Bazar Lahori Gate, new Delhi-110006, **M/s Ishwar Chand Goel & Co.:** Shop No. 40, Anaj Mandi, Taraori, District Karnal, Haryana-132116. **Sh. Ishwar Chand Goel, Sh. Subhash Chand Goel, Smt. Darshan Devi, Sh. Parveen Kumar Goel, Sh. Ashok Kumar, Smt. Usha Rani** #33, Near Canara Bank, Tarori, Distt. Karnal, Haryana - 132116. **M/s ARM Agro Products Pvt. Ltd.:** 3949-B, Naya Bazaar, New Delhi-110006. **M/s Parkland Projects & Infrastructure Pvt. Ltd.:** 3949-B, Naya Bazar, Lahori Gate, New Delhi-110006.	**KARNAL (HR)** **Property 1 :** All that part & parcel of residential houses (double storey) as under: i) Residential house double storey measuring 2772.50 sq. ft comprised in Khewat No. 2min & 61, 4K-14M comprised in Khatoni No. 2min and 77min, Khasra No. 90-89//21/1(2-18), 25/2(1-16), situated at Village Taraori, Sonkara Road, Tehsil & Distt. Karnal vide Regd. Sale Deed No. 615/1 dated 30.05.1970 in the name of Sh. Ishwar Chand Goel, ii) Residential house double storey measuring 0K-06M comprised in Khewat No. 2/1, Khatoni No. 8 min, Khasra No. 90/21/1 (2-1) min. Situated at Village Taraori, Sonkara Road, Tehsil & Distt. Karnal vide Regd. Sale Deed No. 2921/1 dated 26.11.1970, in the name of Sh. Ishwar Chand Goel. **Property 2 :** All that part & parcel of shop at plot measuring 1344.00 sq.ft. (149.33 sq. yards), situated at Subhash Mandi now Old Grain Market, Taraori, Tehsil Nilokheri, Distt. Karnal vide Regd. Sale Deed No. 189/1 dated 04.06.1982. in the name of M/s Ishwar Chand Goel & Company Prop. Darshan Devi. **Property 3 :** All that part & parcel of plot/shop no. 40 (single storey) measuring 189.00 sq. yards (20' x 85') located at New Grain Market, Village Taraon, Teh. Nilokheri, Distt. Karnal vide Conveyance Deed No. 640/1 dated 06.08.2007. in the name of Smt. Darshan Devi W/o Sh. Ishwar Chand. **Property 4 :** All that part & parcel of residential plot measuring 0K-5M comprised in Khewat No. 109 min, Khatoni No. 123 min, Rect. No. 89. Killa No. 25/2/1min(0-5) situated at Taraori, Teh. Nilokheri, Distt. Karnal vide Regd. Sale deed no. 4172/1 dated 02.02.1974.in the name of Smt. Darshan Devi W/o Sh. Ishwar Chand Goel. **Property 5 :** All that part & parcel of residential plot measuring 0K-15M comprised in Khewat No. 152, Khatoni No. 172, Rect. No. 89, Killa No. 25/2/1/2/2(0-15) situated at Taraori, Teh. Nilokheri, Distt. Karnal vide Regd. Sale Deed No. 2920/1 dated 26.11.1970 & Gift Deed No.1282/1 dated 28.11.2006.in the name of Sh. Ishwar Chand Goel. **Property 6 :** All that part & parcel of Residential-cum-commercial plots as under: Residential-cum-commercial plot measuring 1633.00 sq. ft. (181.44 sq. yards) situated in Ward No. 9, Kasba Taraori, Teh. Nilokheri, Distt. Karnal vide Reed. Sale Deed No. 657/1 dated 10.07.1990. ii) Residential-cum-commercial plot measuring 0K-8M (242.00 sq. yards), situated at Ward No. 9, Near Canara Bank, Saunkra Road, Taraori, Teh. Nilokheri, Distt. Karnal, vide Gift Deed No. 1283/1 dated 28.11.2006.in the name of Smt. Darshan Devi W/o Sh. Ishwar Chand Goel	**Rs. 245,63,85,366.13** as on 31.08.2018 to SBI, Canara Bank and Central Bank of India with future interest and incidental charges etc.	**PROPERTY-1:** Rs. 125.00 Lac Rs. 12.50 Lac Rs. 1,00,000/- **PROPERTY-2:** Rs. 14.00 Lac Rs. 1.40 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-3:** Rs. 96.00 Lac Rs. 9.60 Lac Rs. 50,000/- **PROPERTY-4:** Rs. 21.00 Lac Rs. 2.10 Lac Rs. 10,000/- **PROPERTY-5:** Rs. 58.00 Lac Rs. 5.80 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-6:** Rs. 72.00 Lac Rs. 7.20 Lac Rs. 50,000/-	21.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. (for each property)	Mr. N.K. Babbar M: 09872629229 (for each property)
11.	**M/s Japshichem Pharmaceuticals** : Vill. Saini Majra, Teh. Nalagarh, District Solan, H.P. **2nd Address:-** SCO No. 66, Sec. 32 C, Chandigarh & **Partner/ Guarantors** namely, **Shri Amarjit Singh S/o Sh. Bhagwan Singh and Smt. Maninder Kaur W/o Sh. Amarjit Singh,** Both R/o House No. 338, Phase-4 (Part-2) SAS Nagar, Mohali (Punjab)	**ROPAR NALAGARH ROAD** **Property 1 :** Plant & Machinery including fixed assets installed in the factory premises at HB No. 91, Village Saini Majra, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan. **(Physical Possession). Property 2 :** Factory Land and Building measuring 5 Bigha 02 Biswa comprising GF/FF/SF bearing Khata/Khatauni No. 5/31, Khasra No. 196(0-16), 197(1-9), 198(0-3), 199(1-8), 200(1-3), 201(0-3)/Kitta 6 situated in the revenue estate of Village Saini Majra, HB No. 91, Tehsil Nalagarh, Dist Solan, Himachal Pradesh, Regd. vide Sale Deed No. 2573 dated: 15.09.2005. **(Physical Possession). NOTE:- Factory land & building will be sold alongwith plant & machinery, but buyers can bid for plant & machinery separately. (GST applicable on sale amount of Plant and Machinery will be deposit by auction purchaser).**	**Rs 10,51,71,386.70** as on 30.9.2016 plus future interest & expenses, costs, charges, etc. **Notice Date: 19.10.2016**	**PROPERTY-1:** Rs. 2.05 Crore Rs. 20.50 Lac Rs. 50,000/- **PROPERTY-2:** Rs. 4.95 Crore Rs. 49.50 Lac Rs. 50,000/-	01.11.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 01.11.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Ajay Thakur Mobile: 09779536119 Mr. Ajay Thakur Mobile: 09779536119
12.	**1. M/S Vardaan Exports** Shergarh Road, Kaithal (Hry.)-136027 through its partner Smt. Poonam Garg W/o Sh. Sushil Garg S/o Sh.Satya Pal Garg 518/10, Old Bus Stand, SBI Road, Kaithal (Hry.) 136027. **2. Sh.Jai Bhagwan Bansal [Partner]** S/o Sh. Ram Chander Bansal # 1760/5, Jyoti Nagar, Kurukshetra (Hry.) 176118. **3. Smt. Poonam Garg [Partner]** W/o Sh. Sushil Garg s/o Sh.Satya Pal Garg and **4. Sh. Sushil Garg [Guarantor]** S/o Sh. Satya Pal, 518/10, Old Bus Stand, SBI Road, Kaithal (Haryana) 136027. **5. M/s Shree Ramji Riceland,** Shergarh Road, Kaithal (Haryana) 176027 (Corporate Guarantor) Through its Proprietor Sh. Sushil Kumar Garg House No. 518/10, Old Bus Stand, SBI Road, Kaithal (Haryana) 136027.	**KAITHAL (HR)** **Property 1:** Fixed Assets purchased out from Bank finance, Value of Plant and Machinery installed in the Factory premises of M/s Vardaan Exports at Lekh Raj Miglani Road, Shergarh, Kaithal(Haryana). **Property 2:** All that Part & Parcel of properties as per detail given below :- Land & Building measuring of 43 Kanal -0 5 Marlas vide registered sale deed dated 21.03.2003 at Sr no 4094/1 in the office of Sub registrar, Kaithal with following details : 1. Land measuring 27 K-4 Marla comprised in khewat no 537/772 , Murabba No 88, Kila No 19,22,Rect no. 92, Kila No.1,2 now comprised in khewat no 647, ,Khatoni 854 as per Jamabandi of Patti Gadar ,Kaithal for year 2014-15. 2. Land measuring of 16 Kanal -1 Marlas comprised in khewat no 583, Khatoni No .828 ,Murabba no 88, Kila No 11/2, 20/1,21/2 now comprised in Khewat no 695 ,khatoni no 910 as per Jamabandi of Patti Gadar Kiathal for the year 2014-15 purchased vide registered sale deed dated 21.03.2003 at Sr No 4094/1 in the office of Sub-Registrar ,Kaithal. Including leasehold rights in respect to Land measuring 22 K-11 M representing 451/544, share in land measuring 27K-04 M comprised in khewat no 647, Khatoni no 854,Rect no 88, Killa no 19,22 Rect No 92, Kila no 1 as per jamabandi of Patti Gadar for the year 2014-15 acquired vide registered lease deeds Owned by M/s Shree Ramji Riceland , Kaithal.	**Rs. 20,65,88,827.44** as on **28.08.2018** alongwith Future Interest & Expenses w.e.f. on **29.08.2018.**	**PROPERTY-1:** Rs. 172.00 Lac Rs. 17.20 Lac Rs. 1,00,000/- **PROPERTY-2:** Rs. 1668.00 Lac Rs. 166.80 Lac Rs. 1,00,000/-	21.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. 21.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs.	Mr. Jai Bir Singh Mobile: 09988192220 Mr. Jai Bir Singh Mobile: 09988192220
13.	**1. M/s. Kissan Riceland Private Limited,** Jind Road Kaithal Haryana-136027.Care: H.No. 518/10,Ward-30, SBI road,Kaithal. **2. Shri Sushil Kumar Garg** S/o Sh. Satya Pal **(Director), 3. Shri Ashok Garg** S/o Sh. Satya Pal **(Director) 4. Shri Tarsem Chand** S/o Sh. Satya Pal **(Director)** all residents of House No. 518/10 Ward No.30, SBI Road , New Ashoka Colony Kaithal Haryana-136027.	**KAITHAL (HR)** **Property 1:** Residential plot having area 502.31 Sq.yds.,No A-298, Block No-A, Suncity Kaithal, Township Patti Kaistha Seth,Sector-33, Dhand Road, Kaithal, vide Title deed No. 4374 dated 22.09.2016 in the name of Sh Tarsem Chand s/o Satya Pal. **Property 2:** Residential plot having area 502.31 Sq yds, No A-297,Block No-A, Suncity Kaithal, Township Patti Kaistha Seth,Sector-33,Dhand Road, Kaithal, vide Title deed No. 4373 dated 22.09.2016 standing in the name of Sh Ashok Garg s/o Satya Pal. **Property 3:** Residential plot having area 502.31 Sq yds, No A-296,Block No-A, Suncity Kaithal, Township Patti Kaistha Seth,Sector-33,Dhand Road Kaithal, Haryana-136027 vide Title deed No.4372 dated 22.09.2016, in the name of Sh Sushil Garg s/o Satya Pal.	**Rs. 28,48,35,427/-** as on **08.06.2018** alongwith Future Interest & Expenses w.e.f. on **09.06.2018.**	**PROPERTY-1:** Rs. 48.00 Lac Rs. 4.80 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-2:** Rs. 48.00 Lac Rs. 4.80 Lac Rs. 20,000/- **PROPERTY-3:** Rs. 48.00 Lac Rs. 4.80 Lac Rs. 20,000/-	21.10.2019 12:00 Hrs. to 14:00 Hrs. (for each property)	Mr. Jai Bir Singh Mobile: 09988192220 (for each property)

THIS PUBLICATION IS ALSO 15/30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 TO THE ABOVE BORROWERS & GUARANTORS.

TERMS & CONDITIONS:- (1) The E-Auction is being held on **"AS IS WHERE IS" & "AS IS WHAT IS" BASIS** and No Complaint Basis. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are no encumbrances on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent enquiries regarding the encumbrances, title of property/ies put on auction and claims/rights/dues effecting the property, prior to submitting their bid. The Authorised Officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. (2) It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property/ies put on auction will be permitted to interested bidders sites on the date and time mentioned against each property. (3) The interested bidders shall submit their offer along with EMD through website **https://sbi.auctiontiger.net** (the user ID and password can be obtained free of cost by registering name with (**https://sbi.auctiontiger.net**) through their login ID and Password. The EMD will be payable through NEFT/ RTGS in the following **Account: 31626203126, Name of the A/C: SBI SAMB, CHANDIGARH, IFSC Code: SBIN0004262**. Please note that Cheques shall not be accepted as EMD amount (4) After Registration by the bidders in the Website, the intending purchaser/ bidder is required to get the copies of the following documents uploaded in the **web-portal before last date of submission of the bid(s) viz. (i) Copy of the NEFT/ RTGS challan, (ii) Copy of PAN Card, (iii) Proof of identification (KYC) viz. copy of Voter ID Card/ Driving License/ Passport etc., (iv) Copy of proof of address, (v) Duly Filled up & Signed Copy of Annexure II & III attached to the Tender form, without which the bid is liable to be rejected.** (5) The interested bidders who require assistance in creating login ID and password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may avail online training on E-Auction from **M/s E-procurement Technologies Ltd. (Auction Tiger) Ahmedabad. E-mail id : support@auctiontiger.net, Website for SARFAESI Case : https://sbi.auctiontiger.net / also on Auctiontiger Mobile App.** contact **Mr. Sachin Sharma 9988137576** and for any property related query may contact **Authorised Officer : (1) Mr. Mohit Kapoor, Mobile : 9000917384 Email : mohit.kapoor@sbi.co.in (2) Mr. Sham Lal, Mobile: 9779522300, E-mail : sham.lal5@sbi.co.in & Email ID of Branch- sbi.04262@sbi.co.in** within office hours during the working days. (6) Only buyers holding valid User ID/Password and confirmed payment of EMD through NEFT/RTGS shall be eligible for participating in the online auction process. (7) The interested bidders who have submitted their EMD, not below the 10% of reserve price, through **HARD COPY** on or before **04.11.2019** & by **ONLINE** mode before 4.00 P.M. on **04.11.2019** shall be eligible for participating in the e-auction. The e-auction of above properties would be conducted exactly on the scheduled date & time as mentioned above by way of inter-se bidding amongst the bidders. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount" against the Property. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (subject to unlimited extensions of 5 minutes each). The bidder who submits the highest bid (not below the reserve price) on closure of online auction shall be declared as successful bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Authorised Officer/Secured Creditor. (8) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not earn any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, after adjusting the EMD already paid, immediately i.e. on the same day or not later than next working day, as the case may be, after the acceptance of the offer by the Authorized Officer, failing which the earnest money deposited by the bidder shall be forfeited in case of forfeiture of the amount deposited by the defaulting bidder, he shall neither have claim on the property nor on any part of the sum of which it may be subsequently sold. The Balance 75% of the sale price is payable on or before the 15th day of confirmation of sale of the secured asset or such extended period as may be agreed upon in writing between the secured creditor and the e-auction purchaser not exceeding 3 months from the date of e-auction. (9) The prospective qualified bidders may avail online training on e-auction from **M/s. E-procurement Technologies Ltd.** prior to the date of e-auction. Neither the Authorised Officer/Bank nor **M/s. E-procurement Technologies Ltd.** shall be liable for any network problem and the interested bidders to ensure that they are technically well equipped for participating in the e-Auction event. (10) The purchaser shall bear the applicable stamp duties/additional stamp duty/transfer charges, fees etc. and also all the Statutory/ non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to anybody. (11) The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorised Officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-auction without assigning any reason thereof. (12)) The bidders are advised to go through the detailed terms and conditions of e-auction available on the website of **M/s. E-procurement Technologies Ltd. https://sbi.auctiontiger.net** before submitting their bids and taking part in e-auction. (13) The publication is subject to the force majeure clause. (14) The sale certificate shall be issued after receipt of entire sale consideration and confirmation of sale by secured creditor. The sale certificate shall be issued in the name of the successful bidder. No request for change of name in the sale certificate other than the person who submitted the bid / participated in the e-auction will be entertained. (15) The bid once submitted by the bidder, can not be cancelled / withdrawn and the bidder shall be bound to buy the property at the final bid price. The failure on the part of bidder to comply with any of the terms and conditions of e-auction, mentioned therein will result in forfeiture of the amount paid by the defaulting bidder. (16) Decision of the Authorized Officer regarding declaration of successful bidder shall be final and binding on all the bidders. The authorized officer shall be at liberty to cancel the e-auction process/ tender at any time, before declaring the successful bidder, without assigning any reason. The conditional bids may be treated as invalid. Please note that after submission of the bid/s, No correspondence regarding any change in the bid shall be entertained. The payment of all statutory / non-statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc., owning to anybody shall be the sole responsibility of successful bidder only. In case of any dispute arises as to the validity of the bid(s), amount of bid, EMD once to the eligibility of the bidder, authority of the person representing the bidder, interpretation and the decision of the authorized officer shall be final in such an eventuality, the bank shall in its sole discretion be entitled to call off the sale and put the property to sale once again on any date and at such time as may be decided by the bank. For any kind of dispute, bidders are required to contact the concerned authorized officer of the concerned bank branch only. (17) Special instructions, Bidding in the last moment should be avoided in the bidders own interest are neither the State Bank of India nor Service provider will be responsible for any lapse/failure (Internet failure/power failure etc.). In order to ward of such contingent situations bidders are requested to make all necessary arrangements/ alternatives such as power supply back-up etc, so that they are able to circumvent such situation & are able to participate in the auction successfully.

DATE : 03.10.2019 **PLACE : CHANDIGARH** **IT MAY BE TREATED AS STATUTORY 15/30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002** **AUTHORISED OFFICER**

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कर सकती है ब्याज दरों में और कटौती

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे की घोषणा करेगा। उम्मीद की जा रही है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में रहने और आर्थिक वृद्धि पर दबाव को देखते हुए रिजर्व बैंक रेपो दर में एक और कटौती कर सकता है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मुद्रास्फीति के अनुकूल दायरे में रहने से नीतिगत दर में नरमी की और गुंजाइश बनती है। अगस्त में की गई 0.35 फीसद कटौती के बाद रेपो दर इस समय 5.40 फीसद है।

एमपीसी की छह सदस्यीय समिति की तीन दिन की बैठक एक अक्तूबर को शुरू हुई थी। दो अक्तूबर को गांधी जयंती का अवकाश रहा। गुरुवार को दूसरे दिन की बैठक हुई।

सरकार व्यक्तिगत आयकर दरें कम करे : गोदरेज

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

गोदरेज समूह के चेयरमैन वगैरह गोदरेज ने गुरुवार को कहा कि अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ती रफ्तार को गति देने के लिए सरकार को उद्योगों को और राहत देने के साथ ही व्यक्तिगत आयकर की दरें कम करनी चाहिए।

उन्होंने भारत आर्थिक सम्मेलन में यहां कहा कि इन कदमों से राजकोषीय स्थिति प्रभावित हो सकती है लेकिन सरकार को ये उपाय करने चाहिए। उन्होंने कहा- सरकार को और राहत के उपाय करने चाहिए। गोदरेज ने कहा- अर्थव्यवस्था की मौजूदा वृद्धि दर सुस्त है और हमें इसे तेज करने की जरूरत है। हमें आर्थिक वृद्धि को उठाने की जरूरत है और अगर इसके कारण राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाए तो मुझे नहीं लगता इससे फर्क पड़ता है। यह निश्चित किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट कर कम करने से उद्योग जगत में सुधार की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा- यह काम करेगा।

चोकसी, गीतांजलि जेम्स जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले घोषित

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स को 'जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला' यानी विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। बैंक की ओर से इस बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। चोकसी और उसकी कंपनी को 332 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने का नोटिस भी भेजा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में फरवरी, 2018 में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा चोकसी इस घोटाले के सूत्रधार हैं। इन दोनों ने बैंक की दक्षिण मुंबई की ब्रैडी हाउस शाखा के जरिये पीएनबी को 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। सार्वजनिक नोटिस के अनुसार यूनाइटेड बैंक ने कंपनी और चोकसी को जून तिमाही से जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित कर दिया।

बैंक ने कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए कई बार नोटिस भेजा था। नोटिस के बावजूद कर्ज अदा नहीं किए जाने के बाद बैंक ने यह कदम उठाया है। चोकसी के अलावा उसकी पत्नी प्रीति चोकसी और गीतांजलि जेम्स के निदेशकों को भी बैंक की ओर से नोटिस दिया गया है।

यूनाइटेड बैंक ने आभूषण विनिर्माण और निर्यात कंपनी को 331.85 करोड़ रुपए की ऋण की सीमा मंजूर की थी। बैंक ने मार्च, 2018 में कंपनी के खाते को गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित किया था। इससे पहले इसी साल एक अन्य सरकारी बैंक ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स (ओबीसी) ने चोकसी और नीरव मोदी को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित किया था।

प्रामा हिकविजन क्षमता विस्तार पर करेगी 500 करोड़ निवेश

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

निगरानी और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के कैमरा और अन्य उत्पाद बनाने वाली प्रामा हिकविजन इंडिया अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाकर 50 लाख महीना करने के लिए 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी।

कंपनी ने हाल ही में मुंबई के समीप वसई में कारखाने को चालू किया है। कंपनी प्रबंध निदेशक आशीष पी ढाकन ने गुरुवार को एक बयान में कहा- वसई कारखाने की स्थापित क्षमता 15 लाख कैमरा प्रति महीना है। हमने इसमें 500 करोड़ रुपए निवेश किया है। हमारा सुरक्षा कैमरों की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 50 लाख महीना करने का लक्ष्य है।

सूचकांक 199 अंक टूटा

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)

बंबई शेयर बाजार सूचकांक में बृहस्पतिवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी, वित्तीय क्षेत्र के संकट और व्यापार युद्ध को लेकर चिंता के बीच सूचकांक में 199 अंक की और गिरावट दर्ज हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे शुक्रवार को आने हैं। इस वजह से भी निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक नकारात्मक रुख के साथ खुला। कारोबार के दौरान यह 38,310.93 अंक से 37,957.56 अंक के दायरे में रहा। अंत में सूचकांक 198.54 अंक या 0.52 फीसद के नुकसान से 38,106.87 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 46.80 अंक या 0.41 फीसद के नुकसान से 11,313.10 अंक पर आ गया। मुख्य रूप से धातु और बैंक शेयरों में नुकसान की वजह से बाजार में गिरावट रही। अमेरिका ने यूरोपीय सामान पर नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका की इस घोषणा के बाद वैश्विक बाजार दबाव में रहे।

सूचकांक की कंपनियों में वेदांता में सबसे अधिक 4.66 फीसद का नुकसान रहा। टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल के शेयर 3.36 फीसद तक टूट गए। वहीं दूसरी ओर येस बैंक का शेयर 33 फीसद चढ़ गया। इससे पिछले पांच दिन येस बैंक के शेयर में गिरावट आई थी। बैंक ने कहा है कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और नकदी की स्थिति नियामकीय जरूरत से अधिक है। इसके बाद बैंक के शेयर में जोरदार उछाल आया।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर

अतिअल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमत्रण)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-54/2019-20 प०नि०वि०/जमशेदपुर/ दिनांक-03.10.2019

1	कार्य का नाम	पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर अंतर्गत चाकुलिया रेलवे क्रॉसिंग से ऐरोड्राम तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (कुल लम्बाई 2.015 कि०मी०)।
2	प्राक्कलित राशि	₹ 6,63,70,447/- (छ करोड़ तिरसठ लाख सत्तर हजार चार सौ सैंतालीस रूपये) मात्र।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	04(चार) माह।
4	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	04.10.2019 (10:30 पूर्वाह्न)
5	निविदा प्राप्त करने का अंतिम तिथि एवं समय	12.10.2019 (दोपहर 12:30 बजे तक)।
6	निविदा खुलने की तिथि	14.10.2019 (दोपहर 12:30 बजे)
7	निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर।
8	ई-मेल पता -	eeredjamshed-jhr@nic.in
9	विज्ञापनदाता का दूरभाष संख्या-	0657-2227724
10	ई-प्रोक्यूरमेन्ट सेल का दूरभाष संख्या	0651-2401010

विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर

PR 218787 Road (19-20)_D

सार्वजनिक सूचना

मैं पुष्पा, पत्नी श्री दलीप, निवासी-डी-8, बेगम विहार, दिल्ली-110086 अपने पुत्र शंकर को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हूँ, मैंने उपरोक्त व्यक्ति से अपने सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। अतः मैं इनके द्वारा किये गए किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी।

जे.बी. प्रकाश
अधिवक्ता
OFF-एल-8, कृष्णा विहार
दिल्ली-110086
M-9013442007

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला श्रीमति चन्द्रबती पत्नी स्व श्री सौदान सिंह, निवासी, सी-655, संगम विहार, नई दिल्ली-110080, ने अपने पुत्र नीरज कुमार एवं पुत्रवधू ममता को उनके दुर्व्यवहार/गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर, अपने सभी पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। इनके किसी भी लेन देन/कार्य के लिये मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होगी।

हस्ता./-
ओम पाल बशिष्ट (अधिवक्ता)
चै. नं. 636 साकेत कोर्ट नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT MUNNA LAL S/O BHAJAN LAL H.NO. 208 GALI NO. 54, BLOCK-O, MOLARBAND, EXTENTION, MOLARBAND, SOUTH DELHI-110044 HAS SERVED HIS RELATIONS AND DISOWNED HIS SON JOGENDER AND HIS WIFE SHYAMLATA AND THEIR CHILDREN NAMELY SADHNA, GAURAV, SANJANA, ARUSH FROM ALL MOVABLE-IMMOVABLE PROPERTIES. THAT IF, ANY ACT DONE BY THEM, MY CLIENT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ACTS.

Sd/-
PINTOO THAKUR (Adv.)
D-3180/15, Ch. No. 130, Saket Court
Lawyers Block, New Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

It is for general information that BABITA wife of Shri Sudhir Kumar resident of F230, Satar Wali Gali, Village Khanpur, Pushpa Bhawan, New Delhi-110062 declare that name of mine has been wrongly written as PRERNA/ PAREMA in my minor son BHARAT CHOUDHARY, aged 14 Years and my minor daughter BHARTI CHOUDHARY, aged 13 Years in their School records, the actual name of mine is BABITA, which may be amended accordingly.

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना, प० नि० वि०, दुमका
Email Id: eeredapfsddum-jhr@nic.in
झारखण्ड सरकार
क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना
पथ निर्माण विभाग, दुमका

अति अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट सूचना
ई-पुनर्निविदा प्रसंग सं०:-RCD/FSD /AP/ DUM/27/19-20
दिनांक: 01.10.2019

1.	कार्य का नाम	विभागीय सूचीबद्ध परामर्शी से SHAJ अन्तर्गत हजारीबाग - टंडवा पथ के केरेडारी गेट के पास से केरेडारी कोल माइनिंग ब्लॉक तक Four Lane पथ निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) का कार्य।
2.	अनुमानित लंबाई	1.50 कि०मी०
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	30 दिन
4.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय	04.10.2019, 05.00 बजे अपराह्न
5.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	15.10.2019, 03.00 बजे अपराह्न तक
6.	निविदा आमंत्रित करनेवाले का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल अग्रिम योजना, पथ निर्माण विभाग, दुमका।
7.	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का संपर्क नं०	94315-57521
8.	ई-प्रोक्योरमेंट सेल को हैल्पलाईन नं०	0651-2401010

अतिरिक्त जानकारी के लिए वेबसाईट पर देखें -http://jharkhandtenders.gov.in

कार्यपालक अभियंता,
क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमण्डल, अग्रिम योजना,
प० नि० वि०, दुमका।

P.R.218775 Road(19-20):D
बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरमा

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना संख्या - RDD/SD/KODERMA/04/2019-20

1. कार्य की विस्तृत विवरणी

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
I	कोडरमा जिला के प्रखण्ड कोडरमा में सखी-वन स्टाप सेन्टर भवन का निर्माण।	4331400.00	67000.00	5000.00	06 माह

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि - 09.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय - 14.10.2019 अपराह्न 5:00 बजे तक
4. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 15.10.2019 एवं समय अपराह्न 03:00 बजे तक
5. निविदा खोलने का स्थान - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, कोडरमा।
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 16.10.2019 अपराह्न 2:00 बजे
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरमा।
8. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० - 94705 23337
9. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरमा के पदनाम से देय हो देना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिसे अब तक ना समझे, वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल
कोडरमा

PR 218819 Rural Work Department (19-20)_D

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-।।

एसबीआई हाऊस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, फोन नं. 28752163, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

शाखा के प्राधिकृत अधिकारी का विवरण पता
नामः श्री एस.के. कोहली | ईमेल : kohli.satish@sbi.co.in | मो. नं.: 8527117373 | शाखा का फोन नं. 011-28753163

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के प्रभारित चल / अचल आस्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित सम्पत्ति(यों) का कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है, कि बैंक के बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित सम्पत्ति/यों की ई-नीलामी **"जैसा है जहां है आधार और जैसा है जो कुछ भी है"** आधार पर की जाएगी।

ई-नीलामी की तिथि व समय दो घंटे (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) 05-11-2019 दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पति की बिक्री की जा रही है	सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम	आरक्षित मूल्य (रु.) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी / धरोहर राशि (ईएमडी) आरक्षित मूल्य का 10% / बोली वृद्धि राशि	सम्पर्क हेतु नाम एवं मो.
1	मैसर्स डीजीएस इलैक्ट्रॉनिक्स् वर्ल्ड	₹ 150.15 लाख दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	भूतल पर दुकान नं 1-2 और 17, एसआरकी कृष्णा टॉवर, त्रिमनीमाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं. 3ए/157 पर, ब्लॉक-ए एन आई टी. फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल (22.30+37.16) (कुल क्षेत्रफल 59.46 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति मंजू देवी पत्नी के पी सिंह और के पी सिंह पुत्र श्री हरि सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 23.46 + ₹ 22.10 लाख / ₹ 2.35 + ₹ 2.21 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री मनोज कुमार सिंह मो. 9816636723 श्री एस.के. कोहली मो. 8527117373
			बेसमेंट पर दुकान न. 10(बी), एसआरकी कृष्णा टॉवर, त्रिमनीमाई धर्मशाला / डीएवी कॉलेज रोड, प्लॉट नं 3ए / 157 पर, ब्लॉक-ए एन एच-3, एन आई टी. फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित, क्षेत्रफल 29.72 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू देवी पत्नी के पी सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 16.86 लाख / ₹ 1.69 लाख / ₹ 0.10 लाख	
2	श्री मित्रा पाल गारंटर : श्री ललित कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह	₹ 18,83,666.00 दिनांक 20.09.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. 40ए, भूतल, बिना छत के अधिकार के क्षेत्रफल 117.05 वर्ग मी. जोकि गोविंद पुरम, रैसीडेंन्सी गाँव आसना, खसरा नं 19, गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मित्रा पाल सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 14.45 लाख / ₹ 1.45 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर श्रीनिवासन मो. 8527666678 श्री नरेश कुमार मो. 9999409002
3	श्री सुखविन्दर सिंह	₹ 30,52,091.00 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी., 39/3सी-34, उमेश विहार, टीपी नगर, मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुखविन्दर सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 28.80 लाख / ₹ 2.89 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
4	श्री योगेश कुमार शर्मा और श्री अवनीश कुमार शर्मा गारंटर: श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री देवराज	₹ 27,14,681/- दिनांक 14.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 159-ए, फ्लैट नं. 3, प्रथम तल, तुराब नगर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 70 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री योगेश शर्मा और श्री अवनीश शर्मा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.29 लाख / ₹ 1.73 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206 श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
5	श्री पंकज कुमार गारंटर: श्री मनोज भाटी पुत्र श्री राजबीर सिंह भाटी	₹ 14,16,809.25 दिनांक 24.04.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 425-डी पर निर्मित तीसरे तल का फ्लैट, छत के अधिकार के, राम नगर, मोहम्मद ईस्माईल खान @ तुराब नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 30.75 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दास के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 8.44 लाख / ₹ 0.85 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206 श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
6	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. जी-1, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.0805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.50 लाख / ₹ 1.75 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
7	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एफ-2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.0805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.50 लाख / ₹ 1.75 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
8	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एफ-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 41.0805 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 17.00 लाख / ₹ 1.70 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
9	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एस-2, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 32.51 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 13.20 लाख / ₹ 1.32 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
10	श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार	₹ 49,22,580.00 दिनांक 13.02.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 437 का फ्लैट नं. एस-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन- I, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 32.51 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार और श्री राकेश कुमार के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है)	₹ 13.20 लाख / ₹ 1.32 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
11	मैसर्स मोहन ट्रेडर्स	₹ 2,12,60,916.79 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	250 वर्ग गज, रिहायशी प्लॉट जोकि प्लॉट नं. 2374-टी-21 के पीछे, खसरा नं. 271/284 में से, गाँव-पाना मामुरपुर, राज शाही रोड, बवाना रोड, नरेला, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री राम कुमार के नाम पर है। (खुला प्लॉट)	₹ 82.23 लाख / ₹ 8.23 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री एस के श्रीवास्तव मो. 8283955009 श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
12	मैसर्स सी एयर कंडीशनियर्स प्रा. लि.	₹ 4,50,56,867.76 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	लीज होल्ड व्यवसायिक ऑफिस नं. 304, तीसरा तल, बिना छत के अधिकार के, म्युनिसिपल नं 5041, खसरा नं. 80/31, 6-फैज बाजार, प्रकाश चैम्बर, 06-नेताजी सुभाष मार्ग, वार्ड नं 9, दरियागंज, दिल्ली-02 में स्थित, क्षेत्रफल 43.47 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री स्वतंत्र कुमार सिंह के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 25.46 लाख / ₹ 2.55 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री एस के श्रीवास्तव मो. 8283955009 श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
13	मैसर्स आर एस डी इंडस्ट्रीज	₹ 8.95 करोड़ दिनांक 12.10.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फैक्ट्री भूमि एवं भवन, खसरा नं 24/2, 025 पत्कश्री, गाँव कुदारी, तहसील बरेली, जिला रॅायसेन-एमपी, क्षेत्रफल 8.35 एकड़, या 3.384 हेक्ट., यह सम्पत्ति श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र सतपाल गुप्ता के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 96.16 लाख / ₹ 9.62 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
14	श्रीमती आशा गोयल पत्नी श्री दिनेश जिंदल	₹ 13,21,269.06 दिनांक 15.10.2016 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 175, खसरा नं. 199 में से, पुराना लाल डोरा आबादी, मेन बाजार, गाँव बवाना, दिल्ली में स्थित क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती आशा गोयल के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 22.25 लाख / ₹ 2.23 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री राजीव लाहोटी मो. 8826798206 श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
15	श्री गजेंद्र डागर और श्रीमती वसुंधरा डागर	₹ 70,96,544.00 दिनांक 15.11.2018 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	मकान नं. 1575, सैक्टर 7-ई, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री गजेन्द्र डागर और श्रीमती वसुंधा डागर के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 249.62 लाख / ₹ 25.00 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
16	श्री मैनुद्दीन पुत्र श्री बादल खान गारंटर: श्री हरचरण सिंह	₹ 14,16,095.21 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	तृतीय तल पर फ्लैट नं. 402, बिना छत के अधिकार, प्लॉट नं. 232/71 पर निर्मित खसरा नं. 20एम का भाग, गाँव मेहमासारी बनाम कोट गाँव, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, (क्षेत्रफल 65.03 वर्ग मी.) यह सम्पत्ति श्री मैनुद्दीन पुत्र श्री बादल खान के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 12.21 लाख / ₹ 1.23 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर.के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
17	श्री अरुण जैन पुत्र श्री किशन लाल जैन	₹ 45,56,510.00 दिनांक 30.04.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	फ्लैट ई-232, द्वितीय तल, स्वर्णजयती पुरम, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 160 मी. बिना छत के अधिकार के, यह सम्पत्ति श्री अरुण जैन पुत्र श्री किशन जैन के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 40.00 लाख / ₹ 4.00 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर श्रीनिवासन मो. 8527666678 श्री नरेश कुमार मो. 9999409002
18	मैसर्स साई बिल्डकॉन गारंटर: 1. श्री परवीन कुमार सरीन 2. श्री संजीत कुमार 3. श्री आयुष सरीन	₹ 28.52 लाख दिनांक 29.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	प्लॉट नं. 21 पर अर्धनिर्मित मकान, क्षेत्रफल 429.21 वर्ग मी., खसरा नं. 314, रेवेन्यू गाँव कनौरा परगना दौराला, तहसील सरधाना जिला मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रवीन कुमार शरीन के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 18.32 लाख / ₹ 1.84 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री सौरभ कुमार श्रीवास्ताव मो. 8283955009 श्री जी.के शर्मा मो. 8510804700
19	श्री विरेन्द्र ठाकुर	₹ 114.89 लाख दिनांक 26.07.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	सम्पत्ति मकान नं. एल-42, सैक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल प्लॉट एरिया 107.50 वर्ग मी और कुल कवर्ड क्षेत्रफल 307.50 वर्ग मी. भूतल, प्रथम और द्वितीय तल का, यह सम्पत्ति श्री विरेन्द्र ठाकुर के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 84.80 लाख / ₹ 8.48 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
20	सुश्री शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी	₹ 15.45 लाख दिनांक 30.06.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. 1बी, प्रथम तल, प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 26, एम आई शताब्दीपुरम, गोबिन्दपुरम, डासना, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 69.67 वर्ग मी., बिना छत के अधिकार के, यह सम्पत्ति शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 14.00 लाख / ₹ 1.40 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री एस.पी अहूजा मो. 9868215572 श्री ललित कुमार गुप्ता मो. 9560552285
21	श्री प्रेम प्रकाश और कृष्णा देवी गारंटर: श्रीमती पुष्पा चंद्र पत्नी श्री महेश कुमार	₹ 29,50,169.00 दिनांक 17.09.2019 तक और भविष्य का ब्याज एवं अतिरिक्त प्रभार	रिहायशी फ्लैट नं. एस-1, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 630, सैक्टर-1, वसुंधरा, गाजियाबाद में स्थित, (क्षेत्रफल 56 वर्ग मी.), यह सम्पत्ति श्री प्रेम प्रकाश और कृष्णा देवी के नाम पर है। (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 33.75 लाख / ₹ 3.38 लाख / ₹ 0.10 लाख	श्री आर. के. पोपली मो. 9891161345 श्री ललित कुमार गुप्ता, मो. 9560552285

भागीदारी हेतु अनुरोध पत्र/केवाईसी/ईएमडी के प्रमाण आदि की प्रस्तुति की तिथि व समय 02.11.2019 को अप. 4.00 बजे तक या उससे पहले
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 31.10.2019 को अपां. 04.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक के सिक्योर क्रेडिटर्स की वेबसाइट www.sbi.co.in पर दिए गए लिंक को देखें।

सरफैसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 04.10.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी-।।, करोल बाग, (शाखा कोड 51521)

नदी में गिरी बस, सात यात्रियों की मौत

रायसेन (मध्य प्रदेश), 3 अक्तूबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश में रायसेन से करीब पांच किलोमीटर दूर एक निजी बस अनियंत्रित होकर उफनती नदी में गिर गई जिससे एक बच्चे सहित सात यात्रियों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। घायलों में 19 की हालत गंभीर है। बस इंदौर से छतरपुर जा रही थी।

रायसेन जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया, 'यह हादसा बुधवार को देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ। इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो गई है।' उन्होंने कहा कि रात में पांच शव मिले थे जबकि आज सुबह एक और शव नदी में मिला। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की हमीदिया अस्पताल भोपाल में सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई।

मोनिका ने बताया कि मृतकों में से छह की पहचान रवि बंसल (22), मोहम्मद अनवर (29), मोहम्मद उजेफा (24), सागर बीएल मालवीय (45), आशीष सोनी (35) एवं दीपक बंसल (1) के रूप में की गई है। एक शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 35 लोग घायल भी हुए हैं जिनमें से 19 की हालत गंभीर है और 16 लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

गंभीर रूप से घायल 19 लोगों में से 11 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है जबकि 8 को जिला चिकित्सालय रायसेन में भर्ती कराया गया है। मामूली रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

उन्होंने कहा, 'घटना की जानकारी मिलते ही मैं रायसेन जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के साथ बचाव कार्य की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंची। क्रेन की मदद से बस को नदी से बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं।'

कलेक्टर भार्गव ने कहा कि बस संभवतः तेज गति से जा रही थी और चालक के बस पर से नियंत्रण खो देने के बाद वह पुल की दीवार तोड़ते हुए करीब 50 फुट नीचे नदी में जा गिरी। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश के चलते रीछन नदी उफान पर है।

इसी बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते ट्वीट किया, 'प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल मौक़े पर पहुँचकर स्थानीय लोगों की मदद से कई लोगों की जान बचाई।' उन्होंने कहा कि इस घटना में मृतकों के परिवारों के लिए चार-चार लाख रुपए व घायलों के लिए हरसंभव आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, कलेक्टर भार्गव द्वारा तत्काल सहायता के रुप में सभी घायलों को 10-10 हजार रुपये की राशि दी गई है।

सात हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

विधि मंत्रालय ने बताया है कि गुरुवार को सात हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय लांबा को गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया है।

बंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ए मनि कुमार को केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसी तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एल एन स्वामी को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

विधि मंत्रालय ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एके गोस्वामी को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

दीपक तलवार की सहयोगी यास्मीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की एक करीबी सहयोगी को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत से गिरफ्तार कर लिया। यह मामला निजी विदेशी एअरलाइंस को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर बातचीत करने और सरकारी विमानन सेवा एअर इंडिया को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। एजंसी ने यास्मीन कपूर को तब हिरासत में ले लिया जब उन्हें एक अन्य मामले में पेशी के लिए अदालत में लाया गया था। वो इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद थी, जिसकी सीबीआइ जांच कर रही है।

उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज की अदालत से कपूर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी।

राजीव कुमार का अदालत में समर्पण

कोलकाता, 3 अक्तूबर (भाषा)।

करीब तीन हफ्ते बाद सार्वजनिक रूप से नजर आए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को शारदा चिटफंड घोटाला मामले में अलीपुर अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिसने पचास-पचास हजार रुपए की दो जमानत राशियों पर उन्हें जमानत दे दी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कुमार को अग्रिम जमानत दे दी थी। कुमार पश्चिम बंगाल के अपराध अन्वेषण विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात हैं। यह जिक्र करते हुए कि यह हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए उचित मामला नहीं है, हाई कोर्ट के खंडपीठ ने कहा था कि कुमार को अगर सीबीआइ)द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उचित अदालत द्वारा पचास-पचास हजार रुपए की दो जमानत राशियों पर तत्काल रिहा करना होगा। कुमार के वकील गोपाल हलदर ने बताया कि आइपीएस अधिकारी ने गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत मुखर्जी के समक्ष आत्मसमर्पण किया और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें जमानत दे दी गई।

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Satish Kumar Sharma JMIC Ludhiana

Indegulf Cropsciences Limited
V/S
M/s Shri Ganesh Traders

CNR NO. PBLD03-008831-2018

Next Date:- 04/11/2019 Publication Issued To:-

1. M/s Shri Ganesh Traders Near LIC Office J.J. Road Barelii [illegible] Distt Raisen Madhya Pradesh Through its Prop./ Auth. Sign.
2. Shailender Singh Thakur Mob. [illegible] Prop./auth. Sign Of M/s Shri Ganesh Traders Near LIC Office, J.J Road Bareli [illegible] Distt Raisen Madhya Pradesh

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You The Above Named Accused Cannot Be Served In The Ordinary Way Of Service. Hence This Proclamation Under Section 82 of Code of Criminal Procedure Is Here by Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 04/11/2019 At 10:00 A.m Or With In 30 Days From The Date Of Publication Of The Proclamation. Take Notice That In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence. Given Under My Hand & The Seal Of The Court [illegible]

JMIC Ludhiana

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3)

&

In the matter of Risk & Resilience Institute LLP, having its registered office at E-676, E-Block, Savda Ghevra, New Delhi, North West, Delhi-110081, India, Petitioner

NOTICE hereby given to the General Public that the LLP propose to make an application to the central government, under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its registered office from the state of "DELHI" to the state of "GUJARAT".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to deliver or send by registered post of his/her objections supported by affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the office of Registrar of Companies, 4th Floor, IFCI Tower 61, New Delhi, Delhi-110019, India within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to applicant LLP at its registered office address as stated above.

For and on behalf of the Applicant
Risk & Resilience Institute LLP
Ankur Srivastava, Designate Partner
DIN-08043507

Date : 03/10/2019
Place : New Delhi

बी एण्ड आर / B AND R

ब्रिज एंड रूफ कं0 (इंडिया) लि0

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN No. U27310WB1920GOI003601

"कांकरिया सेंटर", (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ई-एनआईटी) निविदा सं0 : बी एंड आर/ एचओ/डीएमईआर/51160/करनाल/ईपीसी-एनआईटी/ सीडब्ल्यू/ पीकेजी-1(आर)

"चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान विभाग (डीएमईआर), हरियाणा सरकार, पंचकुला, हरियाणा- 134115 के अधीन ईपीसी कंट्रैक्ट मोड में ग्राम- कुटैल, जिला- करनाल, हरियाणा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की प्लानिंग, डिजाइनिंग, निर्माण, फर्नीचर, आईटी (नेटवर्किंग) तथा अनुरक्षण (एमजीपीएस व एमओटी की आपूर्ति व संस्थापन सहित हॉस्पीटल ब्लाक)" कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग बोली प्रणाली में ऑनलाइन आइटम-वाइज लंपसम दर बोली/ प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक बोलीदाताओं को https://eprocure.gov.in में लॉगिंग के जरिए सरकारी ई-प्रापण प्रणाली में सूचीबद्ध व पंजीकृत होना होगा।

इस संदर्भ में कोई भी संयोजन/ शुद्धिपत्र सिर्फ कंपनी की वेबसाइट www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टल : https://eprocure.gov.in पर जारी की जाएगी।

प्रस्ताव दाखिले की अंतिम तिथि : **24.10.2019** से पहले अथवा को

कुत्ते के शौच को लेकर विवाद में लोजपा नेता के पुत्र की पीट पीटकर हत्या

सहारनपुर, 3 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कुत्ते के शौच को लेकर हुए विवाद में गुरुवार को एक लोजपा नेता के पुत्र की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना में माता-पिता सहित तीन लोग घायल भी हुए हैं। एसपी सिटी भटनागर ने बताया कि थाना जनकपुरी के तहत दामोदरपुरी में गुरुवार शाम कुत्ते के शौच को लेकर दो पड़ोसियों में कहासुनी हुई जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। इस घटना में एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव हरिओम पासवान के पुत्र दीपक की पड़ोस में रहने वाले शुभम के साथ कुत्ते के शौच को लेकर कहासुनी हुई जो इतनी बढ गई कि शुभम ने अपने साथियों के साथ दीपक की लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी।

खुले में पेशाब करने पर हुई लड़ाई में मासूम की मौत, दो गिरफ्तार

सागर (मध्य प्रदेश), 3 अक्तूबर (भाषा)।

सागर जिले में भानगढ़ थाना क्षेत्र के बगसपुर गांव में छह साल के बच्चे द्वारा खुले में पेशाब करने पर दो पड़ोसियों के बीच हुई लड़ाई में डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि सागर से करीब 100 किलोमीटर दूर बगसपुर ग्राम में मंगलवार शाम को मोहर सिंह आदिवासी के घर के सामने सड़क पर उसके पड़ोसी राम सिंह का छह वर्षीय बेटा खुले में पेशाब कर रहा था। इस घटना से नाराज होकर मोहर अपने पड़ोसी राम सिंह से झगड़ पड़ा। इसी दौरान राम सिंह का 20 वर्षीय बेटा उमेश भी वहां आ गया और दोनों पक्ष के बीच मारपीट होने लगी।

DEN

DEN NETWORKS LIMITED

CIN:L92490DL2007PLC165673
Regd. Off: 236, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
Tel.: +91-11-40522200
Fax:+ 91-11- 40522203
Website: www.dennetworks.com,
Email for investors:- investorrelations@denonline.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Den Networks Limited ("Company") is scheduled to be held on Friday, the 11th day of October, 2019, interalia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2019.

For DEN Networks Limited
Sd/-
Jatin Mahajan
Company Secretary
M. No. F-6887

Place: New Delhi
Date : 03-10-2019

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला शोधन प्रक्रिया) नियम, 2016 के विनियमन 6 के तहत

फार कॉइन्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों की सूचना हेतु

	प्रासंगिक विवरण	
1.	निगमित ऋणदाता का नाम	फार कॉइन्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉरपोरेट ऋणदाता के निगमन की तिथि	30.06.2015
3.	प्राधिकरण जिसके तहत निगमित ऋणदाता शामिल / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली
4.	निगमित ऋणदाता की निगमित पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	CIN: 52390DL2015PTC282194
5.	निगमित ऋणदाता के पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय एच नंबर 320, प्लॉट नंबर एस-7 पीपी डिजाइन एस्टेट के पीछे, अग्रवाल प्लाजा, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
6.	निगमित ऋणदाता की दिवालियापन प्रक्रिया आरम्भ होने की तिथि	आदेश की तिथि : 30.09.2019 आदेश प्राप्त होने की तिथि : 03.10.2019
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	28.03.2020 (दिवालियापन प्रक्रिया आरम्भ होने के 180 दिनों के भीतर)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	ब्रह्म दत्त वर्मा IBBI/IPA-003/IP-N00056/2017-18/10496
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का बोर्ड में पंजीकृत पता व ई-मेल	बी-1/1, पिंक अपार्टमेंट्स सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर से पत्राचार के लिए पता व ई-मेल	11-सी एस सी, डी डी ए मार्केट ए-ब्लॉक, सरस्वती विहार, दिल्ली-110034
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17.10.2019
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत तय किए गए लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हो	लागू नहीं (ज्ञात नहीं पाया गया है)
13.	एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में पहचाने गए समाधान पेशेवर के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(ए) प्रासंगिक फार्म और	वेबसाइट : www.ibbi.gov.in/downloadform.html लागू फार्म के लिए कृपया नोट 1 को देखें भौतिक पता : ऊपर (10) में दर्शाया गया।
	(बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	लागू नहीं

सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिनांक 30.09.2019 को फार कॉइन्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश 03.10.2019 को प्राप्त हुआ)।

फार कॉइन्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को 17.10.2019 को या उससे पहले अंतरिम समाधान पेशेवर के एंट्री नंबर 10 पर उल्लेखित पते पर सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला शोधन प्रक्रिया) नियम, 2016) के शेड्यूल IV के अनुसार दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों का प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से, दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना है।

नोट 1

फॉर्म बी: ऑपरेशनल क्रेडिटर्स (कामगारों और कर्मचारियों को छोड़कर) के दावों के लिए

फॉर्म सी: वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए

फॉर्म सीए: एक श्रेणी के वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा के लिए

फॉर्म डी: कामगारों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए

फॉर्म ई: कामगारों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए

दावों के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने वाले दंड के भागी होंगे।

ब्रह्म दत्त वर्मा
अंतरिम समाधान पेशेवर
फार कॉइन्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
मोबाइल: 9811443244

दिनांक: 04.10.2019
स्थान: दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7)**, **पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों **(30.06.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 12.10.2019

Gwalior: MSL-14751, 14940, MUL-762, MWS-135, **Gwalior - Jayendra Ganj:** FBL-18, MSL-4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 9192, 11501, MUL-475, 551, 1233, MWS-257, 447, 464, 739, 784, PPL-455, 456, **Gwalior - Gole Ka Mandir:** MSL-877, 1026, 1057, 1076, 1090, 1406, MUL-940, 1207, 1544, MWS-626, **Gwalior - Jail Road:** MUL-1130, 1422, 1460, 1480, 1594, 1599, 1737, 1985, MWS-40, 134, 163, 424, **Gwalior - Phool Bagh:** MSL-504, 506, 507, 542, MUL-362, 681, 986, 1031, 1085, 1118, 1140, 1231, 1232, 1251, 1252, MWS-52, 193, 208, 282, 485, 713, 718, 829

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 12.10.2019

Gwalior - Jayendra Ganj: MWS-339, **Gwalior - Phool Bagh:** MWS-723, 1295

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्ही शाखाओं में सचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक **14.10.2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Second Floor, Alaknanda Tower, 45 - A, City Center, Gwalior - 474 001** में सचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

तलवार की जमानत याचिका खारिज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

विदेशी एअरलाइंस को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने और सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया को नुकसान पहुंचाने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी। सीबीआइ के मुताबिक, एअर इंडिया पर लाभ वाले हवाई मार्गों और समय को छोड़ने का दबाव बनाने और कतर एअरवेज, एमिरेट्स और एअर अरेबिया समेत विदेश की निजी विमानन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बातचीत में तलवार ने कथित तौर पर बिचौलिए का काम किया था।

विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया ने तलवार की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। तलवार ने याचिका में कहा था कि वे जमानत के हकदार हैं क्योंकि कानून के तहत निर्धारित 60 दिनों के अंदर उसके आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया गया।

पीएमसी बैंक घोटाले में एचडीआइएल के दो निदेशक गिरफ्तार

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई पुलिस ने पीएमसी बैंक घोटाले में 'हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (एचडीआइएल) के दो निदेशकों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा ने कर्ज न चुकाने के आरोपी राकेश वधावन और उनके पुत्र सारंग वधावन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध शाखा ने एचडीआइएल की 3,500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है।

धूत इन्फ्रास्टक्चर प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड

904-907, टाइम टॉवर, एम.जी. रोड, सेक्टर-28, गुड़गाँव-122002 (हरियाणा)

ईमेल: info@dhootgroup.net

सार्वजनिक सूचना

जैसा कि धूत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड महा निदेशक टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, चंडीगढ़ (हरियाणा) द्वारा स्वीकृत लाइसैन्स नं. 2008 के 160 तिथि 13.8.2008 के प्रावधानों के अनुसार 4.00 एकड़ माप के क्षेत्रफल में सेक्टर 37 सी, गुड़गाँव में एक कॉमर्सियल कॉलोनी को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

तथा जैसा कि उक्त कॉलोनी के लिये पूर्व में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान को नये बिल्डिंग प्लान में संशोधित करने का प्रस्ताव है।

तथा जैसा कि महा निदेशक टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, चंडीगढ़ (हरियाणा) कार्यालय ने उक्त बिल्डिंग प्लान के संशोधन के लिये आपत्तियाँ मँगायी है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उक्त कॉलोनी की बिल्डिंग प्लॉन के प्रस्तावित पुनरीक्षण पर उक्त कॉलोनी के किसी भी व्यक्ति से एतद्द्वारा आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। मेमो नं. जेडपी-494/एडी(आरए) 2013/447 तिथि 6.1.2014 एवं जेड पी-494/एसडी(बीएस)/2017/30606 तिथि 30.11.2017 के माध्यम से स्वीकृत पूर्व की बिल्डिंग प्लान एवं मेमो नं. जेडपी-494/जेडी (एनसी)/2019/24722 तिथि 1.10.2019 के माध्यम से संशोधित किये जाने के लिये प्रस्तावित बिल्डिंग प्लान की प्रति निरीक्षण के लिये वेबसाईट www.dhootgroup.net पर उपलब्ध है।

उक्त बिल्डिंग प्लान का इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर धूत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड के कार्यालय, 904-907, टाइम टावर, एम.जी.रोड, सेक्टर 28, गुरुग्राम 122002 (हरियाणा) में निरीक्षण किया जा सकता है अन्यथा यह माना जायेगा कि बिल्डिंग प्लान में प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है।

यदि किसी भी संबंधित व्यक्ति को संशोधित बिल्डिंग प्लान पर कोई आपत्ति हो तो वे सीनियर टाउन प्लॉनर (प्लॉनिंग) सेक्टर-14, गुड़गाँव-122001 के कार्यालय में अपनी आपत्तियाँ दाखिल करें।

मै. धूत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड
हस्ता./-
राम अनुज मिश्रा
(महा प्रबंधक-परियोजना)

स्थानः गुड़गाँव
तिथिः 3.10.2019

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड निविदा सूचना विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, उन्नाव पर निम्नलिखित कार्य हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से अलग-अलग दो भागों में मोहरबंद निविदा अपरान्ह 14.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो कि निविदा के सम्मुख अंकित तिथि को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपरान्ह 15.00 बजे सार्वजनिक रूप से खोली जाएगी। निविदा से सम्बन्धित निविदा प्रपत्रों को उसके सामने अंकित तिथि तक रु. 500.00 तथा 12 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त नकद रूप से (जो कि अप्रतिदेय होगा) जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा के भाग एक में निविदा के सम्मुख अंकित धनराशि की धरोहर धनराशि के रूप में एफ.डी.आर./ सी.डी.आर/ टी.डी.आर. जो कि अधिशाषी अभियंता, विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, उन्नाव के पक्ष में स्वीकार की जाएगी। निविदा के भाग-1 में धरोहर धनराशि, इन्कम टैक्स परमामेन्ट एकाउन्ट नम्बर तथा जी.एस.टी. पंजीकरण अनिवार्य होगा। निविदा के भाग-1 में उपयुक्त धरोहर धनराशि न होने की दशा में उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निविदा के भाग-2 में कार्य की दरें एवं अन्य विवरण प्रस्तुत करना होगा। निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जाएगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण दर्शाये निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। 1. निविदा संख्या 10/ ई.एस.डी.यू./ 2019-20, विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, दही चौकी, उन्नाव पर निविदा प्रपत्र के अनुसार 09 माह हेतु एक अदद बन्द डीजल चलित वाहन चालक सहित किराए पर लगाने का कार्य। धरोहर धनराशि रु. 2,000.00 (रु. दो हजार मात्र) निविदा प्रपत्र की बिक्री दिनांक 04.11.2019 तक प्राप्ति एवं खुलना दिनांक 05.11.2019। **"राष्ट्रहित में बिजली बचाएं" हस्ता./- अधिशाषी अभियंता विद्युत 400 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड दही चौकी, उन्नाव पत्रांक: 759/ वि.प.खं. (उ.)/ विज्ञापन दिनांक** 03.10.2019

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Satish Kumar Sharma JMIC Ludhiana

Indegulf Cropsciences Limited
V/S
M/s Ganesh Agro Tech Company

CNR NO. PBLD03-008845-2018

Next Date:- 04/11/2019 Publication Issued To:-

1. M/s Ganesh Agro Tech Company Shri Dev Choraha Bundi Road, Nainwa 323801 Distt Bundi Rajasthan
2. Ganesh Kumar Saini Mob [illegible] Prop./ Partner/ Auth. Sign. Of M/s Ganesh Agro Tech Company Shri Dev Choraha Bundi Road, Nainwa 323801 Distt Bundi Rajasthan

Whereas It Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You The Above Named Accused Cannot Be Served In The Ordinary Way Of Service. Hence This Proclamation Under Section 82 of Code of Criminal Procedure Is Here by Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before The Court On 04/11/2019 At 10:00 A.m Or With In 30 Days From The Date Of Publication Of The Proclamation. Take Notice That In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard And Determined As Per Law, In Your Absence. Given Under My Hand & The Seal Of The Court [illegible]

JMIC Ludhiana

झारखंड सरकार
कल्याण विभाग
कार्यालय, उप निदेशक कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची

निविदा सूचना

कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों में वित्तीय वर्ष-2019-20 में शास्त्रीय एवं पेटेन्ट औषधियों की आपूर्ति हेतु निविदा निम्न शर्तो एवं सरकारी नियमों के तहत आमंत्रित किया जाता है। आपूर्ति कर्त्ता जो औषधि आपूर्ति करने में रूचि रखते हों एवं बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित शर्तों का पालन करते हो, वैसे आपूर्ति कर्त्ता दिनांक 22.10.2019 के अपराहन 02:00 बजे तक उप निदेशक कल्याण, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल,राँची विकास भवन के कार्यालय में स्वयं या डाक के माध्यम से निविदा भेज सकते है। निविदा दिनांक 22.10.2019 को अपराहन 3:00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। औषध की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस के दिन प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा की शर्तें prdjharkhand.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

P.R.218669 Welfare(19-20):D

उप निदेशक कल्याण,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल,राँची।

जिसे अबतक ना समझे, वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद
E-mail: rdsd.dhanbad@rediffmail.com

अति अल्पकालीन ई0-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना सख्या – **13/2019-20/ EE/RDSD/ DHANBAD**

1. कार्य की विस्तृत विवरणी

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	धनबाद जिला के धनबाद प्रखण्ड अन्तर्गत मंटिडा फॉल के पास टेटंगाबाद एवं माचाटांड़ के बीच दामोदर नदी पर पुल निर्माण।	996.804	परिमाण विपत्र की राशि 2%	10000.00	24 महीना
2	धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत- परसबनिया में बालीबिड़िका से सीधाबनी जोरिया पर पुल निर्माण।	228.622	परिमाण विपत्र की राशि 2%	10000.00	15 महीना

2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि – **09.10.2019**
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय – **16.10.2019** अपराहन 5:00 बजे तक
4. ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद / मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, Bank Credit Certificate ,oa Affidavit (Section X) जमा करने की तिथि एवं समय **18.10.2019** अपराहन 05.00 बजे तक
5. निविदा खोलने का स्थान – मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय **21.10.2019** अपराहन 2:00 बजे
7. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :- **ई0 बीरमणि प्रसाद** कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद।
8. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० – 8709639173 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)
9. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है तदनुसार परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य मान्य होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी / सक्षम पदाधिकारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
11. निविदा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद के पदनाम से देय हो देना होगा।

विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद

PR218686 (Rural Development)19-20*D

बूंद – बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यालय रक्षा सम्पदा अधिकारी, दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी
(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय)
मानेकशॉ मार्ग, दिल्ली छावनी
दूरभाष-011-25686971, 25684006

पुनः ई-नीलामी सूचना

पुनः ई-नीलामी सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय रक्षा सम्पदा अधिकारी, दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी द्वारा 54 ए.एस.पी., एयर फोर्स स्टेशन, गुरूग्राम (हरियाणा) के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्रजाति के 303 खड़े/पड़े वृक्षों के निस्तारण हेतु इच्छुक ठेकेदारों/नीलामीदाताओं/फर्म आदि को पुनः ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं पुनः ई-नीलामी संबंधी समस्त जानकारी व नियम/शर्तें वेबसाइट https://eauction.gov.in (Re.E-Auction ID No. 2019_MoD_651) पर दिनांक 04.10.2019 प्रातः 10:00 बजे से उपलब्ध होगी। पुनः ई-नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 23.10.2019 प्रातः 10.00 बजे से शाम 17.00 तक चलेगी।

किसी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद का सन्दर्भ ग्रहण करें।

नोटः वृक्षों को दिनांक 11.10.2019 को 11:00 बजे पर मान्य पहचान पत्र की प्रस्तुति के पश्चात् दिखाया जा सकता है।

हस्ता./-

सं. 3/175/DEO/TREES/OS/VOL-X/740 रक्षा सम्पदा अधिकारी
दिनांक:- 03 अक्टूबर, 2019 दिल्ली मण्डल, दिल्ली छावनी

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण भारत में आपका पारिवारिक बैंक
प्रधान कार्यालय : मंगलूरु - 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128
परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा
8-बी : प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली -110060
फोन: 011-25813466, ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com, मो.: 8597535044

कब्ज़ा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत **कर्णाटका बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **13.5.2019** जारी कर ऋणधारक/मॉर्टगेजर/गारन्टरोंः (1) मै. सुखबानी केमिस्ट, प्रतिनिधित्व द्वारा उनके पार्टनर्सः (i) श्री राज कुमार सुखवानी, (ii) श्री वासदेव सुखवानी, निवासीः 25-142, शक्ति नगर दिल्ली-110007, 2) श्री राज कुमार सुखवानी, 3) श्री बासदेव सुखवानी, 4) श्रीमती ज्योति सुखवानी , सभी (2)(3) एवं 4 निवासीः एससी-3/103, सी कोर्ट, जी ब्लॉक, जयपी गार्डन्स, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,28,55432.75 (रुपये एक करोड़ अटठाईस लाख पचपन हजार चार सौ बत्तीस एवं पैसे पचहत्तर मात्र) अर्थात् ओवर ड्राफ्ट खाता सं. 5537000100011801 के अंतर्गत रु. 1,62,96691.75 के साथ 1.5.2019 से ब्याज तथा ii) पीडीपीएन खाता नं. 5537001400000701 के अंतर्गत 29.4.2019 से आगे ब्याज के साथ रु. 2558741.00 वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, मॉर्टगेजर तथा गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,35,88996.75 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख अठासी हजार नौ सौ छियानवे एवं पैसे पचहत्तर मात्र) अर्थात् 01.9.2019 से उस पर आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता सं. 553700010001801 के अंतर्गत रु. 1,09,09,183.75 तथा ii) 29.8.2019 से आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ पीडीपी एन खाता नं. 5537001400000701 के अंतर्गत रु. 26,79,813.00 की राशि के लिए कर्णाटका बैंक लिमिटेड, जी टी करनाल रोड शाखा-दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. श्रीमती ज्योति सुखवानी तथा श्री राज कुमार सुखवानी के स्वामित्व में पार्स्वनाथ विभव प्लाजा, प्लॉट नं. सी-2, ब्लॉक ई, अल्का कॉमर्सियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में स्थित सुपर एरिया 957 वर्ग फीट के साथ व्यावसायिक स्थान सं. यूजीएफ-22, ऊपरी भू तल का सभी भाग तथा हिस्सा।
2. श्रीमती ज्योति सुखवानी के स्वामित्व में सम्पत्ति सं. 1/9, म्यूनिसिपल नं. 7254/8, ब्लॉक नं.1, रूप नगर, दिल्ली-110007 के भाग में कॉमर्सियल शॉप नं. 1, भू तल तथा मैजेनिन फ्लोर का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 30.9.2019, स्थानः दिल्ली मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी, कर्णाटका बैंक लि

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

प्रयागराज, 3 अक्तूबर (भाषा)।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक ने बुधवार को कोतवाली थाना अंतर्गत चंद्रलोक चौराहे के पास बने अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

प्राध्यापक संजीव भदौरिया ने इस घटना से पूर्व लिखे सुसाइड नोट में इस कदम के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। कोतवाली निरीक्षक बच्चे लाल ने बताया कि 58 वर्षीय भदौरिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रक्षा एवं रणनीतिक विभाग में प्राध्यापक थे और पिछले कई महीने से बीमारी से ग्रस्त थे। बीमारी से परेशान होकर उन्होंने यह कठोर कदम उठाया।

लाल ने बताया कि बुधवार की सुबह प्रोफेसर भदौरिया अपनी पत्नी से यह कहकर कमरे से बाहर निकले कि वह दवा खरीदने और खून की जांच कराने जा रहे हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी ने देखा कि दो घंटे बीतने के बाद भी उनके पति वापस नहीं आए तो वह उन्हें खोजने के लिए मकान की दूसरी मंजिल पर चली गईं। उन्होंने बताया कि प्राध्यापक की पत्नी नीता ने अपने पति को पंखे से लटकते पाया और तुरंत पड़ोसियों को बुलाया जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

बलात्कार और हत्या के आरोप में मौत की सजा

शिवसागर (असम), 3 अक्तूबर (भाषा)।

पिछले साल दो महिलाओं से बलात्कार के बाद उनकी हत्या करने और शवों को ट्रेन के शौचालयों में फेंक देने के मामले में यहां की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को बिकाश दास नाम के व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

सत्र न्यायाधीश एसके पोद्दार ने दास को भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के साथ ही भादंसं की धारा 376(1) (बलात्कार) के तहत यह सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश ने 27 सितंबर को दास के एक सहयोगी को सबूतों के अभाव में आरोपमुक्त कर दिया था।

दस जुलाई, 2018 को असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट की 21 वर्षीय छात्रा का शव सिमालगुड़ी रेलवे स्टेशन पर कामाख्या एक्सप्रेस के एक खाली डिब्बे के शौचालय में मिला था। उसके गले पर गमछा बंधा था। उसकी हत्या की गई थी। इसके अगले दिन 11 जुलाई को एक अधेड़ उम्र की महिला का शव डिब्रूगढ़-राजस्थान अवध असम एक्सप्रेस में दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे के शौचालय में मिला था। इस महिला के गले में भी गमछा बंधा था और उसकी नाक से खून निकल रहा था।

दास को 12 जुलाई को तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इन दोनों महिलाओं से बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी थी। रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दास को तब पकड़ा गया, जब एक सुरक्षाकर्मी ने उसके पास ऐसा ही गमछा देखा, जो दोनों महिलाओं की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने उसके पास से दोनों महिलाओं के मोबाइल फोन, छात्रा के कुंडल और अधेड़ उम्र की महिला की एक पायल भी बरामद की थी।

सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दास की मौत की सजा की पुष्टि हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट पर निर्भर है।

बच्ची से बलात्कार, मौत की सजा पर शीर्ष अदालत ने लगाई मोहर

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में नाबालिग बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने के मामले में दोषी व्यक्ति की मौत की सजा की गुरुवार को पुष्टि कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन पिपासा मिटाने के लिए दोषी ने सभी प्राकृतिक, सामाजिक व कानूनी सीमाएं लांघ दीं।

तीन न्यायाधीशों वाले पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा कि व्यक्ति ने निर्दयतापूर्ण तरीके से एक जीवन खत्म कर दिया जिसे अभी खिलना था। नाबालिग बच्ची के साथ अप्राकृतिक अपराध का उसका कृत्य उसकी गंदी, विकृत मानसिकता और बर्बरता की डरावनी कहानी को दिखाता है। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जहां बंबई हाई कोर्ट द्वारा जनवरी, 2016 में रवि को सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि की, वहीं न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी ने उसे उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक आजीवन जेल में रखने की बात कही। अभियोजन के अनुसार लड़की के पिता ने मार्च, 2012 में बच्ची के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी।

पीटर मुखर्जी और इंद्राणी का तलाक हुआ मंजूर

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनसे अलग रह रही पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के तलाक पर गुरुवार को यहां एक परिवार अदालत ने मुहर लगा दी। पीटर और इंद्राणी दोनों ही शीना बोरा हत्याकांड में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इंद्राणी की वकील ने बताया कि तलाक आपसी सहमति से लिया गया और अदालत संतुष्ट थी कि यह 17 साल पुराने विवाह संबंध के विच्छेद का उचित मामला है।

इस दंपति ने परस्पर सहमति से तलाक के लिए पिछले साल सितंबर में उपनगरीय बांद्रा के परिवार अदालत में याचिका दायर की थी। तलाक के दौरान दंपति की संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई। इसमें स्पेन और लंदन में संपत्तियां, बैंक में पड़ी रकम और अन्य निवेश शामिल हैं। इंद्राणी ने पीटर को तलाक का नोटिस भेजते वक्त दलील दी थी कि उनका विवाह टूट गया है और उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। इंद्राणी (47) और पीटर (65) का विवाह 2002 में हुआ था।

इंद्राणी की वकील एडिथ डे ने कहा, 'अंततः उनका तलाक हो गया। अदालत ने सहमति की शर्तों के अनुपालन के लिए सभी दस्तावेज देखे और इस बात के लिए संतुष्ट होने के बाद कि यह तलाक का उचित मामला है, उन्हें अलग होने की इजाजत दे दी।' उन्होंने कहा, 'यह परस्पर सहमति से हुआ तलाक है जिसमें दोनों ने कार्यवाही के दौरान सहयोग किया।' दोनों ही शीना बोरा हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और 2015 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इंद्राणी जहां भायखला महिला जेल में बंद है, वहीं पीटर मध्य मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है।

इंद्राणी के पहले रिश्ते से हुई बेटी शीना (24) का अप्रैल, 2012 में कत्ल हो गया था और उसके शव को पड़ोस के रायगढ़ जिले में फेंक दिया गया था। इस हत्या का राज तब खुला जब अगस्त 2015 में मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय को अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया और उसने इस मामले में भी राज उगला। इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना भी इस मामले में आरोपी है।

आदित्य ठाकरे, चंद्रकांत पाटील ने नामांकन दाखिल किया

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटील और राकांपा नेता धनंजय मुंडे समेत कई प्रमुख नेताओं ने 21 अक्तूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन शुक्रवार है।

आदित्य ठाकरे ने मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही आदित्य चुनाव मैदान में ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बन गए। आदित्य ने निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। उनके साथ उनके पिता एवं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और मां रश्मि भी थीं। नामांकन दाखिल करने से पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रोड शो भी किया।

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने पुणे की कोथरुड विधानसभा सीट के लिए गुरुवार को नामांकन दायर किया। उनके साथ पुणे से पार्टी के सांसद गिरीश बापट और कोथरुड की मौजूदा विधायक मेधा कुलकर्णी भी थीं। पाटील का रास्ता साफ करने के लिए कुलकर्णी को इस बार टिकट नहीं दी गई। पाटील ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर विशाल मोटरबाइक रैली के साथ नामांकन दायर करने के लिए रवाना हुए। उन्हें ब्राह्मण वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में भाजपा की मौजूदा विधायक मेधा कुलकर्णी की जगह पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है।

> महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन

ठाणे में राकांपा के मौजूदा विधायक जितेंद्र आव्हाड ने यहां कलवा-मुंब्रा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दायर किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहे। आव्हाड तीसरी बार इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं। राकांपा के एक अन्य उम्मीदवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने बीड के परली क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। वह अपनी चचेरी बहन और भाजपा मंत्री पंकजा मुंडे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।

लातूर में, कांग्रेस विधायक अमित देशमुख ने लातूर (शहर) सीट से पर्चा दाखिल किया। उनके छोटे भाई धीरज देशमुख ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में, लातूर (ग्रामीण) निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों के साथ परिवार के सदस्य, उनके भाई और बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख और पार्टी कार्यकर्ता भी थे। ठाणे शहर से मौजूदा विधायक संजय केलकर ने भी गुरुवार को नामांकन दाखिल किया।

पूर्व राज्यमंत्री से शादी करने वाली बहन की हत्या कर भाई फरार

मेरठ, 3 अक्तूबर (जनसत्ता)।

सपा के पूर्व राज्यमंत्री के साथ प्रेम विवाह करने से नाराज एक भाई ने गुरुवार तड़के सगी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी भाई फरार हो गया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी नजीर अली खान ने बताया कि इलाके में रहने वाली राहिल जहां ने नर्सिंग का कोर्स किया था। करीब छह साल पहले राहिल की शादी अलीगढ़ के खुर्शीद से हुई थी। उनका पांच साल का बेटा भी है। लेकिन खुर्शीद के साथ मतभेद के चलते उसने राहिल को छोड़ दिया था जिसके बाद वह अपने बेटे के साथ मायके में रह रही थी। राहिल ने थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में ही एक क्लीनिक भी खोल लिया था।

पुलिस के मुताबिक खुर्शीद से अलग होने के बाद राहिल की नजदीकियां पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री फारूख हसन निवासी पांचली के साथ बढ़ी। राहिल व फारूख हसन के करीबी रिश्तों की जानकारी जब फारूख के ससुराल वालों को मिली, तो उन्होंने दोनों के साथ मारपीट की तथा राहिल के खिलाफ मुकदमा कायम करने का दबाव बनाया। लेकिन इसी दौरान 11 सितंबर को फारूख हसन ने राहिल से कोर्ट मैरिज कर ली। जिसके बाद दोनों मेरठ में ही एक किराए का कमरा लेकर रह रहे थे।

बुधवार की रात राहिल जहां अपने मायके में थी। रात में उसका भाई राहत उर्फ राजा, राहिल के लिए लस्सी लेकर आया जिसमें उसने नशे की गोलियां मिलाई थीं। आज तड़के करीब तीन बजे सोती हुई राहिल के भाई ने हाथ-पैर बांध दिए और धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद राहत उर्फ राजा ने अपनी मां को जगाया और कहा कि राहिल की तबीयत ठीक नहीं है।

आठवले की पार्टी से मिला छोटा राजन के भाई को टिकट

पुणे, 3 अक्तूबर (भाषा)।

सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) ने पश्चिमी महाराष्ट्र के फलटण विधानसभा क्षेत्र से दीपक निखालजे को मैदान में उतारा है, जो जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई हैं।

राज्य में 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, शिवसेना और अन्य छोटे सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे के तहत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व वाली आरपीआइ को छह सीटें दी गई हैं। आठवले ने बुधवार को मुंबई में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। कई वर्षों से आरपीआइ से जुड़े निखालजे ने इससे पहले पार्टी के टिकट पर मुंबई के चेम्बूर से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। आरपीआइ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'इस बार उन्होंने फलटण से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की क्योंकि वह उस इलाके से आते हैं और उनका वहां अच्छा संपर्क है।' अन्य पांच सीटें जहां से आरपीआइ के उम्मीदवार होंगे, वे हैं सोलापुर जिले के मालशिरस, नांदेड जिले के भंडारा और नायगांव, परभणी में पाथरी और मुंबई में मानखुर्द-शिवाजी नगर हैं।

शिवसेना विधायक अमित घोडा राकांपा में शामिल

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले शिवसेना के एक विधायक अमित घोडा गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल हो गए।पालघर से शिवसेना के विधायक अमित घोडा ने पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेता अजित पवार और नवाब मलिक की उपस्थिति में राकांपा की सदस्यता ग्रहण की। अमित अपने पिता और तत्कालीन शिवसेना विधायक कृष्ण घोडा के निधन के बाद फरवरी 2016 में पालघर से उपचुनाव में जीते थे। भाजपा के पूर्व विधायक माणिकराव कोकाटे बुधवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राकांपा में शामिल हुए।

परेश रावल ने डॉ. कफील से माफी मांगी

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद परेश रावल ने 2017 में गोरखपुर बीआरडी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ कफील खान के खिलाफ की टिप्पणी के लिए उनसे माफी मांगी है।

10 अगस्त, 2017 की रात अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति में आई दिक्कत के कारण करीब 30 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं अगले कुछ दिनों में 34 और बच्चे मर गए थे। इस मामले में हाल ही में डॉक्टर खान को मेडिकल लापरवाही और भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त कर उन्हें क्लिनचिट दी गई है।

सूचनाओं के मुताबिक, अस्पताल ने ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान नहीं किया था, इस कारण आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि राज्य सरकार ने इन आरोपों से साफ इनकार किया था। डॉक्टर खान पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लिनचिट मिलने के बावजूद उनका निलंबन अभी समाप्तनहीं हुआ है।

खान के मामले की जांच कर रहे प्रधानसचिव (स्टांप एवं पंजीकरण) हिमांशु कुमार ने डॉक्टर को किसी भी लापरवाही के आरोप से मुक्त करार दिया है। डॉक्टर खान ने मंगलवार को अगस्त 2017 की रावल की टिप्पणी का हवाला देते हुए उनसे माफी मांगने को कहा था। डॉक्टर खान से ट्वीट किया था, 'मैं आपसे माफी मांगने को कह रहा हूं। परेश रावल जी। हम आपके प्रशसंक हैं, कभी सोचा नहीं था कि आपके विचार इतने संकीर्ण और छोटे होंगे। कृपया उस रिपोर्ट का अध्ययन करें जिसने मुझे लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया है। आपके बॉस से तो नहीं, लेकिन कम से कम आपसे मुझे ऐसी आशा है।'

बुधवार को रावल ने डॉक्टर खान से माफी मांगते हुए ट्वीट किया है, 'गलती करने के बाद माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है..... मैं डॉक्टर कफील खान से माफी मांगता हूं।' रावल की माफी स्वीकार करते हुए डॉक्टर खान ने लिखा है, 'धन्यवाद परेश रावल जी। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इसने बहुत दुख दिया है। हमें उन 70 लोगों के लिए भी तकलीफ महसूस करना चाहिए जिनके बच्चों की जान उस हादसे में गई थी।'

शिवसेना उम्मीदवार आदित्य ने 16 करोड़ की संपत्ति घोषित की

मुंबई, 3 अक्तूबर (भाषा)।

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के साथ ही 16.05 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक होने की घोषणा की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य अपने परिवार से चुनावी समर में उतरने वाले पहले सदस्य हैं। मुंबई की वर्ली सीट से नामांकन पत्र भरने के दौरान 29 वर्षीय आदित्य ने निर्वाचन अधिकारी को दिए गए हलफनामे में बताया कि उनके पास 11.38 करोड़ रुपए की चल और 4.67 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें बैंक में जमा 10.36 करोड़ रुपए की राशि और 6.50 लाख रुपए की बीएमडब्लू कार शामिल है।

PXIL

Transforming Power Markets

Power Exchange India Limited

Sumer Plaza,Unit No.901, 9th Floor, Marol Maroshi Road, Andheri (East), Mumbai- 400 059, India.Tel: + 91 22 40096667/87

Fax: +91-22-40096633 / 90 . Email:info@pxil.co.in , CIN:U74900MH2008PLC179152

Trading Month September-2019

Markets	DAS		INTRADAY		ANYDAY		WEEKLY	
Traded	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)
Min	2.51	0.08	1.83	0.30	3.50	7.97	3.60	7.97
Max	3.15	0.12	5.90	6.33	3.80	12.00	3.65	9.24
Avg.	2.85	0.09	3.51	2.38	3.63	8.62	3.64	8.58
Total		1.03		64.24		68.93		257.29

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 01 1 -233571 71 , 233571 72, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्पलेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016,
दूरभाष : 011-26512911, ई-मेल : greenpark@pnbhousing.com
शाखा पता : डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र. 201301, दूरभाष : 0120-6511224-26,
ई-मेल : noida@pnbhousing.com
शाखा पता : यूजी1, एसडी बीटा टॉवर, प्लॉट सं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011,
दूरभाष : 120-2699117, ई-मेल : Ghaziabad@pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकतता पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कथित सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।
कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सहकर्जदार/जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	00166660005834 शाखा : नोएडा	कमल मल्होत्रा	08.08.2018	09.09.2018 तक रु. 47,76,046.04	28.09.2019 (सांकेतिक)	इकाई सं. 1803,17 वीं मंजिल, ब्लॉक-बी, आरसिटी रीजेन्सी पार्क, प्लॉट सं. जीएच-038, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307
2.	00306660002873 शाखा :गाजियाबाद	गुंजन चौधरी	16.05.2018	16.05.2018 तक रु. 46,37,738.03	28.09.2019 (सांकेतिक)	इकाई सं.-बी-1006, 10वीं मंजिल, टॉवर-बी, आरसिटी रीजेंसी पार्क टॉवर-बी, ग्रेटर नोएडा पश्चिम, उत्तर प्रदेश-201308
3.	HOU/GHA/ 0715/233594 शाखा : गाजियाबाद	निपिल कुमार गोयल	12.06.2018	12.06.2018 तक रु. 45,27,719.10	28.09.2019 (सांकेतिक)	705, 7, टॉवर सी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201308
4.	HOU/N01/ 0615/227837 शाखा : नोएडा	नेहा श्रीवास्तव	08.08.2018	08.08.2018 तक रु. 44,51,238.39	28.09.2019 (सांकेतिक)	605, 6, टॉवर सी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
5.	HOU/GHA/ 0715/232259 शाखा : गाजियाबाद	भारत गम्भीर	12.06.2018	12.06.2018 तक रु. 42,73,575.47	28.09.2019 (सांकेतिक)	1505, 14, टॉवर सी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
6.	HOU/GHA/ 0316/270986 शाखा : गाजियाबाद	विक्रम प्रताप सिंह	12.06.2018	12.06.2018 तक रु. 42,57,312.91	28.09.2019 (सांकेतिक)	105, 1, टॉवर सी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
7.	HOU/GHA/ 0116/261194 शाखा : गाजियाबाद	सुष्मिता श्रीवास्तव	12.06.2018	12.06.2018 तक रु. 42,34,851.13	28.09.2019 (सांकेतिक)	1804, 17, टॉवर सी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
8.	HOU/N01/ 1215/256093 B.O.: Noida	श्वेता ए. प्रसाद	01.02.2019	01.02.2019 तक रु. 41,15,275.84	28.09.2019 (सांकेतिक)	1906, 18, टॉवर सी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
9.	HOU/GHA/ 0615/228491 शाखा : गाजियाबाद	गुरजीत सिंह	16.05.2018	16.05.2018 तक रु. 38,95,018.93	28.09.2019 (सांकेतिक)	904ए, 9, टॉवर सी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
10.	HOU/GHA/ 0715/233593 शाखा : गाजियाबाद	रामकुमार गोयल	12.06.2018	12.06.2018 तक रु. 38,76,990.13	28.09.2019 (सांकेतिक)	404ए, 6, टॉवर बी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
11.	HOU/GHA/ 0415/218499 शाखा : गाजियाबाद	हितेन्द्र सिंह चौहान	16.05.2018	12.05.2018 तक रु. 37,21,736.68	28.09.2019 (सांकेतिक)	1104ए, 11, टॉवर बी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
12.	00166660005688 शाखा : नोएडा	विनय द्विवेदी	08.08.2018	08.08.2018 तक रु. 37,75,931.95	28.09.2019 (सांकेतिक)	अपार्टमेंट सं. 2004ए, 19वीं मंजिल, टॉवर सं.-बी, रीजेंसी पार्क, जीएच- 03बी, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
13.	HOU/GRP/ 0115/210615 शाखा : ग्रीनपार्क	बिन्दूलिका शर्मा	08.08.2018	08.08.2018 तक रु. 45,58,303.13	28.09.2019 (सांकेतिक)	2001, टॉवर बी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
14.	HOU/GRP/ 0115/210607 शाखा : ग्रीनपार्क	बिन्दूलिका शर्मा	08.08.2018	08.08.2018 तक रु. 37,09,722.14	28.09.2019 (सांकेतिक)	2001ए, टॉवर बी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश
15.	HOU/GHA/ 0715/233592 शाखा : गाजियाबाद	अमित गोयल	12.06.2018	12.06.2018 तक रु. 38,15,537.23	28.09.2019 (सांकेतिक)	604ए, 6, टॉवर बी, आरसिटी रीजेंसी पार्क (होल्ड), प्लॉट सं.-3बी, सेक्टर- 16सी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

स्थान : ग्रीनपार्क/नोएडा/गाजियाबाद, दिनांक : 03.10.2019 अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.

प्रपत्र "ए"
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
हिम वाल्व्स ऐंड रेगुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	हिम वाल्व्स ऐंड रेगुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	10-06-1997
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U28121DL1997PTC087828
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	डी-9, उद्योग नगर, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110041
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	01-10-2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	29-03-2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	सीए. मधु जुनेजा IBBI/IPA-001/IP-P00044/2017-18/10118
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	4704, अशोक एन्क्लेव, प्लॉट नंबर 8ए, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-110075 (भारत) ई-मेल : madhujun94@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	4704, अशोक एन्क्लेव, प्लॉट नंबर 8ए, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-110075 (भारत) ई-मेल : himvalvescirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	15-10-2019
12	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	कुछ नहीं
13	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम	लागू नहीं
14	(क) संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है :	www.ibbi.gov.in/downloadforms.html तथा 4704, अशोक एन्क्लेव, प्लॉट नंबर 8ए, सेक्टर-11, द्वारका, नई दिल्ली-110075

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 01-10-2019 को **हिम वाल्व्स ऐंड रेगुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

हिम वाल्व्स ऐंड रेगुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 15-10-2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर **आइटम नंबर 10** के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

तिथि : 02-10-2019
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./-
(सीए. मधु जुनेजा)

गुरुकुल कांगड़ी को आधुनिक बनाया जाएगा : निशंक

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 3 अक्तूबर।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक कहा कि वेद, उपनिषद और पुराणों को विज्ञान से जोड़कर अनुसंधान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नए शोध कार्य करे। विदेशों में शोध कर रहे वैज्ञानिक हमारे प्राचीन ग्रंथों पर विज्ञान को लेकर कई शोध कार्य कर रहे हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों का वह जिक्र भी करते हैं। इसी तरह का कार्य इस विश्वविद्यालय में होना चाहिए। यह विश्वविद्यालय ज्ञान-विज्ञान का शक्तिपुंज बने। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं।

निशंक गुरुवार को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के परिसर में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भारत सरकार के तकनीकी विज्ञान परिषद के सहयोग से बनने वाले बहुमंजिला छात्रावास की नींव रख रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए अहम कार्य कर रही है। निशंक ने कहा कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर और उनका विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग कर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनानी होगी। इस मामले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार भूमिका निभा सकता है। देश-दुनिया में भारत का वास्तुशास्त्र को लेकर विदेशों में विशेष दबदबा रहा है। वास्तुशास्त्र और विज्ञान का समन्वय कर नए-नए शोध किए जाएं। देश में काशी विश्वविद्यालय के बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय है। इस विश्वविद्यालय ने देश को जानी-मानी हस्तियां दी हैं। विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए भारतीय तकनीकी परिषद समय-समय पर अनुदान देती रहेगी। विश्वविद्यालय के लिए भारतीय तकनीकी परिषद का दरवाजा खोल दिया जाएगा। महात्मा गांधी और गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद मित्र थे और यहां के छात्रों ने ही उस समय गांधी जी के मुहिम को आगे बढ़ाया और यही वह धरती है, जहां गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

लाभकारी परियोजना सेल
उद्योग सदन, 419, एफ.आई.ई. औद्योगिक क्षेत्र, पटपड़गंज, दिल्ली-110092

सं. एसी/आरपीसी/पू.दि.न.नि./2019/डी-559 दिनांकः 03.10.2019

विषयः सतह पार्किंग संबंधित नि.आ.सू. सं. डी-426 दिनांक 26.08.2019 के संबंध में बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार

इस कार्यालय से संबंधित नि.आ.सू. सं. डी-426 दिनांक 26.08.2019 के संबंध में सतह पार्किंग नि.आ.सू. के लिए बोलियां/निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, सक्षम अधिकारी ने बोलियों को जमा करने की अंतिम तिथि को 15.10.2019 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित कार्यक्रम निम्नलिखित अनुसार है-

निविदा बॉक्स रखने की तिथि	:	15.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि	:	15.10.2019 को अप. 01.00 बजे तक
तकनीकी बोलियों का खुलना	:	15.10.2019 को अप. 02.00 बजे
वित्तीय बोलियों का खुलना	:	बाद में घोषित की जाएगी

इसके अलावा, जो बोलीदाता उक्त नि.आ.सू. के लिए पहले से ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें उसी साइट के लिए दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, यदि वे उस साइट के लिए दोबारा आवेदन करते हैं, तो पहले वाली बोली अवैध समझी जाएगी। इस मामले में उन्हें धरोहर राशि के अंतर को यदि कोई होगा जमा करना होगा।

हस्ता/-
सहायक आयुक्त
आर.पी. सेल, पू.दि.न.नि.

आरओ सं. 61/डीपीआई/पूर्वी/2019-20

पूर्वी दिल्ली नगर निगम नागरिक हेल्पलाईन स. -155303

दक्षिण कोरिया में बाढ़

दक्षिण कोरिया के एक इलाके में गुरुवार को बारिश के बाद जलमग्न क्षेत्र। इससे लोगों को खासी परेशानी हुई।

पाक ने तालिबान को अमेरिका से बातचीत शुरू करने को कहा

इस्लामाबाद, 3 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान के लिए तालिबान को अवसर का फायदा उठाने व अमेरिका से वार्ता फिर से शुरू करने को कहा है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से यहां उग्रवादी समूह के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बीच पाक ने कहा कि युद्ध कोई समाधान नहीं है।

तालिबान के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कुरैशी से गुरुवार को मुलाकात की। यह मुलाकात अफगान शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने पर जोर देने के उद्देश्य से की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ शांति वार्ता को अचानक से रद्द कर इसे 'खत्म' घोषित कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तालिबान राजनीतिक आयोग (टीपीसी) के प्रतिनिधिमंडल ने कुरैशी से मुलाकात की। टीपीसी प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की और इसमें कमीशन के कई वरिष्ठ सदस्य शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए विदेश मंत्री ने ध्यान दिलाया कि भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग इतिहास, भूगोल और संस्कृति को साझा करते हों लेकिन दोनों मित्र देशों के बीच इस्लाम मजबूत संबंध का कारण बना हुआ है। कुरैशी ने शांति प्रक्रिया में तालिबान की गंभीर प्रयासों की सराहना करते हुए इन प्रयासों को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की जरूरत को

- अमेरिका और तालिबान शांति योजना पर सहमत हुए थे लेकिन इस प्रक्रिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक लगा दी थी। ट्रंप ने काबुल में पिछले महीने एक आत्मघाती हमले में अमेरिकी सैनिक की हत्या के बाद यह प्रक्रिया रोक दी थी। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी। ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था जब उन्होंने अचानक से घोषणा की कि तालिबान के साथ अफगान शांति प्रक्रिया 'खत्म' हो गई है।

रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति हासिल करने के लिए मौजूदा एवं व्यापक क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहमति एक अभूतपूर्व अवसर देती है जिसे गंवाया नहीं जाना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी तरह के प्रयासों को समर्थन देना जारी रखेगा जो पाकिस्तान के अपने सामाजिक-आर्थिक विकास एवं प्रगति के लिए भी जरूरी है। टीपीसी की स्थापना के बाद से तालिबान के किसी प्रतिनिधिमंडल का यह पहला पाकिस्तानी दौरा है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुरैशी और तालिबान के बीच वार्ता डेढ़ घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में खुफिया एजंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के साथ कुछ और बैठकें करेगा लेकिन उनके ब्यौरे साझा नहीं किए गए हैं। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत जलमी खलीलजाद भी शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर चर्चा के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। वह तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात कर सकते हैं।

पेरिस पुलिस के मुख्यालय में चाकू से हमला, चार की मौत

पेरिस, 3 अक्तूबर (एएफपी)।

फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एक व्यक्ति ने गुरुवार को चार अधिकारियों की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। जांचकर्ताओं ने संदेह जताया है यह कार्यस्थल पर झगड़े की वजह से जानलेवा हमला किया गया। इसे फ्रांस में पुलिस पर हुए बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। हमलावर पुलिस मुख्यालय में ही कार्यरत था।

गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव

वाशिंगटन, 3 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिकी सांसदों ने महात्मा गांधी की याद में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनकी 150वीं जयंती पर कांग्रेस में द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया। सीनेट में टेड क्रूज और रोबर्ट मेनेंदेज ने इसे पेश किया जबकि प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस की सदस्य ग्रेस मेंग ने इसे पेश किया। सीनेट में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटेन से भारत की आजादी के लिए गांधी ने दशकों संघर्ष किया और राजनीतिक बदलाव के लिए अहिंसक प्रदर्शनों का प्रयोग करने की शुरुआत की जिनकी मदद से लाखों भारतीयों को आजादी मिली।

भारत-पाक परमाणु युद्ध हुआ तो मारे जा सकते हैं 12.5 करोड़ लोग

सूरज की रोशनी 20-30 फीसद घट जाएगी, धरती का तापमान 2 से 5 डिग्री कम हो जाएगा

वाशिंगटन, 3 अक्तूबर (भाषा)।

भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध हुआ तो एक सप्ताह से कम समय के भीतर ही 50 लाख से 12.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। यह संख्या छह साल चले दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, इससे दुनियाभर में जलवायु संबंधी आपदाएं भी आएंगी। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय और रुतगेर्स विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के एक अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि अगर भविष्य में ऐसा युद्ध हुआ तो उसकी विभीषिका और कुप्रभाव कैसा तथा क्या होगा।

नई दिल्ली द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद दोनों देशों में बढ़े तनाव के बीच विश्लेषकों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के पास फिलहाल करीब 150-150 परमाणु हथियार हैं और 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर दोनों देशों के पास लगभग 200-200 तक हो सकती है।

कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रायन टून ने कहा, 'भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध दुनिया में मृत्यु दर को दोगुना कर सकता है।' टून ने कहा, 'यह ऐसा युद्ध होगा जिसका मानव अनुभव में कोई उदाहरण नहीं होगा।' रुतगेर्स विश्वविद्यालय-न्यू ब्रुंसविक के एलन रोबॉक ने कहा, 'ऐसे युद्ध से सिर्फ उन जगहों को खतरा नहीं होगा जहां बम गिराए जाएंगे,

- अध्ययन में कहा गया है कि यह परमाणु युद्ध होने पर पूरी दुनिया में वर्षा में 15 से 30 फीसद तक की कमी आ सकती है, जिसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। इतना ही नहीं धरती पर पेड़-पौधों की संख्या में भी 15 से 30 फीसद तक की कमी आ सकती है और समुद्री जीवन में 5 से 15 फीसद तक की कमी हो सकती है।

बल्कि पूरी दुनिया को खतरा होगा।' 'साइंस एडवांस' पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन रिपोर्ट में भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के परिदृश्य पर ध्यान दिया गया है जो 2025 में हो सकता है।

अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि वैसे तो दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर कई युद्ध हुए हैं लेकिन 2025 तक उनके पास कुल मिलाकर 400 से 500 परमाणु हथियार होंगे। इसमें कहा गया है कि यदि युद्ध हुआ तो धरती पर पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी में 20 से 35 प्रतिशत तक की कमी आएगी और इस ग्रह का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा।

अध्ययन में कहा गया है कि यह परमाणु युद्ध होने पर पूरी दुनिया में वर्षा में 15 से 30 फीसद तक की कमी आ सकती है, जिसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव होंगे। इतना ही नहीं धरती पर पेड़-पौधों की संख्या में भी 15 से 30 फीसद तक की कमी आ सकती है और समुद्री जीवन में 5 से 15 फीसद तक की कमी हो सकती है।

इसमें कहा गया है कि इस युद्ध के सीधे प्रभाव के चलते एक सप्ताह से कम समय के भीतर ही 50 लाख से 12.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। इसके साथ ही इससे दुनियाभर में फैलने वाली भुखमरी जैसे अतिरिक्त कारणों से मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।

मिसाइल परीक्षण सफल हुआ, उत्तर कोरिया ने कहा

सोल, 3 अक्तूबर (एपी)।

उत्तर कोरिया ने गुरुवार को पुष्टि की उसने पनडुब्बी से एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और बाहरी खतरों तथा अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के प्रयासों की दिशा में इसे एक 'महत्त्वपूर्ण उपलब्धि' करार दिया।

उत्तर कोरिया ने बुधवार को पिछले तीन साल में पहली बार पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। यह परीक्षण इस हफ्ते के अंत में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने से पहले किया गया है।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अमेरिका को दिखाना चाहता है कि अगर यह वार्ता फिर से विफल रही तो क्या हो सकता है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजंसी ने कहा कि पूर्वी तट के जलक्षेत्र में पुकगुकसोंग-3 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा और '(उत्तर कोरिया) के लिए बाहरी खतरों को रोकने में बदलाव का एक नया दौर शुरू हुआ है और साथ ही आत्मरक्षा के लिए अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया गया है।' हालांकि एजंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसकी सुरक्षा को किन बाहरी ताकतों से खतरा है। लेकिन उत्तर कोरिया ने पहले कहा था कि अमेरिकी सेना के खतरों से निपटने के लिए उसे परमाणु अस्त्रों से लैस मिसाइल विकसित करने पर मजबूर होना पड़ा था।

- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अमेरिका को दिखाना चाहता है कि अगर यह वार्ता फिर से विफल रही तो क्या हो सकता है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजंसी ने कहा कि पूर्वी तट के जलक्षेत्र में पुकगुकसोंग-3 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा।

उत्तर कोरियाई और अमेरिकी अधिकारी, उत्तर कोरिया के परमाणु संकट को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा के लिए कूटनीतिक संबंधों की फिर से शुरुआत करने को लेकर शनिवार को मुलाकात करने वाले हैं। वियतनाम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच फरवरी में तय दूसरी शिखर वार्ता रद्द होने के बाद से कूटनीतिक संबंधों में गतिरोध बना हुआ है।

जलवायु संकट से निपटने कीमोदी की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की नैंसी ने

वाशिंगटन, 3 अक्तूबर (भाषा)।

जलवायु संकट से निपटने की नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाली चुनौतियों से निपटने का जिम्मा लेकर महात्मा गांधी के मूल्यों को बरकरार रखा है।

जलवायु परिवर्तन पर समझौते को सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए पेलोसी ने कहा, 'यह आसान नहीं था, लेकिन यह किया गया।' उन्होंने कहा कि जब मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए वाशिंगटन डीसी आए थे, तब भाषण से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे मुलाकात की थी।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अमेरिका में भारतीय दूतावास द्वारा ऐतिहासिक 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'मैंने जलवायु संकट का जिक्र किया और उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने महात्मा गांधी और पर्यावरण के बारे में बात की।'

पेलोसी ने अपने भाषण कहा, 'उन्होंने (मोदी) हमें बताया कि चाहे जल संरक्षण हो या जो कुछ भी हो, गांधी ने प्रकृति का मूल्य और इस बात को समझा कि हमें उसका सम्मान करना होगा।' उन्होंने कहा कि अगर गांधी आज जीवित होते, तो वह इस चुनौती से निपटने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करते।

इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम में पूछा था कि अगर महात्मा गांधी एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए होते, तो क्या होता। हम इस विचार को शायद और भी आगे ले जा सकते। हम खुद से पूछ सकते हैं कि अगर वह आज हमारे बीच होते, तो वह किस चीज की हिमायत करते।' उन्होंने कहा, ''इसका जवाब सरल नहीं है, क्योंकि गांधी जी के दृष्टिकोण और उनके विचार मानव जीवन में बहुत व्यापक स्तर तक फैले हैं।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ काम कर रहा है अमेरिका

वाशिंगटन, 3 अक्तूबर (भाषा)।

सामाजिक विकास के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने में भारतीयों की मदद करने की खातिर अमेरिका प्रौद्योगिकी के परीक्षण में भारत के साथ काम कर रहा है। 'यूएसएड' के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी और कहा कि भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास किया है।

नॉर्थ कैरोलिना में बुधवार को एकॉर्ड नेटवर्क फोरम के एक कार्यक्रम में 'यूएसएड' के प्रशासक मार्क ग्रीन ने कहा, 'मेरी राय में प्रौद्योगिकी के विकास में जिन देशों का उल्लेखनीय स्थान रहा है उस संदर्भ में भारत एक विशिष्ट देश है।' ग्रीन से उनके पसंदीदा देश के बारे में पूछा गया था जो उनकी राय में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पूरी तरह से तैयार हैं।

धालीवाल के अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़े

ह्यूस्टन, 3 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका में पिछले हफ्ते ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों, सिख समुदाय के लोगों, भारतीय मूल के अमेरिकियों और ह्यूस्टन इलाके के निवासियों समेत हजारों लोगों ने बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। धालीवाल (42) हैरिस काउंटी के पहले सिख डिप्टी शेरिफ थे। हैरिस काउंटी में सिखों की आबादी दस हजार से अधिक है।

ब्रेग्जिट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री साथियों को मनाने में जुटे

लंदन, 3 अक्तूबर (एएफपी)।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट संबंधी अपनी योजना पर यूरोपीय संघ (ईयू) को मनाने से पहले गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों को समझाने का प्रयास किया।

ब्रेग्जिट के लिए तेजी से खत्म हो रही समय सीमा और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विरोध के बीच जॉनसन साढ़े तीन साल से जारी इस संकट को खत्म करने की अपनी योजना के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

ब्रिटिश संसद में उन्हें कई सदस्यों का समर्थन भी मिला है जो लगातार 2017 में ब्रेग्जिट पर सरकार की ओर से पेश योजनाओं को खारिज कर रहे हैं। इनमें विपक्षी लेबर पार्टी के उदारवादी सांसद और खुद उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य शामिल हैं।

अगर जॉनसन ईयू और गुटों में बंटी संसद को समझाने में नाकाम होते हैं तो बिना समझौते ब्रिटेन को ईयू से अलग होना पड़ेगा या इस प्रक्रिया में और देरी होगी। जॉनसन के सफल होने पर उन्हें और लंबी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा और ईयू के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत करनी होगी। ब्रिटेन की ब्रेग्जिट मंत्री स्टीव बार्कले ने कहा कि सप्ताहांत तक जॉनसन की ओर से खींचे गए खाके के अनुरूप सभी पक्षों को बातचीत शुरू करनी होगी ताकि 17-18 अक्टूबर को ब्रसेल्स में होने वाली बैठक में किसी समझौते की उम्मीद बनी रहे।

उन्होंने बीबीसी रेडियो से कहा, 'हमें और तेजी से और गहनता से आगे बढ़ना होगा।' ईयू आयुक्त ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मानते हैं कि यह गंभीर प्रस्ताव है और वह चाहते हैं कि सभी पक्ष इस पर विचार करें। जॉनसन ने ब्रेग्जिट के बाद आयरलैंड की सीमा में निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए जटिल प्रस्ताव दिया है। वह मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसद में अपनी योजना का खुलासा करेंगे।

इस योजना पर ब्रसेल्स और डबलिन ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। ईयू की ओर से ब्रेग्जिट के मुख्य वार्ताकार माइकल बार्नियर ने कहा, 'इसमें प्रगति हुई है लेकिन साफगोई से कहूं तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।'

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन शुरू

इंफाल/ कोहिमा/ शिलांग, 3 अक्तूबर (भाषा)।

नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में लाने की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के दो दिन बाद गुरुवार को मणिपुर, नगालैंड और मेघालय में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। इंफाल घाटी में बड़े पैमाने पर नागरिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्रों ने कड़ी सुरक्षा के बीच विरोध प्रदर्शन किया लेकिन राज्य के किसी भी हिस्से में अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।

कोहिमा में भी विभिन्न नगा जनजातियों के हजारों प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में 'ज्वाइंट कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजनस पीपुल (जेसीपीआई), नगालैंड एंड नॉर्थ ईस्ट फोरम ऑफ इंडिजनस पीपुल (एनईएफआइपी) के आह्वान पर विरोध मार्च निकाला और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नागरिकता संशोधन विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियों के सिर पर लटक रही खतरे की तलवार है। शिलांग में आयोजित रैली में एनईएफआइपी ने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन विधेयक क्षेत्र से मूल जनजातियों के खात्मे की कोशिश है।

महंगाई की मार ने रावण का कद छोटा किया

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती की मार से 'रावण' भी बच नहीं पाया है। इस बार पुतलों के बाजार में 'रावण' का कद और छोटा हो गया है।

राजधानी के पश्चिम दिल्ली के तातारपुर गांव के पुतला बनाने वाले कारीगरों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इन कारीगरों का कहना है, 'अर्थव्यवस्था सुस्त है, साथ ही पुतला बनाने वाली सामग्रियों के दाम काफी चढ़ चुके हैं। ऐसे में हमें पुतलों का आकार काफी छोटा करना पड़ा है।' तातारपुर पुतलों का प्रमुख बाजार है, लेकिन इस साल यहां कुछ ही स्थानों पर पुतले बनाए जा रहे हैं। यहां के कारीगरों को सुभाष नगर के बेरी वाला बाग में जगह दी गई है। इसके अलावा राजा गार्डन फ्लाईओवर से लेकर सुभाष नगर, राजौरी गार्डन और रघुबीर नगर इलाकों में कारीगर दिन रात पुतलों की साज-सज्जा में जुटे हैं।

दशहरा से करीब 45 दिन पहले आसपास के राज्यों के कारीगर पुतला बनाने वाले बड़े 'दुकानदारों' के पास आ जाते हैं। पुतला बनाने वालों में दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तक के कारीगर शामिल हैं। पिछले 25 साल से पुतला बना रहे महेंद्र कहते हैं, 'अर्थव्यवस्था में सुस्ती

पहले 70 फुट के पुतले बनते थे, इस साल 40 फुट के ऑर्डर मिले

कभी तातारपुर और आसपास के इलाकों में 60-70 फुट तक के भी पुतले बनाए जाते थे, लेकिन अब दाम चढ़ने और जगह की कमी की वजह से आयोजक छोटे पुतलों की मांग करने लगे हैं। संजय कहते हैं कि आज रावण के पुतलों की तो मांग है, लेकिन कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के कद्रदान कम ही हैं। ग्राहक द्वारा कुंभकर्ण या मेघनाद का पुतला मांगने पर पुतले का रंग बदल दिया जाता है या मूंछें छोटी कर दी जाती हैं।

संजय, पुतले बनाने वाला कारीगर

है। अन्य क्षेत्रों की तरह इसका असर पुतलों के कारोबार पर भी पड़ा है। इस वजह से हमें पुतलों का आकार कम करना पड़ा है क्योंकि पुतला जितना बड़ा होगा, लागत भी उतनी ही अधिक होगी और दाम भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा।'

महेंद्र ने कहा, 'पुतला बनाने की सामग्री भी काफी महंगी हो चुकी है। 20 बांस की कौड़ी का दाम 1,200-1,300 रुपए हो गया है जो पिछले साल तक 1,000 रुपए था। पुतला बांधने में काम आने वाला तार भी 50 रुपए किलो के बजाय 150 रुपए में मिल रहा है। कागज का दाम तो लगभग दोगुना हो गया है।' तीस साल से अधिक समय से पुतला बनाने के कारोबार से जुड़े सुभाष ने कहा, 'कभी तातारपुर का रावण विदेश भी भेजा जाता था। यहां से रावण के पुतले विशेष रूप से आस्ट्रेलिया तक भेजे जाते थे, लेकिन अब विदेश से मांग नहीं आती है।'

हरियाणा के करनाल से यहां आकर पुतला बनाने वाले संजय ने कहा कि कभी तातारपुर और आसपास के इलाकों में 60-70 फुट तक के भी पुतले बनाए जाते थे, लेकिन अब दाम चढ़ने और जगह की कमी की वजह से आयोजक छोटे पुतलों की मांग करने लगे हैं। संजय कहते हैं कि आज रावण के पुतलों की तो मांग है, लेकिन कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के कद्रदान कम ही हैं। ग्राहक द्वारा कुंभकर्ण या मेघनाद का पुतला मांगने पर पुतले का रंग बदल दिया जाता है या मूंछें छोटी कर दी जाती हैं।

टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के नीचे पुतले बनाने में जुटे राजू ने कहा कि तातारपुर और आसपास 40 फुट तक के ही पुतले बनाए जा रहे हैं। इस बार 40 फुट के पुतले का दाम 17,000 से 20,000 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले साल तक यह 12,000-13,000 रुपए था।

हालांकि, राजू ने कहा कि पुतलों का दाम ग्राहक देखकर तय किया जाता है। मध्य प्रदेश के एक कारीगर गोकुल ने कहा, 'इस बार बच्चों के लिए विशेष रूप से पांच से दस फुट के पुतले बनाए जा रहे हैं।' गोकुल ने बताया कि बच्चों के लिए बनाए जा रहे पांच से दस फुट के 'छोटे रावण' का दाम 1,500 से 4,000 रुपये तक है।

पुतले बनाने वाले बड़े हर बड़े दुकानदार के पास 20 से 30 लोग काम करते हैं। तातारपुर और आसपास के इलाकों से पुतले हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब तक भेजे जाते हैं। इस समय तातारपुर और आसपास के इलाकों में 500 से अधिक पुतले बनाए जा रहे हैं, जबकि कभी अकेले तातारपुर में ही 1,000 से अधिक पुतले बनाए जाते थे। इनकी मांग हर साल लगातार घट रही है और आकार भी छोटा हो जा रहा है।

पीओके में मार्च

भारतीय सेना ने कहा, एलओसी की गरिमा तय करे पाकिस्तान

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय सेना के अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी सेना के समर्थन वाले स्थानीय लोगों के मार्च से पहले कहा कि इस्लामाबाद नियंत्रण रेखा (एलओसी) की गरिमा हर हाल में सुनिश्चित करे। भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के विरोध में पाकिस्तान द्वारा मार्च करने की योजना बनाई जा रही है।

भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तानी सेना पीओके में कश्मीरियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रही है और भारतीय सुरक्षाबल एलओसी पर किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं। भारतीय सेना पाकिस्तानी नेताओं द्वारा निःशस्त्र लोगों को भड़काए जाने जैसी गतिविधियों से अवगत है। यह जाना पहचाना तथ्य है कि विश्व का ध्यान खींचने के वास्ते मानवीय संकट उत्पन्न करने के लिए आम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मयंक के दोहरे शतक से भारत मजबूत

सात विकेट पर 502 रन बनाकर पारी घोषित, दक्षिण अफ्रीका ने तीन विकेट गंवाए

विशाखापत्तनम, 3 अक्तूबर (भाषा)।

मयंक अग्रवाल के दोहरे शतक के बाद स्पिनरों के दम पर भारत ने पहले क्रिकेट टैस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका पर शिकंजा कस दिया। भारत में अपना पहला टैस्ट खेल रहे अग्रवाल ने जबर्दस्त संयम का प्रदर्शन करते हुए 371 गेंद में 215 रन बनाए। भारत ने 136 ओवर में सात विकेट पर 502 रन बनाकर पारी घोषित की। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर तीन विकेट 39 रन पर गंवा दिए। एडेन मार्कराम (पांच), थ्यूनिस डे ब्रून (चार) और डेन पीट (0) जल्दी आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर से 463 रन पीछे है।

आर अश्विन ने मार्कराम को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने डि ब्रून को विकेट के पीछे लपकवाया। रविंद्र जडेजा ने पीट को पवेलियन भेजा। पहला दिन जहां रोहित शर्मा के नाम रहा, वहीं दूसरे दिन अग्रवाल ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज और तीन विशेषज्ञ स्पिनर भी भारतीय बल्लेबाज पर अंकुश नहीं लगा सके।

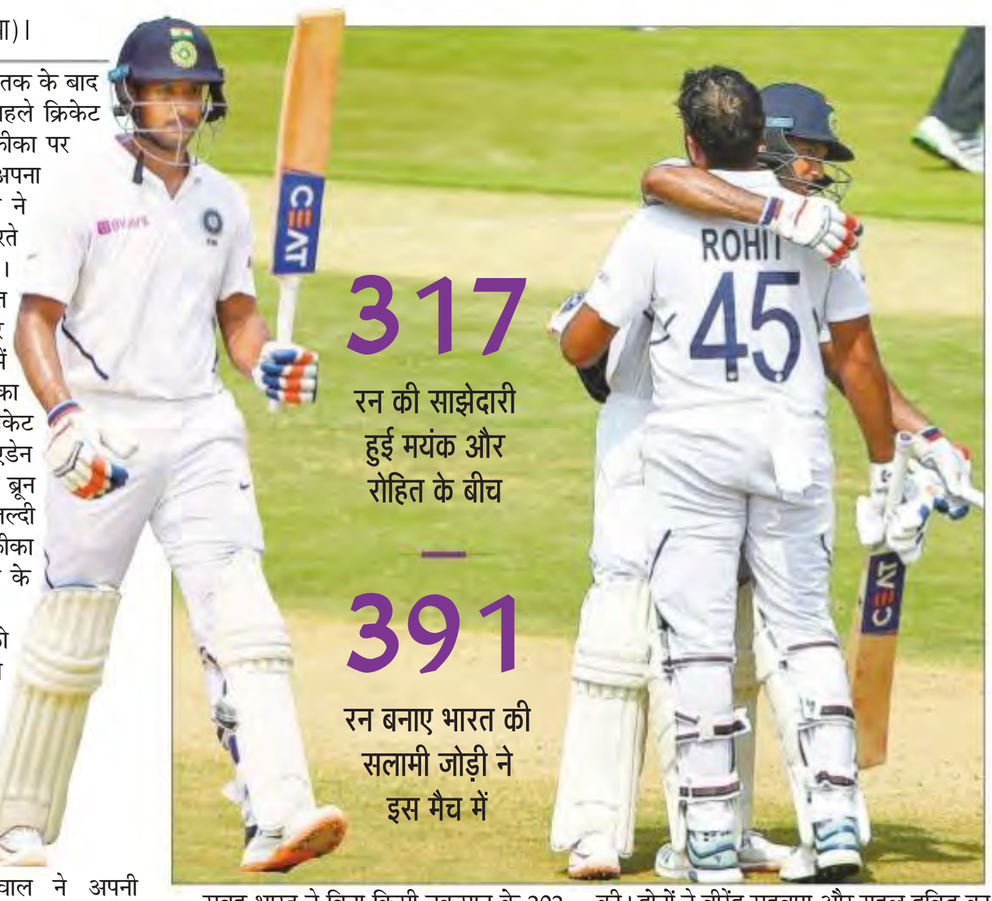

सुबह भारत ने बिना किसी नुकसान के 202 रन से आगे खेलना शुरू किया। रोहित 115 और अग्रवाल 84 रन पर खेल रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 317 रन की रेकार्ड साझेदारी की। दोनों ने वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वोच्च साझेदारी का रेकार्ड तोड़ा। अग्रवाल ने रोहित के आउट होने के बाद मोर्चा संभाला। उन्होंने पहला शतक 204 और दूसरा 154 गेंद में पूरा किया।

इससे पहले अग्रवाल ने आस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ चार टैस्ट खेले हैं। उन्होंने अपनी पारी में 23 चौके और छह छक्के जड़े। दोपहर का सत्र पूरा उनके नाम रहा। पहले दिन बारिश के कारण मैच 30 मिनट ज्यादा खेला गया। अग्रवाल को डीन एल्गर ने आउट किया जो डीप मिडविकेट पर पीट को कैच देकर लौटे। चाय के समय भारत का स्कोर पांच विकेट पर 450 रन था। लंच के बाद वेर्नन फिलैंडर ने पहली ही गेंद पर चेतेश्वर पुजारा (6) को आउट किया। कप्तान विराट कोहली (20) भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। वह सेनुरान मुथुस्वामी को रिटर्न कैच दे लौटे। सुबह के सत्र में अग्रवाल ने अपना पहला टैस्ट शतक पूरा किया जबकि रोहित ने 176 रन बनाए। रोहित ने 23 चौके और छह छक्के लगाए।

स्कोर बोर्ड

भारत पारी : मयंक अग्रवाल का पीट बो एल्गर 215, रोहित शर्मा स्टंप डिकाक बो महाराज 176, चेतेश्वर पुजारा बो फिलेंडर 6, विराट कोहली का और बो मुथुस्वामी 20, अजिंक्य रहाणे का बावुमा बो महाराज 15, रविंद्र जडेजा नाबाद 30, हनुमा विहारी का एल्गर बो महाराज 10, ऋधिमान साहा का मुथुस्वामी बो पीट 21, आर अश्विन नाबाद 1

गेंदबाजी : फिलेंडर 22-4-68-1, रबादा 24-7-66-0, महाराज 55-6-189-3, पीट 19-1-107-1, मुथुस्वामी 15-1-63-1, एल्गर 1-0-4-1

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेल्जियम को 5-1 से हराया

एंटवर्प, 3 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय पुरुष हाकी टीम ने आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन करते हुए विश्व और यूरोपीय चैंपियन बेल्जियम को पांचवें और आखिरी मैच में 5-1 से हराकर बेल्जियम दौरे पर अपना शत प्रतिशत रिकार्ड कायम रखा। दुनिया की पांचवें नंबर की टीम भारत ने इस दौरे पर पांचों मैच जीते। पहले मैच में बेल्जियम को 2-0 से हराने के बाद अगले दो मैचों में स्पेन को 6-1 और 5-1 से मात दी। इसके बाद 2-1 और 5-1 से मुकाबले जीते।

सिमरनजीत सिंह (सातवें), ललित कुमार उपाध्याय (35वां), विवेक सागर प्रसाद (36वां), हरमनप्रीत सिंह (42वां) और रमनदीप सिंह (43वां) मिनट ने गोल दागे। अपने अश्वमेधी अभियान से उत्साहित भारतीय टीम ने सातवें मिनट में सिमरनजीत के गोल पर बढत बनाई। बेल्जियम ने वापसी की कोशिश की लेकिन नौवें मिनट में कृष्णन बी पाठक ने पेनल्टी कार्नर बचा लिया। दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम को 16वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कार्नर मिले लेकिन पाठक ने फिर वही मुस्तैदी दिखाई ।

तीसरे क्वार्टर में भारत के लिए 35वें मिनट में ललित ने गोल करके बढ़त दुगुनी कर दी। अगले मिनट में युवा विवेक सागर प्रसाद ने गोल किया। बेल्जियम को 38वें मिनट में फिर पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन पी आर श्रीजेश ने डाइव लगाकर गोल बचाया। अगले ही मिनट हालांकि अलेक्जेंडर हेंडरिक्स ने गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया। भारत ने हालांकि तीसरा क्वार्टर खत्म होने से पहले दो मिनट में दो गोल किए। भारत के लिये चौथा गोल हरमनप्रीत सिंह ने 42वें मिनट में किया जबकि पांचवां गोल रमनदीप सिंह ने 43वें मिनट में दागा।

भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विजयी बढ़त बनाई

सूरत, 3 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पांचवें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पांच विकेट से हराकर छह मैचों की श्रृंखला में 3-0 से बढ़त बना ली। दो मैच बारिश में धुल जाने के बाद श्रृंखला पांच की बजाए छह मैचों की कर दी गई। ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने दो और बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव ने तीन विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीकी टीम आठ विकेट पर 98 रन ही बना सकी। लेग स्पिनर पूनम यादव ने 15 रन देकर एक विकेट लिया।

खबर कोना

कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान कोलकाता नाइटराइड्र्स के खिलाड़ी राबिन उथप्पा।

सुआरेज के दो गोल से बार्सीलोना ने इंटर मिलान को हराया

बार्सीलोना, 3 अक्तूबर (एएफपी)।

लुईस सुआरेज के दो गोल की मदद से बार्सीलोना फुटबॉल क्लब ने चैंपियंस लीग के ग्रुप एफ मुकाबले में इंटर मिलान पर 2-1 से जीत हासिल की। इस मैच में लियोनल मेस्सी ने सुआरेज को एक गोल करने में सहायता भी की। सुआरेज ने 58वें और 84वें मिनट में गोल किए। वालेंसिया में खेले गए ग्रुप एच मैच में हाकिम जियेच के शानदार गोल की मदद से अजाक्स की टीम ने वालेंसिया फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराया। इसी ग्रुप में फ्रांस के लिली में हुए मुकाबले में चेल्सी भी ब्राजील के विलियन के गोल से जीत हासिल करने में सफल रहा। उसने लिली पर 2-1 से मात दी। ग्रुप ई में मोहम्मद सलाह के दो गोल ने लिवरपूल को ड्रॉ से बचाया जिससे टीम साल्जबर्ग को 4-3 से पराजित करने में कामयाब रही।

प्राग और दिव्या ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 अक्तूबर।

भारत के ग्रैंडमास्टर प्रागानंधा आर और विमेन इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने विश्व यूथ चेस चैंपियनशिप के राउंड-2 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। चेन्नई के प्राग ने पोलैंड के एंटोनी कोजाक को ओपन यू-18 वर्ग में हराया। नागपुर की दिव्या ने लड़कियों की यू-14 कटेगरी में भाग्यश्री पाटील को हराया। 11 राउंड का यह मेगा इवेंट पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ी चेस प्रतियोगिता है। 14 साल के प्राग चार भारतीयों सहित उन 12 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अब तक अजेय रहते हुए अधिकतम दो अंक हासिल किए हैं।

गुजरात ने बिहार को हराया, जम्मू-कश्मीर और बंगाल भी जीते

जयपुर, 3 अक्तूबर (भाषा)।

गुजरात ने विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप सी मैच में गुरुवार को बिहार के खिलाफ सात विकेट से प्रभावी जीत दर्ज की। बिहार को 42.2 ओवर में 126 रन पर समेटने के बाद गुजरात ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल करके लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। गुजरात की ओर से रुश कलारिया, चिंतन गाजा, अक्षर पटेल और तेजस पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए।

इसके जवाब में गुजरात ने सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल (40), ध्रुव रावल (25) और अक्षर (नाबाद 27) की पारियों की बदौलत 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 128 रन बनाकर जीत दर्ज की। एक अन्य मैच में परवेज रसूल के नाबाद 118 रन की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने रेलवे को चार विकेट से हराया। रसूल ने 112 गेंद की अपनी पारी में नौ चौके और चार छक्के मारे। रेलवे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 285 रन बनाए जिसके जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 49.1 ओवर में छह विकेट पर 287 रन बनाकर जीत दर्ज की। दिन के तीसरे मैच में बंगाल ने अभिषेक कुमार रमन की 108 गेंद में 11 चौकों की मदद से नाबाद 122 रन की पारी से राजस्थान को पांच विकेट से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 265 रन बनाए जिसके जवाब में बंगाल ने 49 ओवर में पांच विकेट पर 266 रन बनाकर जीत दर्ज की।

विजय हजारे ट्रॉफी

बंगाल ने अभिषेक कुमार रमन की 108 गेंद में 11 चौकों की मदद से नाबाद 122 रन की पारी से राजस्थान को पांच विकेट से हराया।

भारतीयों के लिए कड़ी चुनौती

स्टुटगार्ट (जर्मनी), 3 अक्तूबर (भाषा)।

चोटिल दीपा कर्मकार की अनुपस्थिति में भारतीय जिम्नास्टों को शुक्रवार से शुरू हो रही विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। भारतीयों को हालांकि पदक की उम्मीद नहीं होगी लेकिन वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा रियो ओलंपिक के वाल्ट फाइनल्स में चौथे स्थान पर रही थीं। लेकिन देश की शीर्ष जिम्नास्ट घुटने की चोट से उबरने में असफल होने के कारण इसमें भाग नहीं ले पाएंगी।

दीपा की अनुपस्थिति में महिला वर्ग में प्रभावित करने की जिम्मेदारी प्रणति नायक, प्रणति दास और अरुणा बुड्डा रेड्डी पर होगी जिन्हें पिछले महीने छह सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया। प्रणति नायक ने इस साल के शुरू में मंगोलिया में सीनियर एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप की वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक और अरुणा ने 2018 जिम्नास्टिक विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। लेकिन विश्व चैंपियनशिप में कड़ी प्रतिद्वंद्विता होती है जिसमें भारतीय जिम्नास्टों के लिए बीते समय में फाइनल में पहुंचना मुश्किल रहा है।

पुरुष वर्ग में सभी का ध्यान 2010 एशियाई खेलों के कांस्य पदकधरी आशीष कुमार के प्रदर्शन पर लगा होगा जबकि टीम में योगेश्वर सिंह और आदित्य सिंह राणा भी मौजूद हैं। विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक कोटे भी दांव पर लगे होंगे जिसमें प्रत्येक वर्ग (2018 से पहले ही क्वालीफाई करने वाले तीन वर्गों को छोड़कर) में शीर्ष नौ टीमें तोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई करेंगी।

व्यक्तिगत ओलंपिक स्थान भी दांव पर लगे होंगे जिसमें शीर्ष 12 पुरुष और 20 महिला जिम्नास्ट तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करेंगे। इनका फैसला सभी प्रतियोगिताओं में रैंकिंग के आधार पर होगा। साथ ही प्रत्येक उपकरण फाइनल से शीर्ष तीन जिम्नास्ट (क्वालीफाई करने वाली टीमों को छोड़कर) भी ओलंपिक टिकट कटाएंगे।

भारतीयों में आशीष, प्रणति नायक और अरुणा ने बीते समय में अच्छा प्रदर्शन किया है और उनसे कम से कम फाइनल में पहुंचने की उम्मीद होगी। दीपा 2015 विश्व चैंपियनशिप की वॉल्ट स्पर्धा में पांचवें स्थान पर रही थीं और भारत का यह इस चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है जिसे देखते हुए शीर्ष तीन में पहुंचने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप

दीपा की अनुपस्थिति में महिला वर्ग में प्रभावित करने की जिम्मेदारी प्रणति नायक, प्रणति दास और अरुणा बुड्डा रेड्डी पर होगी।

डब्लूएफआइ ने करीमी को किया बर्खास्त

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लूएफआइ) ने पुरुष फ्रीस्टाइल कोच हुसैन करीमी को छह महीने में ही बर्खास्त कर दिया। महासंघ ने दावा किया कि यह कोच अपने साथ वीआइपी संस्कृति लेकर आया था जिसका देश में पालन नहीं किया जा सकता। ईरान के कोच ने इस आरोप को खारिज किया है। करीमी का अनुबंध तोक्यो ओलंपिक तक था। ईरान के इस कोच को उनकी बर्खास्तगी का नोटिस बुधवार को सौंपा गया।

डब्लूएफआइ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा कि वह वीआइपी संस्कृति का पालन कर रहे थे और उनकी मांगों को मानना बेहद मुश्किल हो गया था। हमने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को इसकी जानकारी दे दी है। हम अब नया कोच ढूंढ रहे हैं। करीमी के साथ काम करते हुए डब्लूएफआइ को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था इस बारे में पूछने पर तोमर ने कहा कि वह कभी कोचों या पहलवानों के साथ रिश्ते नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा कोई ना कोई शिकायत या मांग होती थी। उन्होंने साई परिसर में रहने से इनकार कर दिया जहां राष्ट्रीय शिविर चल रहा था इसलिए हमें साइ केंद्र के समीप उनके लिए फ्लैट किराए पर लेना पड़ा। वह जब भी भारत में यात्रा करते थे तो हमें उन्हें कार मुहैया करानी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा टूर्नामेंटों के दौरान अकेले रहने पर जोर देते थे जबकि अन्य कमरे साझा करते थे। नूर-सुल्तान में विश्व चैंपियनशिप के दौरान भी यूडब्लूडब्लू के निर्देशों के अनुसार दो लोगों को कमरा साझा करना था लेकिन वह अकेले रहे। उनकी सभी मांगों को स्वीकार करना मुश्किल था। करीमी को 3500 डॉलर के मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया था लेकिन डब्लूएफआइ ने कहा कि उनकी अतिरिक्त मांगों के कारण खर्चे 5000 डॉलर पहुंच गए थे।

दूसरी तरफ करीमी ने कहा कि भारत में खेल की प्रगति के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। करीमी ने कहा कि उन्होंने मेरा अनुबंध रद्द कर दिया। भारत में व्यवस्था सही नहीं है। यहां काफी समस्या है। सभी अरोप गलत हैं।

वीआइपी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप

कोच ने सभी आरोपों को बताया गलत

दिल्ली हाफ मैराथन की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा दूत बनीं कार्मेलिटा जेटर

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

ओलंपिक पदक विजेता अमेरिका की फर्राटा धाविका कार्मेलिटा जेटर को एअरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के 15वें संस्करण का अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा दूत नियुक्त किया गया। जेटर के नाम फ्लोरेंस ग्रिफिथ-जायनर के बाद महिला 100 मीटर फर्राटा दौड़ का दूसरा सबसे तेज समय (10.64 सेकंड) दर्ज है। ग्रिफिथ-जायनर का 1998 में निधन हो गया था।

जेटर 2009 में शंघाई गोल्डन ग्रांप्री में 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर दुनिया की सबसे तेज जीवित महिला बनी थीं। जेटर के नाम तीन ओलंपिक पदक दर्ज हैं। उन्होंने 2012 लंदन खेलों में चार गुणा 100 मीटर रिले का स्वर्ण, 100 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत और 200 मीटर स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था। जेटर ने इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण और विश्व एथलेटिक्स फाइनल में दो स्वर्ण भी जीते। विश्व चैंपियनशिप, विश्व इंडोर चैंपियनशिप और विश्व रिले चैंपियनशिप में उनके नाम एक-एक रजत पदक भी दर्ज हैं।

डेविस कप

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को कहा गया | 41 डब्लूटीए युगल खिताब हैं इस खिलाड़ी के नाम

...खेलना बंद करो वरना कोई शादी नहीं करेगा

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को बचपन में इस खेल से दूरी बनाने की सलाह दी गई थी। उन्हें कहा गया था कि अगर वह बाहर धूप में खेलेंगी तो उनका रंग सावला पड़ जाएगा और उनसे कोई शादी नहीं करेगा। सानिया ने विश्व आर्थिक मंच में महिलाओं और नेतृत्वक्षमता पर पैनल चर्चा में बताया कि उन्होंने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया। उनके नाम तीन महिला युगल और इतने ही मिश्रित युगल ग्रैंडस्लैम खिताब हैं।

सानिया भारत की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी हैं और डब्लूटीए एकल सूची में 2007 के मध्य में करिअर की सर्वश्रेष्ठ 27वीं रैंकिंग पर पहुंची थीं। बत्तीस साल की सानिया ने कहा कि शुरुआत करूं तो सबसे पहले माता-पिता, पड़ोसियों, आंटियों और अंकल को यह कहना बंद करना होगा कि आप सांवली हो जाओगी और अगर तुम खेलोगी तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं महज आठ साल की थी जब मुझे यह कहा गया था और हर किसी को लगता था कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं सांवली हो जाऊंगी। मैंने सोचा कि मैं बच्ची ही हूं और सब ठीक होगा।

इस हैदराबादी खिलाड़ी के नाम 41 डब्लूटीए युगल खिताब हैं और 2015 में तो वह महिला युगल में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी भी बनी थीं। उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में यह इतना भरा हुआ है कि लड़कियों को खूबसूरत बने रहना चाहिए और इसमें यह भी कि उसे गोरा होना चाहिए। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों। इस संस्कृति को बदलना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की पत्नी सानिया बच्चे के जन्म के ब्रेक के बाद अगले साल पेशेवर सर्किट में वापसी पर काम कर रही हैं।

अपने टेनिस सफर की बात करते हुए सानिया ने कहा कि उनके पास प्रेरणा लेने के लिए महज एक खिलाड़ी थीं वो महान धाविक पीटी ऊषा थीं। उन्होंने कहा कि लेकिन अब समय बदल गया है और कई महिला एथलीट मौजूदा खिलाड़ियों के लिए आदर्श बन रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने महिलाओं को खेल अपनाने में शायद थोड़ी सी भूमिका अदा की। मैं जिस महिला खिलाड़ी से प्रेरणा ले सकती थी तब वह पीटी ऊषा थीं। आज हम पीवी सिंधू, साइना नेहवाल, दीपा कर्मकार और कई अन्य का नाम ले सकते हैं।

टीम के साथ पत्नियों के जाने का किया समर्थन

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (भाषा)।

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने क्रिकेट दौरों पर क्रिकेटरों की पत्नियों और महिला मित्रों को साथ जाने की अनुमति नहीं देने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह रवैया उस मानसिकता से बना है जिसमें महिलाओं को ताकत नहीं बल्कि ध्यानभंग करने वाली माना जाता है। सानिया ने यहां भारतीय आर्थिक मंच पर कहा कि लड़कियों को छोटी उम्र से ही खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई बार हमारी क्रिकेट टीम और कई अन्य टीमों में, मैंने देखा है कि पत्नियां या महिला मित्रों को दौरे पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि लड़कों का ध्यान भंग हो जाएगा। सानिया ने कहा कि इसका क्या मतलब है? महिलाएं ऐसा क्या करती हैं कि उससे पुरुषों का ध्यान इतना भंग हो जाता है?

उन्होंने कहा कि देखिए यह चीज उस गहरी मानसिकता से आती है जिसमें माना जाता है कि महिलाएं ताकत नहीं बल्कि ध्यान भंग करती हैं।

स्टोक्स पीसीए के 'वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' बने

लंदन, 3 अक्तूबर (एएफपी)।

इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स को पेशेवर क्रिकेटरों के संघ (पीसीए) के पुरस्कारों में 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' चुना गया। स्टोक्स ने इंग्लैंड की 50 ओवर विश्व कप खिताबी जीत में अहम भूमिका अदा की थी जिसमें वह जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाटकीय फाइनल में 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे।

अठाईस साल के खिलाड़ी ने फिर आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एशेज टैस्ट में 135 रन की नाबाद पारी से अपनी टीम को जीत दिलाई थी। डरहम के स्टोक्स ने बुधवार को सिमोन हार्मर, रेयान हिगिंस और डॉम सिबले को पछाड़कर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया।

स्टोक्स ने कहा कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं खुश हूं कि खिलाड़ी सोचते हैं कि मैं इस साल के प्रदर्शन के आधार पर पीसीए का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने लायक हूं। समरसेट के टॉम बैंटन को पीसीए का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी जबकि इंग्लैंड की गेंदबाज सोफी एक्सेलस्टोन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 320, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।